केवल शासकीय प्रयोग हेतु

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश

नगरीय निकाय निर्वाचन

रिटर्निंग अधिकारियों
एवं
सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के उपयोग हेतु
निर्देश पुस्तिका-2017

राज्य निर्वाचन आयोग
(पंचायत एवं नगरीय निकाय),
उत्तर प्रदेश
पी०सी०एफ० भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

विषय सूची

क्र. सं.	अध्याय / परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	अध्याय–1	जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारियों / सहायक रिटर्निंग अधिकारियों / सेक्टर मजिस्ट्रेटों / जोनल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति एवं कर्त्तव्य	
2.	अध्याय–2	मतदान कार्मिक की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण	
3.	अध्याय–3	मतदान केन्द्र	
4.	अध्याय–4	निर्वाचन सामग्री	
5.	अध्याय–5	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना	
6.	अध्याय–6	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (स्क्रूटनी)	
7.	अध्याय–7	अभ्यर्थन वापसी तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन	
8.	अध्याय–8	निर्विरोध निर्वाचन	
9.	अध्याय–9	मतपत्र और मतपेटियाँ	
10.	अध्याय–10	निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता तथा गणन अभिकर्ता की नियुक्ति	
11.	अध्याय–11	डाक मतपत्र जारी करना	
12.	अध्याय–12	मतदान, मतदान का स्थगन तथा उम्मीदवार की मृत्यु	
13.	अध्याय–13	मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	
14.	अध्याय–14	विविध	
15.	अध्याय–15	रिटर्निंग अधिकारी (RO) द्वारा निर्वाचन की सूचना का कम्प्युट्रीकरण	
16.	परिशिष्ट–1	पीठासीन / मतदान अधिकारी का नियुक्ति आदेश (प्ररूप–1)	
17.	परिशिष्ट–2	निर्वाचन की सूचना (प्ररूप–2)	
18.	परिशिष्ट–3	नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति व संवीक्षा का स्थान (प्ररूप–3)	
19.	परिशिष्ट–4	नाम निर्देशन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों की दैनिक जानकारी (प्ररूप–4)	
20.	परिशिष्ट–5	नगर निगम के महापौर पद हेतु नाम निर्देशन पत्र (प्ररूप–5)	
21.	परिशिष्ट–6	नगर निगम के पार्षद पद हेतु नाम निर्देशन पत्र (प्ररूप–5क)	
22.	परिशिष्ट–7	नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष पद हेतु नाम निर्देशन पत्र (प्ररूप–5ख)	
23.	परिशिष्ट–8	नगर पालिका परिषद् के सदस्य पद हेतु नाम निर्देशन पत्र (प्ररूप–5ग)	
24.	परिशिष्ट–9	नगर पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु नाम निर्देशन पत्र (प्ररूप–5घ)	
25.	परिशिष्ट–10	नगर पंचायत के सदस्य पद हेतु नाम निर्देशन पत्र (प्ररूप–5ङ)	
26.	परिशिष्ट–11	नाम निर्देशन पत्र सम्बन्धी रसीद	
27.	परिशिष्ट–12	जाति प्रमाण हेतु शपथ पत्र (प्ररूप–6)	
28.	परिशिष्ट–13	प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र के साथ उपलब्ध कराया जाने वाला शपथ पत्र (प्ररूप–7)	

क्र. सं.	अध्याय / परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ संख्या
29.	परिशिष्ट–14	राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारी के नामों के सम्बन्ध में सूचना (प्ररूप–7क)	
30.	परिशिष्ट–15	राजनैतिक दल द्वारा पदधारी को प्राधिकृत किए जाने की सूचना (प्ररूप–7 ख)	
31.	परिशिष्ट–16	नाम निर्देशन की सूचना (प्ररूप–8)	
32.	परिशिष्ट–17	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाने के अन्तिम दिनाँक के पश्चात् नाम निर्देशन पत्रों की विवरणी (प्ररूप–9)	
33.	परिशिष्ट–18	विधिमान्य नाम निर्देशित उम्मीदवारों की सूची (प्ररूप–10)	
34.	परिशिष्ट–19	अभ्यर्थन वापस लेने के लिए आवेदन (प्ररूप–11)	
35.	परिशिष्ट–20	अभ्यर्थन वापस लेने के आवेदन के लिए रसीद	
36.	परिशिष्ट–21	अभ्यर्थन वापस लिए जाने की सूचना (प्ररूप–12)	
37.	परिशिष्ट–22	निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची (प्ररूप–13)	
38.	परिशिष्ट–23	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति (प्ररुप–15)	
39.	परिशिष्ट–24	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द करना (प्ररुप–16)	
40.	परिशिष्ट–25	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति (प्ररूप–17)	
41.	परिशिष्ट–26	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द करना (प्ररूप–18)	
42.	परिशिष्ट–27	मतपत्र लेखा (प्ररूप–30)	
43.	परिशिष्ट–28	गणन अभिकर्ता की नियुक्ति (प्ररूप–34)	
44.	परिशिष्ट–29	डाक मतपत्र हेतु निर्वाचन अधिकारी को आवेदन पत्र (प्ररूप–क)	
45.	परिशिष्ट–30	डाक मतपत्र हेतु निर्वाचकों के लिए अनुदेश (प्ररूप–ख)	
46.	परिशिष्ट–31	डाक मतपत्र हेतु निर्वाचक द्वारा घोषणा (प्ररूप–ग)	
47.	परिशिष्ट–32	डाक मतपत्र हेतु लिफाफा (प्ररूप–घ)	
48.	परिशिष्ट–33	डाक मतपत्र हेतु आवरक (प्ररूप–ङ)	
49.	परिशिष्ट–34	लॉग बुक (प्ररुप–35)	
50.	परिशिष्ट–35	मतगणना शीट–सदस्य, न0पा0परि0 / न0पंचा0 (प्ररूप–37)	
51.	परिशिष्ट–36	मतगणना शीट–अध्यक्ष, न0पा0परि0 / न0पंचा0 (प्ररूप–39)	
52.	परिशिष्ट–37	मतगणना शीट–पार्षद, न0नि0 (प्ररूप–41)	
53.	परिशिष्ट–38	मतगणना शीट–महापौर, नगर निगम (प्ररूप–43)	
54.	परिशिष्ट–39	निर्वाचन परिणाम पंजिका (प्ररुप–44)	
55.	परिशिष्ट–40	निर्वाचन प्रमाणपत्र–सदस्य, न0पंचा0 (प्ररूप–45)	
56.	परिशिष्ट–41	निर्वाचित सदस्य, न0पंचा0 को निर्वाचन प्रमाणपत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप (प्ररूप–46)	

क्र. सं.	अध्याय / परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ संख्या
57.	परिशिष्ट–42	निर्वाचन प्रमाणपत्र–अध्यक्ष, न0पंचा0 (प्ररूप–47)	
58.	परिशिष्ट–43	निर्वाचित अध्यक्ष, न0पंचा0 को निर्वाचन प्रमाणपत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप (प्ररूप–48)	
59.	परिशिष्ट–44	निर्वाचन प्रमाणपत्र–सदस्य, न0पा0परि0 (प्ररूप–49)	
60.	परिशिष्ट–45	निर्वाचित सदस्य, न0पा0परि0 को निर्वाचन प्रमाणपत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप (प्ररूप–50)	
61.	परिशिष्ट–46	निर्वाचन प्रमाणपत्र–अध्यक्ष न0पा0परि0 (प्ररूप–51)	
62.	परिशिष्ट–47	निर्वाचित अध्यक्ष, न0पा0परि0 को निर्वाचन प्रमाणपत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप (प्ररूप–52)	
63.	परिशिष्ट–48	निर्वाचन प्रमाणपत्र–पार्षद, नगर निगम (प्ररूप–53)	
64.	परिशिष्ट–49	निर्वाचित पार्षद, नगर निगम को निर्वाचन प्रमाणपत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप (प्ररूप–54)	
65.	परिशिष्ट–50	निर्वाचन प्रमाणपत्र–महापौर, नगर निगम (प्ररूप–55)	
66.	परिशिष्ट–51	निर्वाचित महापौर, नगर निगम को निर्वाचन प्रमाणपत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप (प्ररूप–56)	
67.	परिशिष्ट–52	नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत धनराशि एवं उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण।	
68.	परिशिष्ट–53	उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के महत्वपूर्ण प्रावधानों का उद्धरण	
69.	परिशिष्ट–54	उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के महत्वपूर्ण प्रावधानों का उद्धरण	
70.	परिशिष्ट–55	हिन्दी वर्णमाला	
71.	परिशिष्ट–56	प्रत्याशियों द्वारा माँगे जाने वाले निर्वाचन प्रतीकों की वरीयता हेतु प्ररूप	
72.	परिशिष्ट–57	जमानत धनराशि की वापसी सम्बन्धी निर्देश।	
73.	परिशिष्ट–58	मतदान सामग्री की सूची	
74.	परिशिष्ट–59	नमूना डाक मतपत्र (महापौर / अध्यक्ष पद हेतु)	
75.	परिशिष्ट–60	नमूना डाक मतपत्र (पार्षद / सदस्य पद हेतु)	

प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट तथा 243 य क के द्वारा स्थापित राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश को नगरीय निकायों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन एवं नियन्त्रण का दायित्व प्रदान किया गया है। इन निर्वाचनों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने हेतु रिटर्निंग अधिकारी की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। रिटर्निंग अधिकारियों के कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का विस्तारपूर्वक वर्णन इस पुस्तिका में किया गया है। नगरीय निकायों के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया भारत के संविधान के 74वें संशोधन एवं तदधीन उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न कराई जाती है। रिटर्निंग अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए आयोग द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों एवं निर्देशों के उद्धरण भी इस पुस्तिका में दिए गए हैं। मेरा विश्वास है कि यह पुस्तिका जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) तथा रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को उन्हें सौंपे गए उत्तरदायित्वों के निर्वहन में उपयोगी सिद्ध होगी।

एस0के0 अग्रवाल
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

अध्याय–1

जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारियों/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों/ सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति एवं कर्तव्य

1. नगरीय निकायों के महापौरों, पार्षदों, अध्यक्षों तथा सदस्यों का निर्वाचन नगरीय निकाय क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एव नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश द्वारा पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट तथा अनुच्छेद 243 य क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत सम्पन्न कराया जाता है। निर्वाचन प्रक्रिया को विधिवत सम्पादित कराने का जनपद में पूरा दायित्व जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) पर होता है जो अपने स्तर से जनपद में विभिन्न नगरीय निकायों में रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करता है। क्षेत्रीय स्तर पर रिटर्निंग अधिकारियों की सहायता के लिए तथा निर्वाचन के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की भी नियुक्तियॉ जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती हैं।

2. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एव नगरीय निकाय) की सहायता हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या–1244/रा0नि0आ0अनु–4/2009 दिनॉक 31.12. 2009 द्वारा प्रत्येक जनपद में तैनात अपर जिलाधिकारी से अन्यून स्तर के अधिकारी को जिला निर्वाचन कार्यालय का प्रभारी अधिकारी तथा उसी को उप जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) पदाभिहित किया गया है, जो जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) के पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण व मार्ग दर्शन में कार्य करेंगे।

3. **जिला निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्य**

(1) राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का सुचारू रूप से संचालन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना।

(2) मतदान केन्द्रों का चयन करना और अपरिहार्य परिस्थितियों में मतदान केन्द्र/स्थलों को परिवर्तित किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एव नगरीय निकाय) के पूर्वानुमोदन से परिवर्तन करना तथा मतदान केन्द्र/स्थलों की सूची प्रकाशित करना जिसमें मतदान केन्द्र/स्थल पर मतदाताओं के समूह को प्रदर्शित किया गया हो।

(3) निर्वाचन कार्य से जुड़े व्यक्तियों की नियुक्ति तथा मतदान दलों का गठन करना।

(4) निर्वाचन कार्य से जुड़े कार्मिकों को समय से प्रशिक्षण देना।

(5) निर्वाचन हेतु समुचित सामग्री की व्यवस्था करना।

(6) यातायात की समुचित व्यवस्था करना।

(7) रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करना।

(8) मतदान दलों को निर्वाचन से सम्बन्धित सामग्री समय से उपलब्ध कराना।

(9) जनपद की विभिन्न नगरीय निकायों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए विस्तृत व्यवस्था कराना।

(10) जनपद की नगरीय निकायों के मतदान केन्द्रों पर शांति बनाये रखने हेतु यथोचित संख्या में मजिस्ट्रेटों की तैनाती तथा समुचित पुलिस व्यवस्था आदि सुनिश्चित कराना।

(11) निर्वाचन अवधि में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

(12) मतगणना केन्द्रों का निर्धारण एवं आयोग के निर्देशानुसार मानचित्र सहित प्रस्ताव मण्डलायुक्त को भेजकर उनका अनुमोदन प्राप्त करना तथा मतगणना शांतिपूर्वक कराये जाने हेतु समुचित पुलिस व्यवस्था आदि कराना।

(13) मतदान पूर्ण होने के उपरान्त तत्सम्बन्धी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल उपलब्ध कराना।

(14) आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों को पूरी मतदान प्रक्रिया की जानकारी तथा उनके क्षेत्रीय भ्रमण आदि की समुचित व्यवस्था करना।

4. रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कर्तव्य

(1) नगरीय निकायों के महापौर, अध्यक्ष, पार्षद तथा सदस्य के निर्वाचनों के सम्बन्ध में रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार पदाभिहित किए जाएंगे। इनकी तैनाती जिला निर्वाचन अधिकारी अपने विवेक से विभिन्न नगरीय निकायों में करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार रिटर्निंग अधिकारी के कृत्यों में सहायता देने के लिए एक या एक से अधिक सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन कराने से सम्बन्धित अधिसूचना के दिनाँक से लेकर मतगणना परिणाम की घोषणा के दिनाँक तक की अवधि तक आयोग की प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और उक्त अवधि के दौरान ऐसे अधिकारी आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे।

(2) जनपद की नगरीय निकायों के लिए रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करने हेतु समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को आयोग के पत्र संख्या–524/रा0नि0आ0 अनु0–5/99 दिनाँक 22 जुलाई, 1999 द्वारा अधिकृत किया गया है तथा निम्नानुसार इन अधिकारियों को पदाभिहित किया जाएगा। तदनुसार नियुक्ति करके निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से पर्याप्त समय पूर्व सम्बन्धित अधिकारियों को समय से सूचित कर दिया जाए जिससे वह निर्वाचन कराने हेतु पूर्णतः तैयारी कर लें।

क्रम सं0	निकाय/पद	रिटर्निंग अधिकारी	सहायक रिटर्निंग अधिकारी
1	2	3	4
1	नगर निगम के महापौर	जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट	राज्य सरकार का श्रेणी–1 का अधिकारी
2	नगर निगम के पार्षद	राज्य सरकार का श्रेणी–1 का अधिकारी।	राज्य सरकार का श्रेणी–2 का अधिकारी
3	नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा सदस्य	अपर जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का श्रेणी–2 का अधिकारी	राज्य सरकार का श्रेणी–2 का अधिकारी अथवा अधीनस्थ सेवा के राजपत्रित अधिकारी।

(3) सहायक रिटर्निंग अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए रिटर्निंग अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगा परन्तु कोई भी सहायक रिटर्निंग अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी के किन्हीं ऐसे कृत्यों का सम्पादन नहीं करेगा जो नाम निर्देशन की संवीक्षा से सम्बन्धित हो, जब तक कि रिटर्निंग अधिकारी को उक्त कृत्यों का सम्पादन करने से अपरिवर्जनीय रूप से रोका न गया हो। रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही करने की आवश्यकता हैः–

(क) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित निर्वाचन समय सारिणी के अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना का सार्वजनिक रूप से प्रचार करना।

(ख) उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निवार्चन) नियमावली, 2010 तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करना और उम्मीदवारों से जमानत की धनराशि जमा कराना एवम् उसे वापस कराना।

(ग) प्रस्तुत किए गए नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (स्क्रूटनी) किया जाना।

(घ) किसी भी नाम निर्देशन पत्र को निरस्त करने के लिए समुचित एवं पर्याप्त कारणों का संक्षेप में उल्लेख करना एवं निरस्त किए गए नाम निर्देशन पत्रों की सूची तैयार करना।

(ङ) उम्मीदवारों द्वारा अभ्यर्थन वापसी की व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य।
(च) अभ्यर्थन वापस लेने के बाद सही पाए गए नाम निर्देशन पत्रों, निर्विरोध रूप से चुने गए उम्मीदवार/उम्मीदवारों तथा निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करना।
(छ) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करना।
(ज) निर्विरोध रूप से चुने गए उम्मीदवारों की घोषणा।
(झ) मतदान दलों को प्रशिक्षण/पूर्वाभ्यास कराना।
(ञ) मतदान दलों को मतपत्र तथा अन्य निर्वाचन सामग्री उपलब्ध कराना।
(ट) मतदान दलों की समय से रवानगी कराना।
(ठ) मतदान पर्यवेक्षण करना।
(ड) मतदान होने के उपरान्त मतपेटिकाओं/मतपत्रों/ई0वी0एम0 की वापसी तथा उनको सशस्त्र पुलिस की अभिरक्षा में सुरक्षित रखवाना, रोशनदान/खिड़कियों को बन्द कराना तथा दरवाजे का ताला उपस्थित उम्मीदवारों/नामित अभिकर्ताओं के सामने मुहरबन्द कराना तथा इसका अभिलेख रखा जाना।
(ढ) मतगणना केन्द्र पर प्रकाश, फर्नीचर, पानी, शामियाना तथा माइक आदि की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करना एवं मतगणना की कार्यवाही करना।
(ण) परिणाम घोषित करके परिणाम की एक–एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी तथा राज्य निर्वाचन आयोग को अगले दिन तक प्रेषित करना।
(त) मतगणना पूर्ण होने के उपरान्त चुनाव से सम्बन्धित कागजातों को पूर्ण अभिरक्षा में रखा जाना।
(थ) उम्मीदवारों के चुनाव खर्चों के विवरण का ठीक प्रकार से परीक्षण करना और तत्सम्बन्धी सूचना आयोग को उपलब्ध कराना।
(द) निर्वाचन ड्यूटी करने वाले कार्मिकों को देय यात्रा/दैनिक भत्ता/मानदेय का तत्काल भुगतान करना।

5. जोनल मजिस्ट्रेट/सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति एवं कर्तव्य

राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या–696/रा0नि0आ0अनु0–5/99, दिनाँक 31 अगस्त, 1999 के द्वारा जनपद की नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों व नगर निगमों के सदस्यों, अध्यक्षों, पार्षदों तथा महापौरों के निर्वाचन के लिए जोनल मजिस्ट्रेट/सेक्टर मजिस्ट्रेट के पद पर अधिकारियों की नियुक्ति/तैनाती करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को अधिकृत किया गया है। उक्तानुसार निम्नलिखित अधिकारियों को जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित किया जाएगा :–

क्रम सं0	स्तर	जोनल मजिस्ट्रेट	सेक्टर मजिस्ट्रेट
1	नगर निगम	अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट	जिले में तैनात कार्यपालक मजिस्ट्रेट/राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के अधिकारी
2	नगर पालिका परिषद्	जिले में तैनात कार्यपालक मजिस्ट्रेट/राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के अधिकारी।	जिले में तैनात कार्यपालक मजिस्ट्रेट/राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के अधिकारी।
3	नगर पंचायत	जिले में तैनात कार्यपालक मजिस्ट्रेट/राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के अधिकारी।	जिले में तैनात कार्यपालक मजिस्ट्रेट/राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के अधिकारी।

सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा अपने सेक्टर/जोन का भ्रमण किया जाएगा। भ्रमण के सम्बन्ध में उनके द्वारा निम्नांकित कार्यवाही की जाएगी:–

(1) सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल मजिस्ट्रेट अपने सेक्टर एवं जोन के मतदान केन्द्रों/स्थलों का पर्याप्त भ्रमण करें जिससे मतदान स्थलों पर शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

(2) प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने सेक्टर के सभी मतदान स्थलों का कम से कम 03 बार अवश्य भ्रमण करें। उन्हें यह भी निर्देश दिया जाए कि प्रत्येक भ्रमण के समय वह पीठासीन अधिकारी की डायरी अवश्य अवलोकित करें एवं यह देखें कि पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रति दो घण्टे पर मतदान में डाले गए मतों की संख्या दर्ज की जा रहीं है या नहीं एवं सुसंगत घटनाओं का उल्लेख डायरी में किया जा रहा है कि नहीं? डायरी के निरीक्षण के समय डायरी पर सेक्टर मजिस्ट्रेट अपना हस्ताक्षर भी करेंगे एवं कोई उल्लेखनीय तथ्य हो तो उसका भी उल्लेख करेंगे।

(3) प्रत्येक जोनल मजिस्ट्रेट अपने जोन के सभी मतदान स्थलों का कम से कम एक बार निरीक्षण करेंगे एवं अपने निरीक्षण के समय वे भी पीठासीन अधिकारियों की डायरी देखेंगे तथा हस्ताक्षर करेंगे।

6. राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या–302/रा0नि0आ0अनु0–5/2011/49/2011 दिनाँक 10 मार्च, 2011 द्वारा वार्डों की संख्या के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। अतः नगरीय निकाय निर्वाचन में उक्त अधिकारियों की संख्या निम्नवत् रखी जाएः–

निकाय का नाम	पद का नाम	रिटर्निंग अधिकारी	सहायक रिटर्निंग अधिकारी	सेक्टर मजिस्ट्रेट	जोनल मजिस्ट्रेट
नगर निगम	महापौर	एक	3 से 4 तक	3 से 5 वार्ड पर एक	2 से 3 सेक्टर पर एक
	पार्षद	3 से 5 वार्ड पर एक	प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी के साथ दो		
नगर पालिका परिषद्	अध्यक्ष	एक	2 से 3 तक	4 से 6 वार्ड पर एक	2 से 3 सेक्टर पर एक
	सदस्य	4 से 6 वार्ड पर एक	प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी के साथ 1 से 2		
नगर पंचायत	अध्यक्ष	एक	1 से 2 तक	प्रति नगर पंचायत दो	2 सेक्टर पर एक
	सदस्य	एक (समस्त वार्डों के लिए)	1 से 2 तक		

नगरीय निकायों के पार्षद/सदस्य पदों के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी को अध्यक्ष/महापौर के निर्वाचन हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) आयोग की पूर्वानुमति से आवश्यकतानुसार उपर्युक्त रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल मजिस्ट्रेट की संख्या में कमी/वृद्धि कर सकते हैं।

अध्याय–2

मतदान कार्मिकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण

1. नगरीय निकायों में विभिन्न वार्डों में स्थित मतदान स्थलों के लिए मतदान कार्मिकों की नियुक्ति की जाती है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी और ऐसे मतदान अधिकारी/अधिकारियों की नियुक्ति करेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे किन्तु वह ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करेगा जिसे निर्वाचन से सम्बन्ध रखने वाले किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी तरफ से नियोजित किया गया हो या उसके लिए अन्य प्रकार से कार्यरत होः

   परन्तु यह कि यदि कोई मतदान अधिकारी मतदान केन्द्र से अनुपस्थित हो तो पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर उपस्थित किसी ऐसे व्यक्ति को पूर्व अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे किसी व्यक्ति से भिन्न हो जिसे निर्वाचन से सम्बन्ध रखने वाले किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी तरफ से नियोजित किया गया हो या उसके लिए अन्यथा कार्यरत हो और वह तदनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करेगा।

2. मतदान अधिकारी पीठासीन अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन यदि उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए निर्देशित किया गया हो, करेगा।

3. यदि पीठासीन अधिकारी बीमारी के कारण या अन्य अपरिहार्य कारणवश मतदान केन्द्र से अनुपस्थित हो, तो उसके कृत्यों का सम्पादन ऐसे मतदान अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे किसी ऐसी अनुपस्थित के दौरान ऐसे कृत्यों का सम्पादन करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व में प्राधिकृत किया गया हो।

4. सामान्यतया जितने मतदान स्थल होते हैं उनसे 05 प्रतिशत अधिक मतदान दलों (अतिरिक्त दल) के गठन की व्यवस्था की जाती है। अतिरिक्त दल आरक्षित दलों के तौर पर किसी आकस्मिक या अप्रत्याशित घटना होने की स्थिति में उपयोग में लाए जाते हैं। प्रत्येक मतदान दल में पीठासीन अधिकारी का चयन करते समय यह ध्यान देने योग्य बात है कि केवल सरकारी/अर्द्धसरकारी या उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित निगमों/प्राधिकरणों/फेडरेशन/बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी किसी भी दशा में न लगाई जाए। मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह आयोग द्वारा निर्गत आदेशों को प्रभावी बनाये रखे और इस बात पर ध्यान दे कि मतदान निष्पक्ष रूप से कराया जा रहा है। अतः पीठासीन अधिकारी के लिए पर्याप्त वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारियों का चयन किया जाना चाहिए तथा इस बात का ध्यान रखा जाए कि मतदान दल में नगरीय निकायों के कर्मचारियों की नियुक्ति न की जाए और यदि उनकी नियुक्ति किया जाना अपरिहार्य हो तो कम से कम उस निकाय में उनकी निर्वाचन ड्यूटी न लगाई जाए जिसके वे मूल रूप से कर्मचारी हैं।

5. पीठासीन अधिकारी की भाँति मतदान अधिकारियों का चयन भी सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। मतदान अधिकारी इस योग्यता/अनुभव का होना चाहिए जो मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी की उसके कृत्यों के सम्पादन में सहायता करे।

6. मतदान दल का गठन करते समय विभिन्न कार्यालयों और विभागों से समुचित रूप से मिला जुला स्टाफ मतदान दल में लगाया जाएगा।

7. प्रत्येक मतदान दल में यथासम्भव एक महिला कर्मचारी रखी जानी चाहिए ताकि महिला मतदाताओं से सुचारू रूप से वोट डलवाया जा सके।

8. मतदान दलों का गठन करते समय तथा मतदान स्थलों पर ड्यूटी लगाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान रखा जाएः–

(1) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो कि चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी के नजदीकी रिश्तेदार हैं, उन्हें उस उम्मीदवार के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले मतदान स्थलों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(2) महिला मतदान अधिकारियों को छोड़कर अन्य किसी भी कर्मचारी को उस वार्ड के मतदान स्थल पर नियुक्त न किया जाए, जिस वार्ड के अन्तर्गत वह निवास करता है।

(3) मतदान कार्मिकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण की व्यवस्था उस स्थान पर की जाए जहाँ पर प्रशिक्षण के लिए बुलाए गए अधिकारी समुचित रूप से बैठ सकें। मतदान कार्मिकों को गहन प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त, अनुभवी एवं वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षक के रूप में चयन किया जाए। सामान्यतः मतदान कार्मिकों के दो प्रशिक्षण कराए जाएं।

9. नगरीय निकायों के विभिन्न घटकों के रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से भाग लिया जाएगा।

10. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों की जिज्ञासा के समाधान पर विशेष बल दिया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्न–उत्तर की प्रणाली अपनायी जा सकती है। उन्हें मतदान के समय अपनायी जाने वाली प्रकिया तथा कानूनी प्रावधानों/नियमों को भलीभाँति समझा दिया जाए। मतदान के पूर्वाभ्यास में नमूने (डमी) के मतपत्रों का उपयोग किया जा सकता है। प्रशिक्षण के समय पर्याप्त संख्या में मतपेटिकाएं रखी जाएं तथा प्रशिक्षार्थियों के छोटे–छोटे समूह बनाकर उनमें उन्हें मतपेटियों के खोलने तथा बन्द करने का अभ्यास कराया जाए। इसी प्रकार मतपेटियों को सील करने के लिए उपयोग में लायी जाने वाली पेपर सील लगाने की प्रक्रिया को भी ठीक प्रकार से समझा दिया जाए। मतदाता के पहचान के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत होने पर की जाने वाली जाँच की प्रक्रिया तथा निविदत्त मत की स्थिति उत्पन्न होने पर की जाने वाली कार्यवाही को भी ठीक प्रकार से समझा दिया जाए।

11. मतदान की प्रक्रिया में मतपत्रों का लेखा तैयार किया जाना एक अत्यावश्यक कार्य होता है। पीठासीन अधिकारियों को मतपत्रों का लेखा तैयार करने की प्रक्रिया उदाहरण के साथ विस्तार से समझा दी जानी चाहिए।

अध्याय–3

मतदान केन्द्र

1. मतदान केन्द्रों का चयन

सर्वप्रथम एक वार्ड में मतदान स्थलों की संख्या निर्धारित की जाए। एक मतदान स्थल पर दो वार्डों के मतदाता न रखे जाएं और पूरे वार्ड के मतदाताओं को मतदान स्थलों से यथा आवश्यक बराबर–बराबर विभक्त कर दिया जाए, परन्तु एक परिवार के समस्त मतदाताओं को एक मतदान स्थल पर ही रखें। मतदान केन्दों का चयन आयोग के निर्देशानुसार इस प्रकार किया जाए कि वह विधिक मान्यताओं को पूरा करता हो और व्यावहारिक रूप से उपयुक्त भी हों। मतदान केन्द्र/मतदान स्थलों को स्थापित करने हेतु उन स्थानों को सामान्यतः सम्मिलित किया जाए जहाँ विधान सभा/लोक सभा के निर्वाचन में मतदान सम्पन्न कराया गया है। विगत नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन में जो मतदान केन्द्र/मतदान स्थल निर्धारित किए गए थे, उन्हें सामान्यतः बनाये रखा जाए। मतदान स्थल का क्षेत्रफल कम से कम 20 वर्ग मीटर होना चाहिए जिससे मतदान स्थल के अंदर जगह की कमी न हो तथा जिस कमरे में मतदान किया जाना हो उसमें रोशनी व हवा की पर्याप्त व्यवस्था हो तथा जहाँ तक संभव हो सके इसमें दो दरवाजे हों, जिसमें से एक अंदर जाने के लिए तथा दूसरा बाहर निकलने के लिए प्रयोग में लाया जा सके।

2. मतदान केन्द्रों की स्थिति

(1) मतदान स्थल ऐसे स्थान पर होने चाहिए जिसमें मतदाता को वोट डालने के लिए अधिक दूर न चलना पड़े। प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं के लिए मतदान स्थल उसी वार्ड में रखा जाए। यदि किसी वार्ड में मतदान केन्द्र/स्थल वनाये जाने हेतु सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन, सरकारी अथवा सहायता प्राप्त स्कूल उपलब्ध नहीं हैं तो निकटतम वार्ड में उक्त वार्ड का मतदान केन्द्र/स्थल बनाया जा सकता है। एक मतदान स्थल पर एक ही वार्ड के मतदाता रखे जाएं। किसी भी दशा में एक मतदान स्थल पर दो वार्डों के मतदाता न रखे जाएं। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि एक मकान/एक ही परिवार के समस्त मतदाताओं के नाम एक ही मतदान स्थल पर रहें। किसी भी स्थिति में भूतल पर ही मतदान केन्द्र/स्थल स्थापित किए जाएं।

(2) मतदान स्थल स्कूलों (सरकारी अथवा सहायता प्राप्त) व अन्य सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संस्थानों के भवन में ही होना चाहिए। कोई भी मतदान स्थल किसी पुलिस स्टेशन, अस्पताल, धार्मिक स्थल यथा–मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि, निजी भवन/संस्था या धार्मिक प्रक्रियाओं से जुड़े स्थान में स्थापित न किया जाए।

3 मतदान स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में निर्देश

(1) यदि मतदान के लिए कोई सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा सहायता प्राप्त स्कूल आदि उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो अस्थायी/अर्द्ध अस्थायी निर्माण करके मतदान केन्द्र/स्थल की स्थापना की जा सकती है और यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि निर्धारित स्थल में वर्षा या आग या अन्य दैवी आपदा का कोई असर न होने पाए। मतदान स्थल खुले में नहीं बनाना चाहिए, उसके ऊपर छत अथवा छाया होना आवश्यक है।

(2) किसी भी मतदान केन्द्र पर चार से अधिक मतदान स्थल नहीं बनाए जाने चाहिए जिससे कि मतदाताओं की किसी भवन में अनावश्यक भीड़ न एकत्रित हो सके और परिणाम स्वरूप कानून एवं व्यवस्था की स्थिति भी न बिगड़ने पाए। यदि किसी विशेष

अपरिहार्य परिस्थितियों में एक मतदान केन्द्र पर चार से अधिक मतदान स्थल स्थापित किया जाना अनिवार्य हो तो इसके औचित्य को दर्शाते हुए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एव नगरीय निकाय) की अनुमति प्राप्त कर ली जाए।

(3) यदि किसी क्षेत्र में कोई अशक्त, सैनीटोरियम संस्था का भवन हो तो अशक्तों के लिए वहीं पर मतदान स्थल रखा जा सकता है और वहाँ के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मतदान की ड्यूटी के लिए जिस भवन में उसे स्थापित किया गया हो, उसका पूर्ण विवरण उपलब्ध होना चाहिए और उसका पर्याप्त प्रचार भी कराया जाना चाहिए तथा इस प्रकार के मतदान केन्द्रों की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भी उपलब्ध रहनी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस सूची को एक सप्ताह की अवधि के लिए रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित कराएं।

(4) एक ही भवन में कई मतदान स्थल बनाये जाने की दशा में भवन को पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी अथवा भवन को कक्ष संख्या से चिह्नांकित करके मतदान स्थलों को एक दूसरे से पृथक् किया जाए ताकि यह स्पष्ट रहे कि कौन सा मतदान स्थल भवन के किस भाग में है।

(5) प्रत्येक वार्ड में मतदान केन्द्रों/मतदान स्थलों के निर्धारण के पश्चात् जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक निकाय में स्थित प्रत्येक मतदान केन्द्र/स्थल के लिए अलग–अलग क्रमांक निर्धारित किए जाएंगे। प्रत्येक निकाय में प्रथम वार्ड से मतदान केन्द्र/स्थल का क्रमांक 01 से प्रारम्भ होगा और उस वार्ड में सिलसिलेवार सभी मतदान केन्द्र/स्थलों को क्रमांक आवंटित करने के उपरान्त वार्ड संख्या–02 में वार्ड संख्या–01 में दिए गए अन्तिम क्रमांक के आगे के क्रमांक दिए जाएंगे और इसी प्रकार आगे के वार्डों में क्रमांक निर्धारित किए जाएंगे। इसी प्रकार अन्तिम संख्या जिस वार्ड की है उसमें निकाय के अन्तिम मतदान केन्द्र/स्थलों की संख्या होगी। उदाहरणार्थ यदि किसी निकाय में 1000 मतदान केन्द्र हैं तो उनका क्रमांक 01 से लेकर 1000 तक होगा। इसी प्रकार यदि किसी निकाय में 1500 मतदान स्थल हैं तो उनका क्रमांक 01 से लेकर 1500 तक होगा अर्थात् 1 निकाय को 01 इकाई मानते हुए बढ़ते हुए क्रमांक में मतदान केन्द्र एवं मतदान स्थल निर्धारित किए जाएंगे। मतदान स्थल संख्या ही निर्वाचक नामावली पर अंकित होने वाली भाग संख्या होगी।

अध्याय–4

निर्वाचन सामग्री

1. प्रत्येक मतदान दल को निर्वाचन कराने के लिए आवश्यक मात्रा में निर्वाचन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व में ही जनपद स्तर पर निर्वाचन सामग्री की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, इसका अनुमान लगा करके इसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। क्षेत्रीय स्तर पर नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी को भी अपने क्षेत्र में आने वाले मतदान स्थलों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन सामग्री की आवश्यकता का अनुमान करने के बाद आवश्यक सामग्री जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर लेनी चाहिए। एक मतदान टोली के लिए अपेक्षित निर्वाचन सामग्री का विवरण **परिशिष्ट–58** में दिया गया है।

2. प्रत्येक मतदान स्थल के लिए यथास्थिति गोदरेज टाइप की दो बड़ी मतपेटियों अथवा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। रिटर्निंग अधिकारी का दायित्व है कि वह जिला निर्वाचन कार्यालय से मतपेटियाँ/इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि मतपेटियाँ/इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अच्छी हालत में हैं तथा आसानी से उपयोग में लायी जा सकने योग्य हैं। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी भी मतदान दल को दोषपूर्ण (डिफेक्टिव) मतपेटी/इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन न प्रदान कर दी जाए।

3. सामान्यतया निर्वाचन सामग्री मतदान दल को चुनाव आरम्भ होने के 2 या 3 दिन पूर्व दी जाती है। रिटर्निंग अधिकारी को यह हिदायत दी जाती है कि वह मतदान के आखिरी प्रशिक्षण, जो चुनाव के 2 या 3 दिन पूर्व होता है, के दौरान निर्वाचन सामग्री वितरित करा दें तथा सुनिश्चित कर ले कि सभी मतदान दलों को आवश्यक मात्रा में निर्वाचन सामग्री उपलब्ध करा दी गयी है। कुछ प्रतिशत अतिरिक्त निर्वाचन सामग्री के थैले रिटर्निंग अधिकारी तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी उपलब्ध करा दिए जाएं ताकि यदि किसी मतदान दल के पास किसी आइटम की कमी पड़े तो वह रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तत्काल आपूर्ति की जा सके।

4. सभी सामग्री देने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो निर्वाचन सामग्री दी जा रही है वह उपयोग योग्य है अथवा नहीं क्योंकि निर्वाचन सामग्री वितरण स्थल छोड़ने के बाद मतदान स्थल पर चुनाव सामग्री के बदले जाने का कोई अवसर नहीं रह जाता है। सामग्री के अभाव में निर्वाचन कार्य अवरूद्ध होने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का यह कृत्य निर्वाचन अपराध की परिधि में आ जाएगा।

अध्याय–5

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना

1. निर्वाचन कार्यक्रम की सार्वजनिक सूचना प्ररूप–2 में जारी की जाएगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के निर्वाचन का कार्यक्रम विभिन्न पदों के नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के साथ प्रारम्भ होगा। निम्नलिखित 6 पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगेः
   (1) महापौर, नगर निगम
   (2) पार्षद, नगर निगम
   (3) अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्
   (4) सदस्य, नगर पालिका परिषद्
   (5) अध्यक्ष, नगर पंचायत
   (6) सदस्य, नगर पंचायत

2. नगर निगम के महापौर एवं पार्षद पद के लिए नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय पर प्राप्त किए जाएंगे। जनपद मुख्यालय वाली नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्य पद के लिए नाम निर्देशन पत्र जनपद मुख्यालय पर तथा तहसील मुख्यालय वाली नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्य पद के लिए नाम निर्देशन पत्र तहसील मुख्यालय पर अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर प्राप्त किए जाएंगे एवं प्ररूप–3 में विवरण रखा जाएगा।

3. नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के स्थान पर निम्नानुसार मतदाता सूची की अधिकृत प्रति उपलब्ध होना आवश्यक हैः–

(1) जिला मुख्यालय पर महापौर/पार्षद पद के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के स्थान पर	नगर निगम की वार्डवार मतदाता सूची।
(2) नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य पद के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के स्थान पर	सम्बन्धित नगरीय निकाय की वार्डवार मतदाता सूची।

4. नाम निर्देशन पत्रों के प्ररूप पर्याप्त संख्या में रखे जाएंगे। रिटर्निंग अधिकारी नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के नियत दिनाँक के पूर्व पर्याप्त संख्या में इन प्ररूपों की व्यवस्था करा लें। एक अभ्यर्थी एक पद के लिए अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। चार से अधिक नाम निर्देशन किए जाने की दशा में प्रस्तुत किए गए केवल प्रथम चार नाम निर्देशन पत्रों पर ही विचार किया जाएगा और शेष को संक्षेपतः नामंजूर कर दिया जाएगा।

5. नाम निर्देशन पत्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय और स्थान पर रिटर्निंग अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी को ही प्रस्तुत हो सकेगा। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए एक से अधिक सहायक रिटर्निंग अधिकारी नाम निर्देशन पत्र प्राप्त कर सकेगा जो विशिष्ट रूप से इस कार्य के लिए प्राधिकृत किया गया हो। नगर निगम में वार्डवार नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी तैनात किए जा सकते हैं।

6. निर्वाचन के कार्यक्रम की सूचना प्रकाशित होने के पूर्व ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में निम्नांकित व्यवस्था समुचित रूप से कर ली जाएः–

(1) सम्बन्धित निकाय के सभी वार्डों की मतदाता सूचियों की प्रमाणित प्रतियों की उपलब्धता। जहाँ नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए एक से अधिक काउन्टर स्थापित किए गए हों, वहाँ वार्डों के अनुसार मतदाता सूचियों की आवश्यकता होगी।

(2) नाम निर्देशन पत्रों की मुद्रित प्रतियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता रहनी चाहिए। यदि मुद्रित प्रतियाँ कम पड़ जाएं तो उनकी फोटो प्रतियाँ भी कराई जा सकती हैं जिनको जारी करते समय रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी नाम निर्देशन पत्र के मुख पृष्ठ पर ऊपर की तरफ उस पर क्रमांक डालेगा एवं हस्ताक्षर करके अपनी मुहर लगाएगा। नाम निर्देशन पत्रों को परिशिष्ट–52 में दिए गए मूल्य का भुगतान करके प्राप्त किया जाएगा।

(3) नाम निर्देशन पत्र जमा करने, अभ्यर्थन वापस लिए जाने और निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की अलग–अलग सूची बनाकर प्रकाशित करना।

(4) उम्मीदवारों हेतु नाम निर्देशन पत्र तथा निक्षेप (जमानत) की धनराशि प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली रसीदों के लिए रसीद बही।

(5) आवश्यक लेखन सामग्री आदि की व्यवस्था व प्रतिदिन प्रस्तुत किए गए नाम निर्देशन पत्रों का विवरण रखना।

7. नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना

(1) कोई व्यक्ति जो किसी निकाय के महापौर/अध्यक्ष या किसी वार्ड के पार्षद/सदस्य पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देशित होना चाहता है, वह स्वयं या उसी वार्ड के अपने प्रस्तावक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को ऐसे दिनाँक, स्थान और समय पर जो नियत किए गए हों, नाम निर्देशन पत्र यथास्थिति विहित प्ररूप {5 से 5(ङ) तक} में भरकर उस पर अपना हस्ताक्षर या अपना अंगूठा निशान अंकित करके प्रस्तुत करेगा। अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र पर अपना एवं प्रस्तावक का फोटो भी लगाया जाना आवश्यक है। अभ्यर्थी अपना एक फोटो भी नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करेगा।

(2) जब कोई उम्मीदवार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियॉ या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किसी पद या स्थान के लिए निर्वाचन लड़ना चाहता है तो वह राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र एवं निर्धारित प्ररूप–6 पर शपथ पत्र संलग्न करते हुए अपने नाम निर्देशन पत्र में उसको इस बात की घोषणा करनी होगी कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का, जैसी भी स्थिति है, सदस्य है, विनिर्दिष्ट की जाएगी।

परन्तु यह भी कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित कोई अभ्यर्थी या किसी श्रेणी की महिला को अनारक्षित वार्ड से निर्वाचन लड़ने से विवर्जित नहीं किया जाएगा।

(3) कोई उम्मीदवार जिस वार्ड से निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करना चाहता है और उस वार्ड से भिन्न वार्ड में उसका नाम सम्मिलित है तो ऐसे उम्मीदवार द्वारा अपने नाम से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली या उसके सुसंगत भाग की एक प्रति या ऐसी नामावली की सुसंगत प्रविष्टियों की एक प्रमाणित प्रति, जब तक कि वह नाम निर्देशन पत्र के साथ फाइल न कर दी गई हो, संवीक्षा के समय तक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश की जा सकेगी।

(4) कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक परन्तु दो से अनधिक वार्डों से निर्वाचन लड़ सकेगा।

(5) कोई नाम निर्देशन पत्र उस दिनाँक तक जो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियत की गई हो, नियत समय समाप्त होने से पहले प्रस्तुत न किया गया हो तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(6) एक ही निर्वाचन क्षेत्र से किसी अभ्यर्थी की ओर से एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं किन्तु अभ्यर्थी की ओर से चार नाम निर्देशन पत्र प्रति निर्वाचन क्षेत्र से अधिक नहीं होंगे। चार से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाने की दशा में प्रस्तुत किए गए केवल प्रथम चार पर ही विचार किया जाएगा और शेष को संक्षेपतः नामंजूर कर दिया जाएगा।

(7) कोई मतदाता एक से अधिक अभ्यर्थी को प्रस्तावक के रूप में नाम निर्दिष्ट नहीं कर सकता। जहाँ किसी मतदाता ने एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन पत्रों पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर किया हो, वहाँ रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रथम नाम निर्देशन पत्र को छोड़कर शेष समस्त ऐसे नाम निर्देशन पत्र अविधिमान्य कर दिए जाएंगे।

(8) यदि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए इस निमित्त नियत दिनाँक व समय की समाप्ति के पूर्व तक कोई भी नाम निर्देशन पत्र प्राप्त न हो तो रिटर्निंग अधिकारी इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी को एवं जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी इसकी सूचना आयोग को देगा।

(9) प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक द्वारा नाम निर्देशन पत्र परिदत्त करते समय प्ररूप–7 में निम्नलिखित सूचना सत्यापित करते हुए एक शपथ पत्र परिदत्त किया जाएगाः–

(क) क्या वह किसी ऐसे लम्बित मामले में जिसमें सक्षम अधिकारिकता के न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है, दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए, अभ्युक्त ठहराया/ठहराई गयी है,

(ख) क्या वह किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया/ठहराई गयी है,जो एक वर्ष या उससे अधिक के कारावास से सम्बन्धित खण्ड(i) में निर्दिष्ट अपराध से भिन्न है,

(ग) किसी अभ्यर्थी की और उसके पति या उसकी पत्नी की या उसके आश्रितों की अस्तियों (अचल, चल, बैंक में अतिशेष आदि)के सम्बन्ध में,

(घ) दायित्व, यदि कोई हों, के संबंध में सूचना, विशिष्टतया यह कि क्या वे किसी सार्वजनिक, वित्तीय संस्थाओं के कोई अन्य देय हैं या केन्द्रीय या राज्य सरकार के देय हैं।

(ङ) अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में।

(10) **देयों के बकाये के भुगतान का प्रमाणपत्र**

किसी निर्वाचन में उम्मीदवार बनने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (परिशिष्ट–53) की धारा 13–घ के खण्ड (छ) या यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (परिशिष्ट–54) की धारा–25 की उपधारा (1) के खण्ड (च) में निर्दिष्ट देयों के एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाये का देनदार न होने का प्रमाणपत्र अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ देना होगा।

8. **नाम निर्देशन पत्रों के परिदान पर प्रक्रिया**

नाम निर्देशन पत्र जैसे ही प्रस्तुत किया जाए, उस पर उसके प्राप्त होने का क्रमांक, प्राप्त करने का दिनाँक और समय अंकित किया जाए। किसी उम्मीदवार द्वारा यदि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र अधिकतम 4 (चार) तक दाखिल किए जाते हैं तो पहले नाम निर्देशन पत्र पर कोष्ठक में प्रथम, दूसरे पर द्वितीय, तीसरे पर तृतीय तथा चौथे पर चतुर्थ

लिखा जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि जैसे ही कोई नाम निर्देशन पत्र दाखिल हो, वह निम्नांकित बिन्दुओं के सम्बन्ध में उसकी सरसरी तौर पर जाँच कर लेंः–

(1) क्या उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक का नाम व क्रमांक मतदाता सूची के अनुसार सही भरा गया है? यदि ऐसा न हो तो इस ओर उम्मीदवार का ध्यान आकर्षित करते हुए उसे त्रुटि को सुधारने का अवसर दिया जाए ।

(2) क्या नाम निर्देशन पत्र में उपरिलेखन (ओवर राइटिंग) या कटिंग तो नहीं है? यदि हो तो उसे प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित करवा लिया जाए।

(3) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार अपनी जाति/वर्ग के सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण भरे हैं? ऐसे उम्मीदवार के लिए नाम निर्देशन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अपनी जाति का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य होना लिख देना या प्ररूप में मुद्रित इन शब्दों के सामने केवल सही (✓) का निशान लगा देना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक जाति/वर्ग का यदि उल्लेख न किया गया हो तो ऐसा करने को कहा जाए तथा जाति/वर्ग का प्रमाणपत्र सावधानी पूर्वक देख लिया जाए।

(4) क्या उम्मीदवार ने अपना नाम साफ–साफ लिखा है जो आसानी से पढ़ने में आ जाता है? ऐसा न करने पर निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की सूची तैयार करना और मतपत्र में नाम मुद्रित कराने में गलती हो सकती है। उम्मीदवारों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि नाम निर्देशन पत्र में लिखे अनुसार ही उनका नाम मतपत्र में मुद्रित होगा। अतः वे जिस रूप में मतपत्र में अपना नाम मुद्रित कराना चाहते हैं, ठीक उसी रूप में लिखें।

(5) किसी नाम निर्देशन पत्र के प्रदत्त किए जाने पर रिटर्निंग अधिकारी इस प्रकार परिदान करने वाले व्यक्ति को उसकी संवीक्षा के दिन, समय और स्थान के विषय में सूचित करेगा और उस पर अपनी हस्तलिपि में निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगाः–

(क) उस वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या जिससे अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ने के लिए इच्छुक है,

(ख) ऐसे वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र हेतु नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या,

(ग) नाम निर्देशन पत्र का परिदान करने वाले व्यक्ति, साथ में ऐसे व्यक्ति की शिनाख्त करने वाले व्यक्ति, यदि कोई हो, का नाम,

(घ) दिनाँक और समय जब उसे नाम निर्देशन पत्र परिदत्त किया गया था।

9. नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के स्थान पर उस अवधि के दौरान जो अधिकारी नाम निर्देशन पत्र प्राप्त कर रहा है, उसको लगातार उपस्थित रहना आवश्यक है अन्यथा चुनाव प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी जा सकती है।

10. नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह पहले परिशिष्ट–52 के अनुसार धनराशि जमानत के रूप में रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा

कराएं। जहाँ किसी उम्मीदवार ने एक ही निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हैं, वहाँ एक से अधिक जमानत की धनराशि जमा करने की आवश्यकता न होगी। यदि उम्मीदवार महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य हो तो वह जमानत की आधी धनराशि ही जमा करेगा। जमानत की धनराशि की वापसी के विषय में परिशिष्ट–57 दृष्टव्य है।

11. नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित दिनाँक में प्रतिदिन प्राप्त हुए नाम निर्देशन पत्रों का विवरण रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के स्थान के बाहर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। यह सूचना प्ररूप–4 के अनुसार दी जाएगी तथा मतदाताओं की जानकारी के लिए उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इसी प्ररूप में एक रजिस्टर भी रखा जाए और उसमें अतिरिक्त एक स्तम्भ जोड़ कर नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक के हस्ताक्षर नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय प्राप्त करा लिए जाएं।

12. प्रतिदिन प्राप्त हुए नाम निर्देशन पत्रों की जानकारी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्ररूप–8 में उसी दिन जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को भेजी जाए।

13. नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाने के आखिरी दिनाँक को अन्तिम नाम निर्देशन पत्र दाखिल होने के उपरान्त प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की निर्वाचन क्षेत्रवार विवरणी प्ररूप–9 के अनुसार तैयार की जाए।

अध्याय–6

नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (स्क्रूटनी)

1. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा नियत दिनाँक, समय व स्थान पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. संवीक्षा कार्य नियत दिनाँक को निर्धारित समय पर प्रारम्भ कर दिया जाए। संवीक्षा के दौरान रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी और उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारियों के अतिरिक्त निम्नांकित व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं:–

   (1) उम्मीदवार, या

   (2) उम्मीदवार का निर्वाचन अभिकर्ता या उम्मीदवार का कोई प्रस्तावक या उम्मीदवार द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति।

3. किसी उम्मीदवार की ओर से प्रस्तुत सभी नाम निर्देशन पत्रों को पहले से ही एक साथ रख लिया जाए ताकि उनकी एक साथ संवीक्षा की जा सके।

4. सभी उम्मीदवार अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता या प्रस्तावक या उम्मीदवार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्राप्त समस्त नाम निर्देशन पत्रों के परीक्षण का पूर्ण अवसर दिया जाए ।

5. किसी नाम निर्देशन पत्र को निम्नांकित में से किसी आधार पर अस्वीकृत किया जा सकता है:–

   (1) अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–43 कक तथा 13 (ग) व (घ) (संलग्न परिशिष्ट–53) एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–24, 25 व 11 के अन्तर्गत अर्ह नहीं है या अनर्ह है (संलग्न परिशिष्ट–54)।

   (2) अभ्यर्थी उस व्यक्ति के समरूप नहीं है, जिसका नम्बर व नाम मतदाता सूची में नाम निर्देशन पत्र में उक्त अभ्यर्थी के नम्बर व नाम के रूप में दिया है।

   (3) अभ्यर्थी या प्रस्तावक का हस्ताक्षर व अँगूठा निशानी वास्तविक नहीं है या उसे छद्म, जबरदस्ती या अवॉछित प्रभाव द्वारा प्राप्त किया गया है।

   (4) अभ्यर्थी अध्याय–5 के प्रस्तर 7 और 8 के निर्देशों का अनुपालन करने में विफल हुआ हो।

   (5) अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा निर्धारित जमानत की धनराशि न जमा की हो या न जमा कराई हो।

   (6) अभ्यर्थी ने निर्वाचित किए जाने हेतु यथास्थिति सदस्य या पार्षद पद के लिए 21 वर्ष तथा अध्यक्ष या महापौर पद के लिए 30 वर्ष की अपेक्षित न्यूनतम आयु प्राप्त नहीं की है।

   (7) प्रस्तावक को उस वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता के रूप में नामावलीगत नहीं किया गया है जिसके लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है।

   (8) प्रस्तावक ने एक ही वार्ड में एक से अधिक अभ्यर्थियों के लिए नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर किया है तो प्रथम अभ्यर्थी के नाम निर्देशन पत्र को छोड़कर शेष समस्त अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र अविधिमान्य हो जाएंगे।

   (9) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के मामले में उम्मीदवार ऐसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य या महिला, जैसे भी स्थिति हो, नहीं है।

6. यदि नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय किसी उम्मीदवार की हैसियत आरक्षित सीट के सापेक्ष निर्वाचित किए जाने के लिए पात्रता पर विचार किए जा रहे किसी अभ्यर्थी की प्रास्थिति के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होता है तो रिटर्निंग अधिकारी उस अभ्यर्थी की दावेदारी के समर्थन में निर्दिष्ट मूल प्रमाणपत्र अथवा कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने को कह सकता है। ऐसे साक्ष्य की संवीक्षा के पश्चात्, रिटर्निंग अधिकारी यह घोषणा करेगा कि नगर पालिका की किसी आरक्षित सीट से निर्वाचित किए जाने हेतु पात्र होने का अभ्यर्थी का दावा स्वीकार्य है, अथवा नहीं।

7. प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र के बारे में रिटर्निंग अधिकारी यह समाधान कर लें कि नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य है। यदि नाम निर्देशन पत्र की वैधता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाए तो उसका निपटारा करने के लिए संक्षिप्त जाँच करनी चाहिए और यदि आरोप को प्रथम दृष्ट्या खारिज न किया जा रहा हो तो अभ्यर्थी को उसका खण्डन करने का अवसर निर्धारित अवधि के अन्दर दिया जाना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर के लिए प्रत्येक आपत्ति पर अपना विनिश्चय लिखित रूप में दर्ज करना आवश्यक है।

8. यह ध्यान रखने योग्य है कि किसी आपत्ति को सिद्ध करने का दायित्व आपत्तिकर्ता पर है। संवीक्षा में किसी लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी भूल या ऐसी त्रुटि पर जो सारभूत प्रकार की न हो, ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। कोई नाम निर्देशन पत्र मात्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि संवीक्षा के समय उम्मीदवार या उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं था। यदि किसी उम्मीदवार के नाम निर्देशन पत्र पर यह आपत्ति की गयी है कि उक्त उम्मीदवार का नाम किसी अन्य नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में भी सम्मिलित है तो ऐसी परिस्थिति में उम्मीदवार को प्रतिवाद करने का अवसर दिया जाना चाहिए तथा दोनों पक्षों का विधिवत् साक्ष्य लेकर तथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वयं भी जाँच कर निश्चित रूप से निर्णय दिया जाना चाहिए कि किस स्थान पर उम्मीदवार का नाम मतदाता सूची में सही रूप में अंकित है तथा उम्मीदवार से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जा सकता है कि अन्य नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में उसका नाम गलत रूप से अंकित है जिसकी उसको जानकारी नहीं है और न ही उसने उस प्रविष्टि का कभी किसी रूप में उपयोग किया है तथा वह सामान्यतः वहाँ निवास नहीं करता है और किसी अन्य स्थान से नाम निर्देशन पत्र भी नहीं भरा है। किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि इस तथ्य की निश्चायक साक्ष्य होगी कि उक्त प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति उक्त वार्ड का एक निर्वाचक है, जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि वह अधिनियम में उल्लिखित अनर्हता से ग्रस्त है।

9. आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र पर उसे स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में निश्चित मत लिखित रूप में अंकित किया जाए। यदि नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत करने का निर्णय हो तो ऐसे के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख अवश्य किया जाए।

10. यदि किसी उम्मीदवार ने एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए हैं और उनमें से यदि एक भी स्वीकृत हो जाता है तो वह उम्मीदवार विधिक दृष्टिकोण से उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से नाम निर्दिष्ट समझा जाएगा।

11. समस्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा पूरी हो जाने के बाद रिटर्निंग अधिकारी उन उम्मीदवारों के, जिनके नाम निर्देशन पत्र स्वीकार कर लिए गए हैं, उन विधिमान्य उम्मीदवारों की एक सूची प्ररूप–10 में तैयार करेगा और इस सूची को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा यथासंभव स्थानीय समाचार पत्र में तत्काल प्रकाशित कराएगा। इस सूची में उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णमाला (देवनागरी लिपि) के वर्णानुक्रम में होंगे।

अध्याय–7

अभ्यर्थन वापसी तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन

1. कोई भी अभ्यर्थी लिखित नोटिस द्वारा अपना अभ्यर्थन वापस ले सकता है जिसमें उसके हस्ताक्षर होंगे और सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को उक्त उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, जो ऐसे उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, अभ्यर्थन वापसी के लिए नियत दिनाँक को व नियत समय के पूर्व दी जाएगी। अभ्यर्थन वापस लेने की सूचना निर्धारित प्ररूप–11 पर सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

2. अभ्यर्थन वापसी की नोटिस उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। ऐसी नोटिस यदि प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाए तो वह तभी स्वीकार की जा सकती है जबकि उसके साथ नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय उम्मीदवार को दी गयी रसीद एवं उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत किया गया पत्र भी सम्मिलित हो। बगैर उसके नोटिस ग्राह्य नहीं होगी।

3. एक बार अभ्यर्थन वापस लेने की नोटिस दिए जाने के बाद उसे निरस्त किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. अभ्यर्थन वापसी की नोटिस की वास्तविकता तथा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की पहचान के सम्बन्ध में रिटर्निंग अधिकारी अपना समाधान कर लेगा और यदि उक्त नोटिस प्रस्तुत करने वाला कोई प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता है तो वह उम्मीदवार द्वारा इस निमित्त दिए गए अधिकार पत्र को ठीक से देख कर उसमें किए गए हस्ताक्षर का मिलान नाम निर्देशन पत्र में किए गए हस्ताक्षर से कर लेगा। अभ्यर्थन वापस लिए जाने की नोटिस पर उसके प्रस्तुत किए जाने का दिनाँक और समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अंकित किया जाएगा। यह अवश्य अंकित किया जाए कि अभ्यर्थन वापस लिए जाने की नोटिस किसके द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

5. जिन उम्मीदवारों ने अभ्यर्थन वापस ले लिए हों, उनकी सूचना प्ररूप–12 में सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड अथवा किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी तथा स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित कराई जाएगी।

6. यदि किसी निर्वाचन के लिए नाम निर्देशित सभी उम्मीदवारों द्वारा अपना अभ्यर्थन वापस ले लिया जाए तो रिटर्निंग अधिकारी इसकी सूचना तुरन्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को देगा जो इसकी सूचना उसी दिन आयोग को देगा।

7. अभ्यर्थन वापस लेने का समय समाप्त होने के तत्काल पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तीन भाग में प्ररूप–13 में तैयार की जाएगी। प्रथम भाग में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची हिन्दी वर्णमाला (देवनागरी लिपि) क्रम में तैयार की जाएगी। द्वितीय भाग में अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों, तात्कालिक या/अनन्तिम रूप से सामयिक (प्रोविजनल) पंजीकृत दलों की सूची एवं तृतीय भाग में निर्दलीय निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची हिन्दी वर्णमाला (देवनागरी लिपि) क्रम में तैयार की जाएगी। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को आवंटित प्रतीक उनके नाम के सम्मुख लिखे जाएंगे। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों से आशय उन उम्मीदवारों से है, जिनके नाम संवीक्षा में वैध पाए गए हैं और जिन्होंने अभ्यर्थन वापस लेने के लिए निर्धारित समय के अन्त तक अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली है। सूची में प्रत्येक उम्मीदवार का नाम और पता ठीक उसी प्रकार लिखा जाए जैसा उसने नाम निर्देशन पत्र में लिखा हो। वर्णानुक्रम का अवधारण उम्मीदवारों के वास्तविक नामों के अनुसार किया जाएगा।

8. भारत सरकार द्वारा हिन्दी वर्णमाला की प्रति परिशिष्ट–55 पर उपलब्ध है। वर्णानुक्रम के अनुसार सूची में नाम व्यवस्थित करते समय निम्नांकित बातों का ध्यान रखा जाए :–

(1) उम्मीदवार द्वारा नाम निर्देशन पत्र में जिस रूप में नाम लिखा गया है उसके प्रथम अक्षर के आधार पर वर्णानुक्रम निर्धारित किया जाएगा।

(2) यदि उम्मीदवार ने अपना नाम पूरे अक्षरों में न लिखकर संक्षिप्त में लिखा है तो वर्णानुक्रम निर्धारित करते समय संक्षिप्त अक्षरों की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा। उदाहणार्थः–

(क) यदि किसी उम्मीदवार राज कुमार ने अपना नाम आर. कुमार लिखा है तो 'आर' के बजाय उसका वर्णानुक्रम 'कुमार' शब्द के प्रथम अक्षर 'कु' के आधार पर निर्धारित होगा। यदि उम्मीदवार कमल कुमार शर्मा ने अपना नाम क0कु0 शर्मा लिखा है तो 'क' के बजाय उसका वर्णानुक्रम 'शर्मा' शब्द के प्रथम अक्षर 'श' से निर्धारित होगा।

परन्तु संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग करने वाले दो या दो से अधिक नामों में समानता होने पर उन नामों के संक्षिप्त अक्षरों का विभेद करके वर्णानुक्रम निर्धारित किया जाएगा। उदाहरणार्थ के.के. भारद्वाज और बी.के. भारद्वाज में भारद्वाज समान होने पर पारस्परिक क्रम निर्धारण में उनके संक्षिप्त अक्षरो के प्रथम अक्षर को विचार में लिया जाएगा। इस आधार पर के.के. भारद्वाज का नाम पहले और बी.के. भारद्वाज का नाम बाद में आयगा क्योंकि देवनागरी वर्णानुक्रम (संलग्न परिशिष्ट–55) में ''क'' अक्षर ''ब'' अक्षर के पहले आता है।

(ख) संयुक्ताक्षरों वाले नामों में वर्णानुक्रम संयुक्त अक्षर वर्णानुक्रम के पहले वर्ण के आधार पर निर्धारित किया जायगा। उदाहरणार्थ–विद्याधर तथा विज्ञान में पहले विज्ञान आयगा क्योंकि ''ज्ञ'' संयुक्ताक्षर में पहला वर्ण ''ज'' है तथा ''द्य'' संयुक्ताक्षर में पहला वर्ण ''द'' है। अतः ''ज'' के पश्चात् ''द'' वर्ण का विभेद रखते हुए विज्ञान के पश्चात् विद्याधर नाम को क्रम में रखा जायगा।

(ग) शत्रुञ्जय तथा शत्रुघ्न में शत्रु शब्द समान है, उसके पश्चात् क्रमशः ''ञ'' वर्ण तथा ''घ'' वर्ण है। चूँकि ''घ'' वर्ण वर्णानुक्रम (परिशिष्ट–55) में ''ञ'' वर्ण से पूर्व है, अतः पहले शत्रुघ्न नाम होगा, तत्पश्चात् शत्रुञ्जय नाम आएगा।

(घ) किसी भी उम्मीदवार द्वारा अपने नाम के साथ आदर सूचक शब्द, शैक्षिक योग्यता दर्शाने वाले शब्द, पैत्रक नाम या व्यवसाय दर्शाने वाले शब्द जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे शब्दों (उपाधियों आदि) में डाक्टर, वैद्य, आचार्य, पंडित, प्रोफेसर, हकीम, मेजर, कर्नल, ठाकुर, हाजी, मौलवी, महन्त, कुँवर आदि बहुधा प्रयोग में लाये जाते हैं परन्तु नामों का वर्णानुक्रम निर्धारित करते समय ऐसे शब्दों पर ध्यान नही दिया जायगा। उदाहरणार्थ– यदि किसी उम्मीदवार ने अपना नाम डा0 राम किशोर लिखा है तो उसका वर्णानुक्रम ''रा'' अक्षर के आधार पर निर्धारित किया जायगा, ''डा0'' शब्द के आधार पर नहीं।

(ङ) यदि दो या अधिक उम्मीदवारों के नाम एक समान हों तो उनके नामों के आगे उनके पिता के नामों को जोड़कर उन्हें सुभिन्न किया जाए और उनके नामों के क्रम का निर्धारण उनके सुभिन्न नामों के आधार पर किया जाए और विस्तारित नामों को ही निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में लिखा जाए। उदाहरण के लिए राम अवतार पुत्र श्री बाबू लाल तथा राम अवतार पुत्र श्री आत्म किशोर, नामों में राम अवतार पुत्र श्री आत्म किशोर का नाम पहले लिखा जाएगा और राम अवतार पुत्र श्री बाबूलाल का नाम उसके बाद लिखा जाएगा क्योंकि हिन्दी वर्णमाला में ''अ'' अक्षर ''ब'' से पहले आता है परन्तु यदि

उम्मीदवारों के नाम तथा पिता का नाम एक ही हो तो उनके निर्वाचक नामावली में प्रदर्शित आयु को आधार मानकर उनके बीच विभेद किया जाय। सूची में अधिक आयु वाले उम्मीदवार का नाम पहले आएगा। यदि दो उम्मीदवारों के नाम उनके पिता का नाम तथा आयु भी एक समान हो तो उम्मीदवार के निर्वाचक नामावली में अंकित मकान संख्या से विभेद किया जाए। कम मकान नम्बर वाले उम्मीदवार का नाम सूची में पहले आएगा।

(च) एक ही अक्षर से प्रारम्भ होने वाले नामों में पूर्ण अक्षरों से प्रारम्भ होने वाले नाम पहले और संयुक्त अक्षर से प्रारम्भ होने वाले नाम बाद में लिखे जायेंगे। जैसे कि सरला माथुर में पहले ''सरला माथुर'' का नाम लिखा जाएगा और बाद में ''स्मिता माथुर'' का।

(छ) यदि दो उम्मीदवारों के नाम के प्रथम अक्षर एक जैसे हों तो नाम के द्वितीय अक्षर को ध्यान में रखकर वर्णानुक्रम निर्धारित किया जायगा। इसी प्रकार यदि नाम के प्रथम और द्वितीय अक्षर एक जैसे हों तो तीसरे अक्षर के आधार पर वर्णानुक्रम तय किया जायगा और यही क्रम आगे भी जारी रहेगा। उदाहरण के लिये राम कुमार तथा राम अवतार नामों में प्रथम दो शब्द ''राम'' एक जैसे हैं, अतः तृतीय अक्षर 'कु' तथा 'अ' के आधार पर वर्णानुक्रम तय किया जायगा अर्थात् राम अवतार पहले तथा राम कुमार बाद में लिखा जायगा।

9. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होते ही उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रतीक आयोग द्वारा अधिसूचित प्रतीकों में से आवंटित किए जाएंगे। आयोग द्वारा अधिसूचित निर्वाचन प्रतीक निम्न प्रकार के होंगे।

(1) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों हेतु आरक्षित प्रतीक।

(2) अमान्यता प्राप्त एवं तात्कालिक या/अनन्तिम रूप से सामयिक (प्रोविजनल) पंजीकृत दलों हेतु मुक्त प्रतीक।

(3) नगर पंचायतों एवं नगर पालिका परिषद्ों के अध्यक्ष तथा नगर निगमों के महापौर पद हेतु निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए मुक्त प्रतीक।

(4) नगर पंचायतों एवं नगर पालिका परिषद्ों के सदस्य तथा नगर निगमों के पार्षद पद हेतु निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए मुक्त प्रतीक।

10. नगरीय निकायों के निर्वाचन में उम्मीदवारों द्वारा प्रतीकों का चयन और उनका आवंटन निम्नवत् किया जाएगा :–

(1) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आवंटन

(क) आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के आरक्षित प्रतीकों की सूची जारी की जाएगी।

(ख) नगरीय निकायों में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को उनके दल के लिए आरक्षित प्रतीक आवंटित किया जाएगा।

(ग) यदि कोई मान्यता प्राप्त दल किसी नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करता है तो भी उस दल के लिए आरक्षित प्रतीक अन्य किसी भी उम्मीदवार को आवंटित नहीं किया जाएगा।

(घ) यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का उम्मीदवार किसी नगरीय निकाय निर्वाचन में उस दल के लिए आरक्षित किए गए निर्वाचन प्रतीक का चयन करता है तो उसे उस दल के लिए आरक्षित प्रतीक आवंटित किया जाएगा। प्रतिबन्ध यह है कि उस दल ने अपने द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार को वह प्रतीक अनन्य रूप से आवंटित करने हेतु आवेदन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दल के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को ऐसे निर्वाचन में नामांकन के अन्तिम दिनाँक तक अपराह्न 3.00 बजे तक दे दिया हो, अन्यथा आरक्षित प्रतीक का आवंटन नहीं किया जाएगा।

(2) अमान्यता प्राप्त एवं तात्कालिक या/अनन्तिम रूप से सामयिक (प्रोविजनल) पंजीकृत दलों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आवंटन

(क) दल के अधिकृत उम्मीदवार को आयोग द्वारा अमान्यता प्राप्त एवं तात्कालिक या/ अनन्तिम रूप से सामयिक (प्रोविजनल) पंजीकृत दलों हेतु अधिसूचित मुक्त प्रतीकों में से जैसा कि ऐसे दल के अधिकृत उम्मीदवार ने चाहा है, प्रतीक आवंटित किया जा सकता है। नगरीय निकायों के निर्वाचन के तुरन्त पूर्व प्रदेश में विधानसभा अथवा लोकसभा के निर्वाचन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत दलों को जो प्रतीक आवंटित होगा वही प्रतीक ऐसे पंजीकृत दलों को नगरीय निकायों के निर्वाचन में आयोग द्वारा आवंटित किए जाने में वरीयता दी जाएगी। ऐसे दल जिन्हें आयोग द्वारा प्रतीक आवंटित नहीं किया गया है उन दलों द्वारा संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को पाँच प्रतीकों का अधिमान निर्धारित प्ररूप में दिया जाएगा।

(ख) यदि दो या दो से अधिक दल प्रथम अधिमान में एक ही प्रतीक की मांग करते हैं तो उनके बीच लाटरी डालकर निर्णय किया जाएगा। इसी प्रकार दो या दो से अधिक दल द्वितीय अधिमान में एक ही प्रतीक की मांग करते हैं तो उपर्युक्तानुसार उनके बीच लाटरी डालकर निर्णय किया जाएगा। इसी प्रकार आगे के अधिमानों में भी कार्यवाही की जाएगी।

(ग) ऐसे दल द्वारा मांगा गया प्रतीक उस दल के उम्मीदवार को ही आवंटित किया जाएगा परन्तु उम्मीदवार को उस प्रतीक के आवंटन हेतु आवेदन उस दल के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को उम्मीदवारी की तिथि नामांकन के अन्तिम दिनांक तक अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा प्रतीक अनारक्षित मान लिया जाएगा और यह प्रतीक अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों और तात्कालिक या/अनन्तिम रूप से सामयिक (प्रोविजनल) पंजीकृत दलों के अन्य उम्मीदवारों को आवंटित किया जा सकता है।

(घ) निर्वाचन प्रतीक आवंटन के संबंध में उपर्युक्त प्रस्तर–10(2)(i) में किसी अन्यथा बात के होते हुए भी यदि अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों एवं तात्कालिक या/अनन्तिम रूप से सामयिक (प्रोविजनल) पंजीकृत दलों के मध्य एक ही प्रतीक के लिए आवेदन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तुरन्त पूर्व सम्पन्न कराए गए विधानसभा अथवा लोकसभा निर्वाचन में जिस दल को वह प्रतीक आवंटित किया गया है, उसी दल को वह प्रतीक आवंटित कर दिया जाएगा। यदि दोनों दलों में से किसी को भी तुरन्त पूर्व सम्पन्न विधानसभा अथवा लोकसभा निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोई प्रतीक आवंटित नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल को वरीयता प्रदान की जाएगी।

(3) निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आवंटन

(क) आयोग द्वारा निर्दलीय उम्मीदवारों हेतु अधिसूचित मुक्त प्रतीकों में से निर्दलीय उम्मीदवारों को निर्धारित प्ररूप पर उनके द्वारा दिए गए पाँच प्रतीकों के अधिमान के क्रम के अनुसार प्रतीक आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए महापौर/अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों हेतु मुक्त प्रतीकों की सूची निर्गत की गयी है और पार्षद/सदस्य पद के उम्मीदवारों हेतु मुक्त प्रतीकों की सूची अलग से जारी की गई है। अतः निर्दलीय उम्मीदवार जिस पद पर निर्वाचन लड़ना चाहता है उस पद हेतु निर्धारित मुक्त प्रतीकों में से ही पाँच प्रतीकों का चयन करेगा। यदि उसके द्वारा कोई प्रतीक चयन नहीं किया जाता है तो उसके पद के लिए निर्धारित मुक्त प्रतीकों में से कोई भी प्रतीक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आवंटित किया जा सकता है।

(ख) यदि निर्वाचन प्रतीकों की वरीयता क्रम में दो से अधिक निर्दलीय प्रत्याशी प्रथम स्थान पर एक ही निर्वाचन प्रतीक दर्शाते हैं तो उनके बीच लाटरी की रीति से निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जाएगा। जिस दल के नाम की लाटरी खुले उसे ही वह निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जाएगा।

(ग) यदि निर्वाचन प्रतीकों की वरीयता क्रम में दो या दो से अधिक निर्दलीय प्रत्याशी द्वितीय अथवा आगे के स्थान के लिए एक ही निर्वाचन प्रतीक देते हों तो उनके बीच लाटरी की उपर्युक्त खण्ड (ii) में वर्णित रीति से निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जाएगा।

11. कोई भी प्रत्याशी किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया तभी और केवल तभी समझा जाएगा जबः–

(1) उस प्रत्याशी ने इस आशय की घोषणा अपने नाम निर्देशन पत्र में कर दी हो।

(2) इस आशय की लिखित सूचना सम्बन्धित दल के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्ररूप–7क में नामांकन के लिए निर्धारित अन्तिम दिनाँक व समय से पूर्व सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को प्रदत्त कर दी गई हो।

(3) उक्त सूचना दल के अध्यक्ष (राष्ट्रीय/प्रदेश)/सचिव अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप पर हस्ताक्षरित हो।

(4) ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं उनके नमूने के हस्ताक्षर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी तथा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी को उम्मीदवारी के लिए निर्धारित अन्तिम दिनाँक व समय तक प्ररूप 7ख में सूचित किया गया हो।

(5) यदि दल के अध्यक्ष (राष्ट्रीय/प्रदेश)/सचिव द्वारा अपने से भिन्न उसी दल के अन्य किसी पदधारी को प्राधिकृत किया जाता है तो वह प्ररूप–7ख पर ऐसे पदधारी के हस्ताक्षर प्रमाणित करेगा और इसे सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी को नामांकन के अन्तिम दिनाँक व समय तक उपलब्ध कराएंगे। यह प्रपत्र–7ख दल के अध्यक्ष (राष्ट्रीय/प्रदेश)/सचिव के मूल हस्ताक्षर में होगा। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे प्राप्त प्रपत्र–7ख की छायाप्रतियाँ कराकर रिटर्निंग अधिकरी को उपलब्ध कराएंगे।

(6) प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा अपने समर्थक उम्मीदवार के पक्ष में निर्गत किए जाने वाले प्ररूप–7क एवं 7ख की सूचना निम्नलिखित दशाओं में मान्य नहीं होगी।

(क) यदि उक्त प्ररूप–7क व 7ख की सूचना फैक्स के माध्यम से प्राप्त होती है।

(ख) यदि उक्त प्ररूप–7क व 7ख की सूचना सत्यप्रतिलिपि हस्ताक्षर या मुहर द्वारा हस्ताक्षर से प्राप्त होती है।

(7) यदि प्ररूप–7क में दल के अध्यक्ष (राष्ट्रीय/प्रदेश)/सचिव द्वारा प्रत्याशियों को सीधे अधिकृत किया गया है तो प्ररूप 7ख की आवश्यकता नहीं होगी अर्थात् प्ररूप–7क पर दल के अध्यक्ष (राष्ट्रीय/प्रदेश)/सचिव के हस्ताक्षर एवं मुहर के आधार पर ही उसे सम्बन्धित दल का प्रत्याशी माना जाएगा।

(8) यदि प्रत्याशी नामांकन के लिए निर्धारित अन्तिम दिनाँक व समय से पूर्व प्ररूप–7क व 7ख प्रस्तुत करने में सफल नहीं होता है तो उस उम्मीदवार को निर्दलीय उम्मीदवार माना जाएगा बशर्ते उसका नामांकन अन्य सभी प्रकार से वैध हो।

(9) यदि किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष (राष्ट्रीय/प्रदेश)/सचिव अथवा अध्यक्ष (राष्ट्रीय/ प्रदेश)/सचिव द्वारा प्राधिकृत पदधारी द्वारा उस राजनीतिक दल की ओर से प्ररूप–7क पर एक उम्मीदवार को प्राधिकृत किया गया है और इसके पश्चात् ऐसे प्राधिकृत उम्मीदवार के प्राधिकार पत्र को निरस्त करके दूसरे उम्मीवार के पक्ष में पुनः प्ररूप–7क पर प्राधिकार पत्र निर्गत कर दिया गया है और ऐसा प्राधिकार पत्र नामांकन के लिए नियत अन्तिम दिनाँक एवं समय के पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है तो ऐसे मामलों में रिटर्निंग अधिकारी बाद में प्राधिकृत उम्मीदवार को उस राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार मानेगा। लेकिन यदि उस दल के अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत पदधारी द्वारा पहले उम्मीदवार को निर्गत प्ररूप–7क को निरस्त नहीं किया गया है और किसी दूसरे उम्मीदवार को पुनः प्ररूप–7क निर्गत कर दिया है और ऐसा प्ररूप–7क नामांकन के लिए निर्धारित अन्तिम दिनाँक व समय के पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है तो ऐसे मामलों में जिस उम्मीवार द्वारा सबसे पहले अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा, वही उम्मीदवार उस दल द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार माना जाएगा। शेष सभी उम्मीदवार उस दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार नहीं माने जाएंगे। ऐसे सभी उम्मीदवार/उम्मीदवारों को निर्दलीय प्रत्याशी माना जाएगा बशर्ते उनका नामांकन अन्य सभी प्रकार से वैध हो।

12. निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को आवंटित निर्वाचन प्रतीक का नमूना उपलब्ध कराया जाएगा तथा प्रतीक की प्राप्ति स्वरूप उससे रसीद भी अनिवार्य रूप से ली जाएगी जिसे अभिलेखों में समुचित रूप से रखा जाएगा, साथ ही प्ररूप–13 में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के सामने उस आवंटित निर्वाचन प्रतीक का उल्लेख करते हुए उसे तत्काल सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा।

13. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक–एक प्रति प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को दी जाएगी और 3 प्रतियाँ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को भेजी जाएगी जो उसकी एक प्रति तत्काल फैक्स या विशेष वाहक के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे जिससे कि मतपत्रों की छपाई हेतु यथा आवश्यक निर्देश जारी हो सके तथा दूसरी प्रति मतपत्रों के मुद्रण हेतु आयोग द्वारा निर्धारित मुद्रणालय को विशेष वाहक द्वारा भेजी जाएगी एवं तीसरी प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) के कार्यालय में संदर्भ के लिए रहेगी।

अध्याय–8

निर्विरोध निर्वाचन

1. नगरीय निकाय के किसी निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थन वापसी के बाद यदि निर्वाचन लड़ने वाला एक ही उम्मीदवार रहता है अथवा किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक ही उम्मीदवार द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है और संवीक्षा में वह सही पाया गया है तथा अभ्यर्थन वापस भी नहीं लिया गया है तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे उम्मीदवार को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा और निर्वाचित होने का प्रमाणपत्र यथास्थिति विभिन्न पदों के लिए निर्धारित प्ररूप–45 ,47, 49, 51, 53 एवं 55 पर देगा।

2. रिटर्निंग अधिकारी ऐसे निर्वाचित घोषित उम्मीदवारों के नाम और उनके स्थानों का प्रकार (आरक्षित है या अनारक्षित) जिन पर वे निर्वाचित हुए हैं, की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा।

3. निर्विरोध निर्वाचन से सम्बन्धित घोषणा जिला निर्वाचन अधिकारी को अत्यन्त तत्परता से प्रेषित की जाए ताकि जिला निर्वाचन अधिकारी पूरे जिले से इस प्रकार प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल भेज सकें।

अध्याय–9

मतपत्र और मतपेटियाँ

1. निर्वाचन में प्रयोग होने वाला प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्ररूप और डिजाइन का होगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के निर्वाचकों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मतपत्र मुद्रित कराये जाते हैं। मतपत्रों की संख्या प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के कुल मतदाताओं की संख्या को उनके निकटतम 100 (सौ) के गुणांक में करके आंकलित की जाएगी।

2. नगरीय निकायों में सदस्य व अध्यक्ष, नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद् तथा पार्षद व महापौर नगर निगम के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु मतदान होता है, अतः मतदाताओं की सुविधा के लिए तथा मतदान के बाद मतगणना के समय पदवार मतपत्र छाँटने के लिए मतपत्रों का मुद्रण अलग–अलग रंग के कागजों पर कराया जाता है, जो निम्नवत् हैः–

(1)	नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद् के सदस्य तथा नगर निगम के पार्षद (ई0वी0एम0 हेतु) के लिए	–	गुलाबी
(2)	नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए	–	सफेद
(3)	नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष के लिए	–	हरा
(4)	नगर निगम के महापौर (ई0वी0एम0 हेतु) के लिए	–	नीला

उपरोक्त मतपत्रों के रंग आयोग द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं।

3. निर्वाचक को मतपत्र जारी करने से पूर्व उसके पीछे सुभिन्नक चिह्न वाली सील (distinguishing mark.) अवश्य लगा लिया जाए।

4. मतपत्रों के वितरण से पूर्व उस पर क्रमाँक के लिखे होने अथवा अंकित होने को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। यह क्रमाँक मतपत्र तथा उसके प्रतिपर्ण पर एक सा होना चाहिए।

5. मतदान दलों को मतपत्र का वितरण मतदान के दिनाँक से एक दिन पूर्व किया जाना चाहिए। प्रत्येक दशा में पीठासीन अधिकारियों को सामग्री वितरण के स्थान से सीधे मतदान स्थलों को भेजा जाए और उनके साथ सुरक्षा गार्ड भी लगाये जाएं।

6. मतपत्रों को मोड़ने की विधि भी निर्वाचन के प्रशिक्षण में मतदान कार्मिकों को भली भाँति समझा दिया जाना चाहिए।

7. मतपेटियों एवं ई0वी0एम0 को प्रयोग करने की विधि निर्वाचन के प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारियों को भली भाँति बता दिया जाए। यह उपयुक्त होगा कि सभी पीठासीन अधिकारी मतपेटियों को खोलने व उन्हें बन्द करने एवं ई0वी0एम0 को प्रयोग करने की विधि का अभ्यास प्रशिक्षण के दौरान कर लें।

8. रिटर्निंग अधिकारी का यह दायित्व है कि जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) से मतपेटियाँ एवं ई0वी0एम0 प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि सभी मतपेटियाँ एवं ई0वी0एम0 ठीक हालत में हैं।

अध्याय–10

निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता तथा गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

1. निर्वाचन अभिकर्ता

(1) निर्वाचन के समय अभ्यर्थी विहित रीति से स्वयं से भिन्न ऐसे व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता/सकती है जो उससे सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ रहा है तथा जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक आरोप किसी कानूनी न्यायालय द्वारा विरचित नहीं किए गए हैं और जब कोई ऐसी नियुक्ति की जाती है तब नियुक्ति का नोटिस विहित रीति से रिटर्निंग अधिकारी को दी जाएगी।

(2) कोई भी व्यक्ति राज्य में नगर पालिकाओं यथास्थिति सदस्य या पार्षद या अध्यक्ष या महापौर के निर्वाचन में मत देने के लिए तत्समय अपात्र हो, उस समय तक जब तक अपात्रता रहती है, किसी निर्वाचन में निर्वाचन अभिकर्ता होने के लिए अपात्र होगा।

(3) किसी निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का कोई भी प्रतिसंहरण अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दाखिल करने के दिनाँक से प्रवृत्त होगा।

(4) निर्वाचन अभिकर्ता के उक्त प्रतिसंहरण या मृत्यु की स्थिति में चाहे वह निर्वाचन के पूर्व या दौरान या चुनाव के पश्चात् पारित हो, लेकिन प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने के पूर्व घटित हो, अभ्यर्थी विहित रीति से दूसरे व्यक्ति को अपनी/अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकती/सकता है और जब ऐसी नियुक्ति की जाती है, तब नियुक्ति की सूचना विहित रीति से दी जाएगी।

(5) कोई निर्वाचन अभिकर्ता निर्वाचन के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जो किसी निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा सम्पादित किए जाने हेतु विहित है।

(6) प्रत्येक निर्वाचन में जहाँ मतदान किया जाता है, ऐसे निर्वाचन में प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता के पास यह अधिकार होगा कि वह मतदान के निमित्त किसी भी मतदान केन्द्र पर या मतदान हेतु नियत स्थान पर उपस्थित रहे।

(7) निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का नोटिस प्ररूप–15 में विहित रीति से रिटर्निंग अधिकारी को दी जाएगी और उस पर निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त किए जा रहे व्यक्ति की फोटो भी लगाई जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति की एक प्रति अपने पास अभिलेख के रूप में रखेगा। निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति रद्द करने की सूचना प्ररूप–16 पर दी जा सकती है। मा0 सांसदों, मा0 विधायकों, मा0 मंत्रीगण, मा0 जिला पंचायत अध्यक्षों, मा0 ब्लाक प्रमुखों, विशिष्ट/अतिविशिष्ट व्यक्तियों, भूतपूर्व सांसदों, भूतपूर्व विधायकों, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों तथा भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों में किसी लाभ के पद धारक को निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

2 मतदान अभिकर्ता

(1) कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता और अवमुक्ति अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है।

(2) किसी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के किसी प्रतिसंहरण पर अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और वह उस दिनाँक से प्रवर्तित होगा जिस दिनाँक को इसे ऐसे अधिकारी जैसा कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, को सौंपा जाए और मतदान समाप्त होने के पूर्व किसी मतदान अभिकर्ता के ऐसे किसी प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु की स्थिति में अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतदान समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय दूसरे मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है और ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में सूचना तत्काल ऐसे अधिकारी को देगा जैसा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए।

(3) मतदान अभिकर्ता मतदान के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों का सम्पादन कर सकता है जो उसके लिए विहित हो।

(4) जहाँ मतदान अभिकताओं की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 द्वारा या तद्धीन कोई कार्य या कृत्य किया जाना अपेक्षित या प्राधिकृत हो, वहाँ उक्त प्रयोजन हेतु नियत समय और स्थान पर ऐसे किसी अभिकर्ता या अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति से कृत कार्य या कृत्य अविधिमान्य नहीं होगा, यदि उक्त कार्य या कृत्य अन्यथा सम्यक् रूप से किया गया हो।

(5) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्ररूप–17 में की जाएगी जिस पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए जा रहे व्यक्ति की फोटो भी लगाई जाएगी और इसे मतदान प्रारम्भ होने के पहले पीठासीन अधिकारी को दिया जाएगा। मतदान अभिकर्ता के रूप में केवल उस वार्ड के निवासियों को ही नियुक्त किया जाए। वार्ड के बाहर के निवासियों को मतदान अभिकर्ता नियुक्त न किया जाए। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द करने की सूचना प्ररूप–18 पर दी जाएगी। मा0 सांसदों, मा0 विधायकों, मा0 मंत्रीगण, मा0 जिला पंचायत अध्यक्षों, मा0 ब्लाक प्रमुखों, विशिष्ट/अतिविशिष्ट व्यक्तियों, भूतपूर्व सांसदों, भूतपूर्व विधायकों, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों तथा भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों में किसी लाभ के पद धारक को मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

3. गणन अभिकर्ता

(1) कोई निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतों की गणना के समय अपना गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है और जब कोई ऐसी नियुक्ति की जाए तो उक्त नियुक्ति की सूचना निर्धारित समय के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी को दी जाएगी।

(2) किसी गणन अभिकर्ता की नियुक्ति के किसी प्रतिसंहरण पर अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और वह उस दिनाँक से प्रवर्तित होगा जिस दिनाँक को इसे रिटर्निंग अधिकारी को सौंपा जाए और मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व गणन अभिकर्ता के ऐसे किसी प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु की स्थिति में अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी समय दूसरे गणन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है और ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में सूचना तत्काल रिटर्निंग अधिकारी को देगा।

(3) कोई गणन अभिकर्ता मतगणना के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों का सम्पादन कर सकता है जैसा कि किसी गणन अभिकर्ता द्वारा सम्पादित किए जाने हेतु विहित हो।

(4) गणन अभिकर्ता की नियुक्ति प्ररूप–34 में की जाएगी जिसे मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को दिया जाएगा और उस पर गणन अभिकर्ता नियुक्त किए जा रहे व्यक्ति की फोटो भी लगाई जाएगी। निर्वाचन अभिकर्ता गणन अभिकर्ता की नियुक्ति की एक प्रति अपने पास अभिलेख के रूप में रखेगा। गणन अभिकर्ता के रूप में मा0 सांसदों, मा0 विधायकों, मा0 मंत्रीगण, मा0 जिला पंचायत अध्यक्षों, मा0 ब्लाक प्रमुखों, विशिष्ट/ अतिविशिष्ट व्यक्तियों, भूतपूर्व सांसदों, भूतपूर्व विधायकों, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों तथा भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों में किसी लाभ के पद धारक को नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

(5) जहाँ मतदान या गणन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में आयोग द्वारा या तद्धीन कोई कार्य या कृत्य किया जाना अपेक्षित या प्राधिकृत हो वहाँ उक्त प्रयोजन हेतु नियत समय और स्थान पर ऐसे किसी अभिकर्ता या अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति से कृत कार्य या कृत्य अविधिमान्य नहीं होगा, यदि उक्त कार्य या कृत्य अन्यथा सम्यक् रूप से किया गया हो।

अध्याय–11
डाक मतपत्र

डाक द्वारा मतदान के लिए प्रेषित डाक मतपत्र आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप में होगा।

1. डाक मतपत्र की प्राथमिकता

(1) उम्मीदवारी वापस लेने की अवधि समाप्त होते ही निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी। उक्त सूची तैयार होने के 24 घंटे के अन्दर सेवायोजित निर्वाचकों हेतु मतपत्रों का मुद्रण जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा करा लिया जाएगा और तैयार मतपत्रों को अगले 24 घंटे के अन्दर निश्चित रूप से प्रेषित कर दिया जाएगा।

(2) विशेष निर्वाचकों, निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचकों एवं निर्वाचन कर्त्तव्यारूढ़ निर्वाचकों के मतपत्रों को मुद्रित कराकर उनके द्वारा मांगे जाने पर दो दिन में उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा।

2. डाक मतपत्र के लिए अधिकृत निर्वाचक

रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी निम्नलिखित प्रकार के अधिकृत निर्वाचकों को मतपत्र भेजेंगेः–

(1) सेवायोजित निर्वाचक (Service voters)

(2) विशेष निर्वाचक (Special voters)

(3) उपर्युक्त (1) एवं (2) में संदर्भित निर्वाचकों की पत्नियाँ

(4) निवारक निरोध के अध्यधीन निरूद्ध निर्वाचक (Electors subjected to preventive detention)

(ड.) निर्वाचन कर्त्तब्यारूढ़ निर्वाचक (Voters on election duty)

3. सेवायोजित मतदाता का अभिप्राय

(1) संघ के सशस्त्र बल के सदस्य,

(2) सेना के ऐसे सदस्य जिनके ऊपर आर्मी एक्ट,1950 (46 आफ 1950) के प्रावधान संशोधनों सहित अथवा बिना संशोधनों के लागू हैं,

(3) उत्तर प्रदेश से बाहर सेवा करने वाले सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य और,

(4) ऐसे व्यक्ति जिनकी तैनाती भारतवर्ष से बाहर है और उनका नाम उ0प्र0 नगरीय निकाय निर्वाचक नामावली में है।

4. विशेष निर्वाचक

विशेष निर्वाचक से अभिप्राय ऐसे पदधारक से है जिसके पद के बाबत यह घोषणा की गयी है कि उस पर दि रिप्रजेन्टेशन आफ दि पीपुल एक्ट, 1950 की धारा 20 की उपधारा (4) के उपबन्ध लागू हैं। यदि वह व्यक्ति या उसकी पत्नी उक्त धारा की उपधारा 5 के अधीन किए गए कथन के आधार पर निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो। दि रिप्रजेन्टेशन आफ दि पीपुल एक्ट, 1950 की धारा 20 में शब्द "पत्नी" का अर्थ पत्नी है और उसमें उपर्युक्त धारा की उपधारा–4 के अन्तर्गत पदधारण किए किसी स्त्री का पति सम्मिलित नहीं है।

5. निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध निर्वाचक

निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक से अभिप्राय है कि तत्समय प्रचलित किसी विधि के अन्तर्गत निवारक निरोध के अध्यधीन हो।

6. निर्वाचन कर्त्तव्यारूढ़ निर्वाचक

निर्वाचन कर्त्तव्यारूढ़ निर्वाचक से अभिप्राय है कि मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी या अन्य लोक सेवक जो निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक है और निर्वाचन कर्त्तव्यारूढ़ होने के कारण उस मतदान केन्द्र में जहाँ वह मतदान करने का अधिकारी है, मत देने में असमर्थ है।

7. डाक मतपत्र जारी करना

(1) जो विशेष निर्वाचक निर्वाचन में डाक द्वारा मत देना चाहता है, वह रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप–क में एक आवेदन भेजेगा जो मतदान के दिनाँक से कम से कम दस दिन पहले उसके पास पहुँच जाए और तब आवेदन के प्राप्त होने पर उसे रिटर्निंग अधिकारी अधिकतम दो दिन में एक डाक मतपत्र भेजेगा।

(2) जो सेवायोजित निर्वाचक एवं निर्वाचन कर्त्तव्यारूढ़ निर्वाचक डाक द्वारा मत देना चाहता है, वह रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप–क में इस प्रकार आवेदन भेजेगा कि वह मतदान के दिनाँक से कम से कम सात दिन पहले उसके पास पहुँच जाएं और यदि रिटर्निंग अधिकारी को समाधान हो जाता है कि आवेदक निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ निर्वाचक है तो उसे अधिकतम दो दिन में एक डाक मतपत्र जारी कर देगा।

(3) (क) निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद 5 दिन के अन्दर सरकार या सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उन निर्वाचकों का, यदि कोई हों, नाम जो निवारक निरोध के अध्यधीन हैं, उनके पतों और निर्वाचक नामावली क्रमांक तथा उनके निरोध के स्थानों की विशिष्टियों के सहित अभिनिश्चित (ascertain) किया जाएगा तथा रिटर्निंग अधिकारी को भेजा जाएगा।

(ख) निवारक निरोध के अध्यधीन कोई निर्वाचक निर्वाचन की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दस दिन के अन्दर अपना नाम, पता, निर्वाचक नामावली क्रमांक और निरोध के स्थान का विनिर्देश करते हुए रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन भेज सकेगा कि वह डाक मत देना चाहता है और ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दो दिन के अन्दर एक डाक मतपत्र जारी कर दिया जाएगा।

8. डाक मतपत्रों को मत अभिलिखित करने के बाद वापस करना

प्रत्येक निर्वाचक को भेजा गया मतपत्र प्राप्त होने पर यदि वह निर्वाचन में मत देना चाहे तो उस पर अपना मत अभिलिखित करेगा और प्ररूप–ग में घोषणा पर अनुदेशों के अनुसार हस्ताक्षर करेगा और उसके बाद मतपत्र को लिफाफे (प्ररूप–घ) में रखेगा, लिफाफा बंद करेगा और उसे आवरक (बड़ा लिफाफा–प्ररूप–ङ) में बंद करेगा और प्ररूप–ख में दिए गए अनुदेशों के अनुसार सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को भेज देगा, जिससे कि वह रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतगणना के दिनांक के ठीक एक दिन पूर्व सांयकाल पाँच बजे से पूर्व उसके पास पहुँच जाएं। ऐसे सभी आवरक (बड़े लिफाफे) जो निर्धारित दिनांक को सांयकाल पाँच बजे के बाद प्राप्त होंगे, वे अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। ऐसे सभी अस्वीकृत आवरक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक अलग मुहरबन्द पैकेट में रखे जाएंगे।

9. निर्वाचक के हस्ताक्षर का सत्यापन

डाक द्वारा मत देने वाला निर्वाचक, निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक को छोड़कर, अपने उच्च अधिकारी या किसी राजपत्रित अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष घोषणा पत्र के प्ररूप पर अपना हस्ताक्षर सत्यापित कराएगा, किन्तु डाक मतपत्र पर नहीं। इसी प्रकार निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक उसे कारागार के अधीक्षक या निरोध शिविर के कमाण्डेन्ट से प्ररूप–ग में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर सत्यापित कराएगा, किन्तु डाक मतपत्र पर नहीं।

10. डाक मतपत्र के आवरकों की सुरक्षित अभिरक्षा

रिटर्निंग अधिकारी प्राप्त हुए सभी आवरकों को, जिनमें डाक मतपत्र हो, मतगणना तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा। मतगणना प्रारम्भ होने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सभी पदों हेतु प्राप्त डाक मतपत्रों की मतगणना सर्वप्रथम अपने निर्धारित मतगणना मेज़ पर की जाएगी, तत्पश्चात् मतदान स्थल/वार्डवार निर्धारित मतगणना मेज़ों पर मतपत्रों की मतगणना का कार्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाएगा। निर्वाचन विवरणी में पोस्टल बैलेट पेपर की मतगणना का प्रत्याशीवार मतों का विवरण पहले दर्ज किया जाएगा।

अध्याय–12

मतदान, मतदान का स्थगन तथा उम्मीदवार की मृत्यु

1. मतदान

(1) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है कि मतदान कराए जाने वाले सभी दलों को चुनाव से सम्बन्धित सभी आवश्यक सामग्री समय से उपलब्ध कराई गई है तथा सभी मतदान केन्द्र दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार हो गए हैं।

(2) पीठासीन अधिकारियों (मतदान अध्यक्षों) और मतदान अधिकारियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा जिन कर्मचारियों के आचरण के बारे में थोड़ी सी भी आशंका हो, उनको मतदान कार्मिक नियुक्त न किया जाए तथा विभिन्न कार्यालय के कर्मचारियों के मिले जुले दल को ही एक मतदान स्थल पर तैनात किया जाए।

(3) विभिन्न मतदान अभिकर्ताओं को मतदान स्थल के अन्दर बैठने के लिए स्थान यथासम्भव प्रथम व द्वितीय मतदान अधिकारी के पीछे होना चाहिए जिससे कि किसी मतदाता की पहचान के सम्बन्ध में यदि वे आपत्ति करना चाहें तो वे कर सकें, परन्तु उनको मतपत्र का क्रमांक नोट नहीं करने दिया जाएगा। पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि मतदान स्थल के भीतर धूम्रपान तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे।

(4) पीठासीन अधिकारियों को यह अधिकार है कि मतदाता की पहचान के लिए या अपनी मदद हेतु किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं, परन्तु यदि पुलिस कर्मी, ग्राम का चौकीदार या राजस्व विभाग के किसी कर्मचारी की सहायता ली जा रही है तो उसको मतदान स्थल के बाहर नियुक्त किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर ही, जब मतदाता की पहचान करना हो, तभी बुलाया जाए। यदि कोई मतदाता अनधिकृत पर्ची अपने साथ लेकर आता है तो उस पर्ची के अनुसार पहचान नहीं करनी चाहिए तथा जिस मतदान अधिकारी के पास मतदाता सूची हो उसे देखकर अच्छी तरह से मतदाता की सही पहचान के बारे में संतुष्ट होना चाहिए। महिला मतदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक मतदान दल में यथासम्भव एक महिला मतदान अधिकारी तैनात किया जाए। मतदान स्थल के भीतर केवल निम्नलिखित व्यक्ति ही प्रवेश करने के लिए अधिकृत हैं:–

(क) मतदान अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) तथा मतदान अधिकारी,
(ख) निर्वाचन/मतदान कार्य के पर्यवेक्षण हेतु तैनात अधिकारीगण,
(ग) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति,
(घ) उम्मीदवार, उनका निर्वाचन अभिकर्ता तथा सम्बन्धित मतदान अभिकर्ता,
(ङ) किसी मतदाता के साथ गोद में कोई बच्चा हो,
(च) दृष्टिबाधित अथवा अशक्त मतदाता के साथ उसकी सहायता करने वाला व्यक्ति,
(छ) कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी अधिकृत करें।

यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि निर्वाचन ड्यूटी (कार्य) से सम्बन्धित अधिकारियों में केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्री व जनप्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हैं तथा सामान्य तौर पर पुलिस अधिकारी वर्दी में भी मतदान केन्द्र के अन्दर नहीं जा सकते हैं। वे अन्दर उसी समय जाएंगे जब पीठासीन अधिकारी को उनकी आवश्यकता हो।

(5) मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा समस्त उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को मतदाता सूची की चिह्नित प्रति दिखाई जाए तथा पीठासीन अधिकारी को दो घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करने होंगे, एक चुनाव प्रारम्भ होने से पहले और दूसरा चुनाव समाप्त होने के पश्चात, जिनका प्ररूप पीठासीन अधिकारियों की निर्देश पुस्तिका में उपलब्ध है। पीठासीन अधिकारी को इस आशय के घोषणा पत्र पर तब भी हस्ताक्षर करने होंगे जब वह नई मतपेटी का प्रयोग आरम्भ करेंगे।

(6) प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि मतदाता के हस्तक्षर या निशानी अँगूठा मतपत्र के प्रतिपर्ण (काउण्टर फाइल) पर लेना आवश्यक है। यदि कोई मतदाता हस्ताक्षर करने से या निशान अँगूठा लगाने से इंकार करता है तो उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा। मतपत्र देने के पश्चात् मतदान अधिकारी मतदाता सूची की चिह्नित प्रति पर उसके नाम को रेखांकित करेगा। किसी महिला मतदाता के मामले में उसके नाम के सामने (✓) का चिह्न लगाएगा।

(7) मतदाता की बायीं अँगुलि (तर्जनी) (पीठासीन अधिकारी के उपयोग हेतु निर्देश पुस्तिका देखें) पर अमिट स्याही मतपत्र दिए जाने से पहले लगाई जाएगी जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से वह व्यक्ति पुनः वोट डालने की कोशिश न करे। मतदाता को मतपत्र देते समय सम्बन्धित मतदान अधिकारी यह देख लें कि ऐसे व्यक्ति की अंगुलि पर अमिट स्याही लगी है अथवा नहीं। मतदाता को मतपत्र देने से पहले पीठासीन अधिकारी मतपत्र के पृष्ठ भाग पर शुभिन्नक चिह्न वाली मुहर लगाएंगे तथा मतपत्र के पीछे अपने पूरे हस्ताक्षर करेंगे।

(8) यदि पीठासीन अधिकारी को समाधान हो जाए कि कोई निर्वाचक दृष्टिबाधित या अन्य शारीरिक अशक्ता के कारण मतपत्र पर प्रतीकों को बिना सहायता के पहचानने या उन पर चिह्न लगाने में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी निर्वाचक को अपने साथ कम से कम अठ्ठारह वर्ष का एक साथी उसकी ओर से और उसकी इच्छानुसार मतपत्र मोड़ने जिससे मतपत्र छिप जाए और मतपेटी में डालने के लिए मतदान कोष्ठक में ले जाने की अनुमति देगा।

परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही दिन एक मतदान स्थल पर एक से अधिक निर्वाचकों के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

किसी व्यक्ति को इस निर्देश के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के पूर्व उस व्यक्ति से इस बात की घोषणा करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा अभिलिखित मत को गोपनीय रखेगा और कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है।

पीठासीन अधिकारी इस खण्ड के अधीन सभी मामलों का एक अभिलेख प्ररूप में रखेगा, यह प्ररूप पीठासीठ अधिकारी की निर्देश पुस्तिका में उपलब्ध है।

(9) मतों की गोपनीयता भी अत्यन्त आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति मतपत्र को सबके सामने खोलकर निशान लगा रहा है अथवा निशान लगाकर सबको दिखा रहा है तो ऐसे मतपत्र को मतपेटिका में नहीं डाला जाएगा और ऐसे मतपत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मतपत्र वापस लेकर पीठासीन अधिकारी उस पर अपनी टिप्पणी लिखकर उसको निरस्त कर देंगे।

(10) सम्बन्धित उम्मीदवारों को या उनके अभिकर्ताओं को यह अवगत करा दिया जाए कि मतदान के बाद जिस स्थान पर मतपेटियाँ सुरक्षित रखी जाएंगी वहाँ के लिए यदि वे चाहें तो अपना कोई व्यक्ति भी साथ में भेज सकते हैं, परन्तु यह ध्यान रखा जाए कि ऐसे व्यक्ति अपने स्वयं के निजी वाहन से जाएंगे तथा मतदान दल के साथ कोई उम्मीदवार या कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। जिस कमरे में मतपेटिकाएँ रखी जानी हैं वहाँ पर खड़िया से फर्श पर मतदान स्थल के क्रमांक डाले जाएं जिससे कि उस मतदान स्थल की मतदान पार्टी जब वहाँ पहुँचती है तो उसकी मतपेटियाँ उसी क्रमांक पर सुरक्षित रखी जा सकें। इस बात की संभावना भी हो सकती है कि एक वार्ड में मतदान स्थलों की संख्या कम होने के कारण उस कमरे में मतपेटियाँ रखने के बाद भी पर्याप्त स्थान अवशेष हो, ऐसी स्थिति में अन्य वार्डों में मतदान स्थलों की मतपेटियाँ भी उसी कमरे में रखी जा सकती हैं, परन्तु उनको इस प्रकार रखा जाए जिससे कि एक वार्ड से दूसरे वार्ड की मतपेटियाँ मिल न सकें। किसी भी पीठासीन अधिकारी को इस आशय की अनुमति न दी जाए कि वे मतदान की समाप्ति के बाद कुछ समय तक मतपेटियों को अपने पास रखें या विलम्ब से उनको जमा करें। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया जाए कि ऐसा करने पर उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

(11) यदि कोई उम्मीदवार किसी व्यक्ति को अधिकृत करना चाहता है कि जिस कमरे में मतपेटियाँ रखी जा रही हैं उस पर निगरानी रखे तो उसको ऐसी अनुमति दी जा सकती है और दरवाजे पर उसको सील लगाने की भी अनुमति दी जा सकती है और अपरिहार्य स्थिति में कमरा खोले जाने के समय उम्मीदवार या उसके अधिकृत अभिकर्ता को बुला लेना चाहिए और जब भी ऐसा कमरा खोला जाना आवश्यक हो तो उसकी प्रविष्टि **प्ररूप–35** में अंकित लॉग बुक में की जाएगी।

मतदान केन्द्र की रबर स्टैम्प, मतपत्र (बैलेट पेपर) पर निशान लगाने वाली रबर मुहर सब एक लिफाफे में बन्द और सील करके साथ में रखा जाएगा।

2. मतदान का स्थगनः–

(1) आपात स्थितियों में मतदान को स्थगित किया जानाः–

(क) यदि किसी निर्वाचन में मतदान हेतु नियत स्थान पर किसी मतदान केन्द्र की कार्यवाहियाँ किसी दंगा या चालू हिंसा के द्वारा बाधित या विच्छिन्न की जाती हैं या किसी निर्वाचन में दैवीय आपदा या अन्य किसी पर्याप्त कारण से किसी मतदान केन्द्र या ऐसे स्थान पर मतदान आयोजित करना सम्भव न हो तो यथास्थिति ऐसे मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी या ऐसे स्थान का रिटर्निंग अधिकारी ऐसे किसी दिनाँक जिसे बाद में अधिसूचित किया जाएगा, तक के लिए मतदान स्थगन की घोषणा करेगा और जहाँ पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान इस प्रकार स्थगित किया जाए वहाँ वह तत्काल सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेगा।

(ख) जब कभी उक्त प्रस्तर (क) के अधीन कोई मतदान स्थगित किया जाए तो रिटर्निंग अधिकारी तत्काल उक्त परिस्थितियों के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी और आयोग को सूचित करेगा तथा यथाशक्य आयोग के पूर्वानुमोदन से उस मतदान केन्द्र/स्थल पर मतदान हेतु दिनाँक और समय नियत करेगा और ऐसे मतदान में डाले गए मतों की गणना तब तक नहीं की जाएगी जब तक ऐसे स्थगित मतदान को पूरा नहीं कर लिया जाएगा।

(ग) यथापूर्वोक्त ऐसे प्रत्येक मामले में रिटर्निंग अधिकारी ऐसी रीति से अधिसूचना जारी करेगा जैसा कि आयोग उक्त प्रस्तर (ख) के अधीन नियत दिनाँक, स्थान और समय के सम्बन्ध में निदेश दे।

(2) मतपेटिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों आदि के नष्ट किए जाने की स्थिति में नये सिरे से मतदानः—

(क) यदि किसी निर्वाचन मेंः—

(i) किसी मतदान केन्द्र या मतदान हेतु नियत किसी स्थान पर प्रयुक्त किसी मतपेटिका या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अविधिमान्य रूप से पीठासीन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा से उठा लिया जाता है, या उसे संयोगवश या जानबूझकर नष्ट कर दिया जाता है या खो दिया जाता है, या उसे इस हद तक क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है या उसके साथ छेड़छाड़ किया जाता है कि उस मतदान केन्द्र या उस स्थान पर मतदान के परिणाम को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, या

(ii) किसी वोटिंग मशीन में मत अभिलिखित किए जाने के दौरान कोई यांत्रिक विफलता आ जाती है, या

(iii) प्रक्रिया में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता, जिससे मतदान के निष्फल होने की सम्भावना हो, किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान हेतु नियत स्थान पर की जाती है, तो रिटर्निंग अधिकारी उक्त मामले में तत्काल आयोग को सूचित करेगा।

(ख) उपर्युक्त के आधार पर आयोग, समस्त सारभूत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए या तो,

(i) उस मतदान केन्द्र या स्थल पर मतदान को शून्य घोषित कर देगा और उस मतदान केन्द्र या स्थल पर नये सिरे से मतदान कराने के लिए कोई दिवस और समय नियत करेगा और इस प्रकार नियत किए दिवस और समय की अधिसूचना इस रीति से करेगा जैसा कि वह उचित समझे, या

(ii) यदि इस बात का समाधान होता है कि उस मतदान केन्द्र या स्थल पर नये सिरे से मतदान के परिणाम से किसी भी रूप में निर्वाचन का परिणाम प्रभावित नहीं होगा या यह कि वोटिंग मशीन की यांत्रिक विफलता या उक्त प्रक्रिया में त्रुटि की अनियमितता सारभूत नहीं है, रिटर्निंग अधिकारी को ऐसा निदेश जारी करेगा जैसा कि आयोग निर्वाचन के अग्रतर संचालन और उसे पूरा करने के लिए उचित समझे।

(3) बूथ कैप्चरिंग के आधार पर मतदान का स्थगित किया जाना या निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट किया जानाः—

(क) यदि किसी निर्वाचन में,

(i) किसी मतदान केन्द्र या मतदान हेतु नियत स्थान पर बूथ कैप्चरिंग इस रीति से किया गया हो कि उस मतदान केन्द्र या स्थल पर मतदान के परिणाम को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, या

(ii) किसी मतदान स्थल पर इस रीति से बूथ कैप्चरिंग होती है कि उस स्थल की मतगणना के परिणाम को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता तो रिटर्निंग अधिकारी तत्काल उक्त मामले में आयोग को सूचित करेगा।

(ख) आयोग उक्त प्रस्तर (क) के अधीन रिटर्निंग अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने पर और समस्त सारभूत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए या तो,

(i) उस मतदान केन्द्र या स्थल पर हुए मतदान को शून्य घोषित कर देगा और उस मतदान केन्द्र या स्थल पर नये सिरे से मतदान कराने के लिए कोई दिवस और समय नियत करेगा और इस प्रकार नियत किए गए दिवस और समय को इस रीति से अधिसूचित करेगा जैसा कि वह उचित समझे, या

(ii) यदि इस बात का समाधान हो जाता है कि वृहत्तर संख्या में मतदान केन्द्रों या स्थलों के बूथ कैप्चरिंग में लिप्त होने को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन का परिणाम प्रभावित होना सम्भाव्य हो, या यह कि कैप्चर किए गए बूथ से मतगणना इस रूप में प्रभावित हुई हो कि इससे निर्वाचन का परिणाम प्रभावित होगा, उस वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन प्रत्यादिष्ट करेगा।

(4) सामन्यतः निम्नलिखित कारणों से भी मतदान स्थगित किया जा सकता हैः—

(क) बाढ़ या भारी हिमपात या गम्भीर तूफान या अन्य दैवीय आपदा जिससे मतदान कराना असम्भव हो,

(ख) मतपेटियाँ/ई0वी0एम0, मतपत्रों या अत्यावश्यक चुनाव सामग्री को अपूरणीय क्षति पहुँचाई गई हो,

(ग) मतदान के समय मतदान स्थल पर इतनी शान्ति भंग हो गई हो कि मतदान कराना सम्भव न हो,

(घ) मतदान के समय मतदान केन्द्र/स्थल पर मतदान दल न पहुँच पाया हो और उसके पहुँचने वाले रास्ते में कोई अपरिहार्य बाधा/रूकावट आ गई हो,

(ङ) कोई अन्य पर्याप्त एवं गम्भीर अपरिहार्य कारण (जोनल मजिस्ट्रेट/सेक्टर मजिस्ट्रट के सत्यापन के उपरान्त)।

3. निर्वाचन के समय मतदान

प्रत्येक निर्वाचन जहाँ मतदान आयोजित किया जाता है वहाँ मतदान मतपत्र द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा जैसा कि आयोग अवधारित करे, किया जाएगा और कोई मत परोक्षी द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा।

4. निर्वाचन में वोटिंग मशीन

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा इस रीति से जैसा कि विहित किया जाए, मतदान किया जाना और उसे अभिलिखित किया जाना, ऐसे वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र या ऐसे वार्डों में अपनाया जा सकता है जैसा कि आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विनिर्दिष्ट करे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तात्पर्य मत डालने या उसे अभिलिखित करने के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा रूप में संचालित मशीन या साधित्र से है।

5. मान्यता प्राप्त किसी राजनैतिक दल के प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में मतदान का स्थगन

(1) यदि ऐसे उम्मीदवार की जो किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया हैः—

(क) नाम निर्देशन करने के अन्तिम दिनाँक के पूर्वाह्न 11.00 बजे के पश्चात् किसी समय मृत्यु हो जाती है और उसका नाम, नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा में विधिमान्य पाया जाता है, या

(ख) जिसका नाम, नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा में विधिमान्य ठहराया जाता है और जिसने अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली है, तथा दोनों में से प्रत्येक दशा में उम्मीदवार की मृत्यु की रिपोर्ट निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन के पूर्व प्राप्त हो जाती है, या

(ग) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार के रूप में मृत्यु हो जाती है, और उसके मृत्यु की रिपोर्ट मतदान के प्रारम्भ होने के पूर्व प्राप्त हो जाती है, तो रिटर्निंग अधिकारी उस उम्मीदवार की मृत्यु के तथ्य के सम्बन्ध में अपना समाधान हो जाने पर आदेश द्वारा उस दिनाँक तक जो बाद में अधिसूचित किया जाएगा, मतदान के स्थगन की घोषणा करेगा और इस तथ्य की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को एवं जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को करेगा।

परन्तु उप प्रस्तर (क) में निर्दिष्ट दशा में मतदान का स्थगन करने वाला कोई आदेश, सभी नाम निर्देशनों की, जिसके अन्तर्गत उम्मीदवार का नाम निर्देशन है, संवीक्षा के पश्चात् ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग उप प्रस्तर (1) के अधीन रिटर्निंग अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल से जिस उम्मीदवार की मृत्यु हो गयी है, उक्त मतदान के लिए ऐसे राजनैतिक दल को ऐसी सूचना के जारी किए जाने के 07 दिन के भीतर किसी अन्य उम्मीदवार को नाम निर्दिष्ट करने की अपेक्षा करेगा। इस सम्बन्ध में नाम निर्देशन के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो नाम निर्देशन के सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्देशित है। यथास्थिति विधिमान्य नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों या निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को पुनः नाम निर्देशन की आवश्यकता नहीं होगी।

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति जिसने मतदान स्थगन किए जाने के पूर्व अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की सूचना दे दी है, ऐसा स्थगन किए जाने के पश्चात् निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देशन के लिए अपात्र नहीं होगा।

(3) जहाँ निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची उप प्रस्तर (1) के अधीन मतदान के स्थगन से पूर्व प्रकाशित की गयी थी, वहाँ रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की नई सूची नये सिरे से तैयार करेगा और प्रकाशित करेगा।

7. अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों, तात्कालिक या/अनन्तिम रूप से सामयिक (प्रोविज़नल) पंजीकृत दलों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों की मृत्यु की स्थिति में

अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों, तात्कालिक या/अनन्तिम रूप से सामयिक (प्रोविज़नल) पंजीकृत दलों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों की मृत्यु पर मतदान स्थगित नहीं किया जाएगा और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी।

अध्याय–13

मतगणना एवं परिणाम की घोषणा

1. निर्धारित दिनाँक के अनुसार निश्चित समय व स्थान पर मतगणना का कार्य किया जाएगा जिसकी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का दायित्व रिटर्निंग अधिकारी का है। मतगणना रिटर्निंग अधिकारी द्वारा या उसके पर्यवेक्षण और निदेश के अधीन की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी उनके पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में काम करते हैं। रिटर्निंग अधिकारी मतदान समाप्त होने के पश्चात् आयोग द्वारा यथा नियत मतगणना का दिनाँक और समय परिनिश्चित करेगा और ऐसा स्थान नियत करेगा जिस स्थान पर मतगणना की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या निर्वाचन अभिकर्ताओं को ऐसे दिनाँक, समय और स्थान के सम्बन्ध में सूचना देगा। रिटर्निंग अधिकारी निम्नलिखित कार्यवाही करेगाः–

(1) मतगणना प्रारम्भ होने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सभी पदों हेतु प्राप्त डाक मतपत्रों की मतगणना सर्वप्रथम अपने लिए निर्धारित मतगणना मेज पर की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे सभी आवरकों और लिफाफों को जिनमें मतपत्र हों, खोलेगा या खुलवाएगा जो उसे प्राप्त हुए हों और उनमें पाए गए मतपत्रों को एकत्र करेगा और प्ररूप–ग में प्राप्त घोषणा की परीक्षा करेगा और आवरक या लिफाफे पर लिखी हुई मतपत्र की संख्या का लिफाफे के भीतर पाए गए मतपत्र पर दी गयी संख्या से मिलान करेगा और यदि घोषणा सही नहीं है या वह प्ररूप–ख में दिए गए अनुदेशों के अनुरूप नहीं है या मतपत्र पर दी गई संख्या आवरक या लिफाफा पर लिखी गई संख्या से भिन्न है, तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे मतपत्र पर उसे अस्वीकार करने का कारण अभिलिखित करने के पश्चात् तुरन्त अस्वीकृत कर देगा। सभी मतपत्र जो इस तरह अस्वीकृत नहीं हुए हैं, एकत्र किए जाएंगे और उनकी गणना मतपेटियों में पाए गए मतपत्रों की गणना के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। निर्वाचन विवरणी में पोस्टल बैलेट पेपर की मतगणना का प्रत्याशीवार मतों का विवरण पहले दर्ज किया जाएगा। तत्पश्चात् मतदान स्थल/वार्डवार निर्धारित मतगणना मेज़ों पर मतपत्रों की मतगणना का कार्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाएगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मतदान में प्रयुक्त सभी मतपेटियाँ/ई0वी0एम0 जिनमें पड़े/अभिलिखित मतों की उस स्थान पर गणना की जानी हो, प्राप्त हो गई है और उनका लेखा भी प्राप्त हो गया है।

(3) रिटर्निंग अधिकारी गणना के समय उपस्थित उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ता अथवा गणन अभिकर्ताओं को अपना यह समाधान करने के लिए कि मतपेटियाँ और मुहरें ठीक दशा में हैं, उनका निरीक्षण करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा किन्तु उन्हें इन मतपत्रों या किसी अन्य पत्र को छूने नहीं देगा।

(4) रिटर्निंग अधिकारी इस बात का भी स्वयं समाधान करेगा कि किसी भी मतपेटिका या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, यदि उसके साथ यथास्थिति, किसी मतपेटिका या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई या उसे नष्ट किया गया या खोया हुआ पाया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी मतगणना को रोक देगा और अध्याय–12 के प्रस्तर–2(2) के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(5) यदि रिटर्निंग अधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि यथास्थिति ऐसी समस्त मतपेटिकाएं या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिनमें अन्तर्विष्ट/अभिलिखित मतों, जिनकी ऐसे स्थानों पर गणना की जानी हो, प्राप्त कर लिए गए हैं और वे उचित क्रम में हैं, तो

वह मतपेटिकाओं में अन्तर्विष्ट मतपत्रों/ई0वी0एम0 में अभिलिखित मतों की गणना प्रारम्भ करेगा। मतदान स्थल पर प्रयुक्त समस्त मतपेटिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खोला जाएगा और उसी समय उन मतपेटिकाओं में पाए गए मतपत्रों/ई0वी0एम0 में अभिलिखित मतों की गणना की कार्यवाही की जाएगी।

(6) मतदान स्थल की मतपेटिकाओं में पाए गए मतपत्रों या उस स्थल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अभिलिखित मतों के लेखा को निर्धारित प्ररूप में अभिलिखित किया जाएगा।

(7) रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और गणन अभिकर्ताओं, जो उपस्थित हों, को समस्त मतपत्रों, जो रिटर्निंग अधिकारी की राय में अस्वीकृत किए जाने योग्य हों, का निरीक्षण करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा किन्तु उन्हें इन मतपत्रों या किसी अन्य पत्र को छूने नहीं देगा। रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक मतपत्र, जो अस्वीकृत हो गया हो, पर हिन्दी में देवनागरी लिपि में अस्वीकृति के सम्बन्ध में पृष्ठांकन करेगा। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता किसी मतपत्र की अस्वीकृति की सत्यता के सम्बन्ध में प्रश्न करता है तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे मतपत्र पर संक्षेप में ऐसे अस्वीकृति के आधारों को भी अभिलिखित करेगा।

(8) मतदान स्थल की मतपेटिकाओं में अन्तर्विष्ट समस्त मतपत्रों या उक्त स्थल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अभिलिखित मतों की गणना को पूरा कर लिए जाने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी ऐसे समस्त मतपत्रों को ऐसे पृथक् पृथक् पैकेट में रखवाएगा जिस पर ऐसे विवरण अंकित किए जाएंगे जिससे कि मतदान स्थल, नगर पालिका का नाम और निर्वाचन क्षेत्र, जिनसे मतपत्र या मत सम्बन्धित हो, की पहचान हो सके।

(9) यदि मतगणना हेतु इस प्रकार नियत किए गए समय पर परिगणित किए जाने वाले मतों से अन्तर्विष्ट मतपेटिकाएं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं की जाती हैं या यदि किसी अन्य अपरिहार्य कारणों से गणना की कार्यवाही करने में असमर्थ हो तो वह मतगणना को अन्य दिनाँक तक के लिए टाल सकता है और इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से समय और स्थान को नियत कर सकता है और तत्सम्बन्ध में सूचना निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को देगा।

2. मतगणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश

(1) रिटर्निंग अधिकारी मतों की गणना के लिए नियत स्थान में से निम्नलिखित व्यक्तियों के सिवाय अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित रखेगाः–

(क) मतगणना करने में अपनी सहायता के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति,

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार, या

(ग) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार का निर्वाचन अभिकर्ता, या

(घ) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियुक्त गणन अभिकर्ता।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या जो निर्वाचन में या निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी उम्मीदवार के लिए अन्यथा कार्य करता रहा है, मतों की गणना में रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति जो मतों की गणना के दौरान स्वयं कदाचार करता है या रिटर्निंग अधिकारी के विधिसम्मत निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो उसे उस स्थान से, जहाँ पर मतों की गणना की जा रही हो, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा या ड्यूटी कर रहे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हटाया जा सकेगा।

3. मतपत्रों के अस्वीकृत किए जाने के आधार

(1) रिटर्निंग अधिकारी निम्नलिखित ऐसे किसी मतपत्र को अस्वीकृत कर देगाः–

(क) यदि इस पर कोई चिह्न या लेख हो जिससे किसी निर्वाचक की पहचान हो सके, या

(ख) यदि मतपत्र कृत्रिम हो, या

(ग) यदि यह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया हो कि वास्तविक मतपत्र के रूप में इसकी पहचान न हो सके, या

(घ) यदि इस पर किसी विशिष्ट मतदान स्थल पर उपयोग हेतु प्राधिकृत मतपत्रों की, यथास्थिति, क्रम संख्या और रूपांकन से भिन्न क्रम संख्या या रूपांकन हो, या

(ङ) यदि इस पर किसी निर्वाचन क्षेत्र में भरी जाने वाली अपेक्षित सीटों की संख्या से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में मतदान किए जाते हैं, या

(च) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं किया जाता है, या

(छ) यदि उस पर उस उपकरण से, जिसकी मतांकन के लिए व्यवस्था की गई है, भिन्न किसी अन्य उपकरण से चिह्न लगाया गया हो, या

(ज) मतांकन का चिह्न मतपत्र के पीछे के भाग में लगाया गया है, या

(झ) मतांकन का चुनाव चिह्न (निर्वाचन प्रतीक) को विभाजन करने वाली छायाकृति रेखा या स्थान के पूर्ण रूप से अन्दर बना है, या

(ञ) मतपत्र पर सुभिन्नक सील नहीं लगी है, या

(त) मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

(2) किसी मतपत्र को इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि मत को इंगित करने वाला चिह्न अस्पष्ट है या उसे किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख एक से अधिक बार अंकित किया गया है। यदि मतपत्र पर जिस ढंग से चिह्न लगाया गया है उससे स्पष्टतः यह आशय निकलता है कि वह मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए दिया गया है, तो उसे अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(3) किसी मतपत्र की, या ऐसे किसी मतपत्र पर दिए गए मत की विधिमान्यता हेतु रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय, निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली किसी निर्वाचन याचिका के विचारण पर दिए गए किसी प्रतिकूल विनिश्चय के अध्यधीन अन्तिम होगा।

4. मतगणना के समय मतपत्रों को नष्ट किया जाना और उसकी क्षति आदि

(1) यदि मतगणना पूर्ण होने के पूर्व किसी भी समय मतदान केन्द्र या मतदान हेतु नियत किसी स्थान पर प्रयुक्त किन्हीं मतपत्रों को रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा से छीन लिया जाता है या उन्हें संयोगवश या जानबूझकर नष्ट कर दिया जाता है या खो दिया जाता है या उन्हें इस सीमा तक क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है या उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है कि उस मतदान केन्द्र या स्थल के मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है तो रिटर्निंग अधिकारी तत्काल उक्त मामले की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी और आयोग को देगा।

(2) उस आधार पर, आयोग समस्त सारभूत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए या तो,–

(क) यह निदेश देगा कि मतगणना रोक दी जाए, उस मतदान केन्द्र या स्थल को शून्य घोषित कर दिया जाए और उस मतदान केन्द्र या स्थल पर दिनाँक और समय जैसा कि वह उचित समझे, नियत करेगा।

(ख) यदि इस बात का समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र या स्थल पर नये सिरे से मतदान के परिणाम से किसी भी रूप में निर्वाचन का परिणाम प्रभावित नहीं होगा, ऐसे निर्देश रिटर्निंग अधिकारी को जारी करेगा जैसा कि वह मतगणना पुनरारम्भ और उसके समापन के लिए तथा निर्वाचन के लिए अग्रतर संचालन और उसके समापन के लिए उचित समझे, जिसके सम्बन्ध में मतगणना की जा चुकी हो।

(ग) ऐसे प्रत्येक नये सिरे से कराए जाने वाले मतदान के लिए मूल मतदान के नियम /निर्देश लागू होंगे।

5. रिटर्निंग अधिकारी कक्ष (वार्ड) में सभी मतदान स्थलों में प्रयुक्त सभी मतपेटिकायों में पाये गए मतपत्रों की गणना पूरी करने के पश्चात् निम्नलिखित कार्यवाही करेगाः–

(1) रिटर्निंग अधिकारी मतगणना पूरी होने के पश्चात् प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त कुल मतों की संख्या निर्धारित प्ररूप में अभिलिखित करेगा।

(2) तत्पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी विधिमान्य और अस्वीकृत मतपत्रों को अलग अलग पैकेटों में मुहरबंद करेगा और ऐसे प्रत्येक पैकेट पर उसकी अन्तर्वस्तु और वार्ड का नाम और निर्वाचन का दिनाँक लिखेगा।

(3) किसी मतपत्र की या किसी मतपत्र पर दिए गए मत की वैधता के सम्बन्ध में रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय किसी निर्वाचन याचिका के, जिसमें निर्वाचन पर आपत्ति की गयी हो, के परीक्षण पर दिए गए किसी प्रतिकूल निर्णय के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

(4) मतगणना समाप्त हो जाने पर रिटर्निंग अधिकारी आयोग के किसी प्रतिकूल निदेश न होने पर तत्काल निर्वाचन का परिणाम घोषित करेगा। परिणाम घोषित कर दिए जाने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी यथाशक्य शीघ्र परिणाम की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी और आयोग को देगा।

(5) किसी उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के प्रार्थना पत्र पर रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित किए जाने के पूर्व मतों की फिर से सम्पूर्ण या आंशिक गणना की जा सकेगी, किन्तु रिटर्निंग अधिकारी किसी ऐसे प्रार्थनापत्र को, जो उसे गलत तथ्यों पर आधारित या व्यर्थ जान पड़े, अस्वीकृत करने का कारण अभिलिखित करते हुए उसे उसी समय अस्वीकृत कर सकता है। किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता के प्रार्थना पत्र के आधार पर एक बार की गई पुनर्गणना के पश्चात् उसके द्वारा दुबारा मतगणना की मांग करने का उसे कोई अधिकार नहीं होगा।

(6) यदि मतगणना पूरी होने के पश्चात्, किन्हीं अभ्यर्थियों के मध्य मत का समान होना पाया जाता है, और एक मत के बढ़ जाने पर उनमें से कोई भी अभ्यर्थी निर्वाचित होने का हकदार हो जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी तत्काल उन अभ्यर्थियों के मध्य विनिश्चय भाग्य पत्रक द्वारा करेगा और उस रूप में कार्यवाही करेगा मानो ऐसे अभ्यर्थी, जिसके पक्ष में भाग्य पत्रक आता है, को एक अतिरिक्त मत प्राप्त हो चुका हो।

(7) निर्वाचन परिणाम की घोषणा से पूर्व निर्धारित पंजिका (प्ररूप–44) पर विवरण दर्ज करके निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर कराये जाएंगे और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किया जाएगा तत्पश्चात् तत्काल निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी।

(8) मतगणना के सम्बन्ध में आयोग द्वारा अलग से निर्देश पुस्तिका तैयार की गई है और उसी निर्देश पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुरूप मतगणना की समस्त कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी।

अध्याय–14

विविध

1. विवरणी मतपत्र तथा अन्य पत्रजातों की अभिरक्षा

(1) रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन के परिणाम को सूचित करने के पश्चात् विवरणी को अभिरक्षा हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को अग्रसारित कर देगा,

(2) रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों के पैकेटों और निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य समस्त पत्रजातों को भी जिला निर्वाचन अधिकारी को अभिरक्षार्थ अग्रसारित करेगा।

2. मतपत्रों और उनकी विषय वस्तुओं का निरीक्षण

(1) जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा के दौरान विधिमान्य, अस्वीकृत या निविदत्त मतपत्रों और निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के पैकेटों को खोला नहीं जाएगा और किसी सक्षम न्यायालय के, या निर्वाचन याचिका की सुनवाई करने वाले किसी जनपद न्यायाधीश के अधीन विषय वस्तु को छोड़कर उनके विषय वस्तुओं का निरीक्षण किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा या उक्त विषय वस्तुओं को उस व्यक्ति या प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। जब आदेश दिया गया हो, तब बीस रुपये प्रतिदिन की दर, जिस पर निरीक्षण किया जाता है, पर फीस भुगतान किए जाने के अध्यधीन निरीक्षण किया जाएगा।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त अन्य पत्रजातों को इस शर्त, यदि कोई हो, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, के अध्यधीन और एक सौ रुपये प्रतिदिन की दर, जिस पर निरीक्षण किया जाता है, पर फीस भुगतान के अध्यधीन सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खोल दिया जाएगा।

(3) उप प्रस्तर–1 के अधीन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अग्रसारित विवरणी की प्रतियाँ, प्रति कापी एक सौ रुपये फीस का भुगतान करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) उप प्रस्तर–2 के अधीन निरीक्षण किए जाने हेतु अनुज्ञात की जाने वाली पत्रजातों की प्रतियाँ राज्य में किसी आदेश की प्रति हेतु प्रभारित की जाने वाली दर पर फीस का भुगतान किए जाने पर राजस्व अधिकारी द्वारा उक्त के निमित्त आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रदान की जाएगी। पत्रजातों की प्रतियों के लिए आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है और उस पर न्यायिक स्टाम्प लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(5) उप प्रस्तर–2 में निर्दिष्ट किसी पत्रजात की प्रमाणित प्रति जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी के सम्बन्धित कार्यालय से जारी की जाएगी।

3. भरी न गयी सीटों के लिए निर्वाचन

(1) किन्हीं सीटों जो बिना भरी हुई बची हों, की सूचना प्राप्त होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के अनुदेश के अनुसार यथाशक्य शीघ्र नगर पालिका हेतु ऐसे दिनाँक जैसा कि आयोग द्वारा नियत किया जाए, से पूर्व यथास्थिति, सदस्य या पार्षद या अध्यक्ष या महापौर को निर्वाचित करने के लिए सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा करेगा और नये सिरे से दिनाँक, समय और स्थान को भी नियत करेगा।

(2) यदि निर्वाचन क्षेत्र उप प्रस्तर–1 के अधीन आयोजित निर्वाचन के सम्बन्ध में, यथास्थिति, सदस्य या पार्षद या अध्यक्ष या महापौर को निर्वाचित करने में पुनः विफल रहता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी उक्त तथ्य के सम्बन्ध में सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देगा।

4. शास्तियाँ :– उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के नियम–21 के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति जुर्माने, जो रु0 10,000/–(रुपये दस हजार) तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा जो,–

(1) निर्वाचक नामावली या इसकी प्रति या सम्बन्धित अन्य दस्तावेजों से सम्बन्ध रखता हो या उनके साथ छेड़छाड़ करता हो, या

(2) निर्वाचन में अपने कर्तव्यों के निष्पादन में नियुक्त या नियोजित किसी अधिकारी और सेवक को बाधा पहुँचाता हो या किसी भी रूप में उनके साथ हस्तक्षेप करता हो, या

(3) किसी सार्वजनिक कार्यालय में या अन्यत्र लगाए गए या अन्यथा प्रकाशित किसी प्रति, नोटिस या अन्य दस्तावेजों को विकृत करता हो, नुकसान पहुँचाता हो, विक्षुब्ध करता हो या उन्हें हटाता हो।

5. निर्वाचन पत्रों का निस्तारण

राज्य निर्वाचन आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या किसी अधिकरण द्वारा दिए गए किन्हीं प्रतिकूल निदेशों के अध्यधीन निर्वाचन का परिणाम घोषित होने के दिनाँक से एक वर्ष की अवधि के पश्चात् नगर पालिका के निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त पत्रजातों को नष्ट कर दिया जाएगा। निर्वाचन से सम्बन्धित विवरणी को अगले सामान्य निर्वाचनों के पूरा होने तक प्रतिधारित रखा जाएगा और तत्पश्चात् उसे किसी सक्षम प्राधिकारी या आयोग द्वारा दिए गए किन्हीं प्रतिकूल निदेशों के अध्यधीन नष्ट कर दिया जाएगा। सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ऐसी कालावधि के लिए अखंड रूप से प्रतिधारित रखी जाएंगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करें और उनका किसी पश्चात्वर्ती निर्वाचन में राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रयोग नहीं किया जाएगा।

6. प्रेक्षक

(1) आयोग एक या एक से अधिक प्रेक्षकों को नाम निर्दिष्ट करेगा जो राज्य सरकार का एक अधिकारी होगा और वह किसी नगर पालिका या नगर पालिका के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन पर निगरानी रखेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जो आयोग द्वारा सौंपे जाएं ।

(2) प्रस्तर–1 के अधीन नाम निर्दिष्ट प्रेक्षक को ऐसे नगर पालिका/नगर पालिकाओं, जिसके लिए उसे नाम निर्दिष्ट किया गया है, के रिटर्निंग अधिकारी को यह निदेशित करने की शक्ति प्राप्त होगी कि वह परिणाम घोषित होने के पूर्व किसी भी समय मतों की गणना को रोक दे या परिणाम घोषित न करें, यदि प्रेक्षक की राय में बहुत से मतदान केन्द्रों या मतदान या मतगणना के लिए निश्चित स्थानों पर बूथ कैप्चरिंग हुई हो या मतदान केन्द्र या मतदान के लिए निश्चित स्थान पर प्रयुक्त मतपत्र या मतदान मशीन को रिटर्निंग अधिकारी की रक्षा से अवैध रूप से ले लिया गया हो या आनुशंगिक रूप से अथवा साशय उन्हें नष्ट कर दिया गया हो या गायब कर दिया गया हो या इस सीमा तक क्षतिग्रस्त या विरूपित कर दिया गया हो कि उस मतदान केन्द्र या स्थल के मतदान का परिणाम सुनिश्चित न किया जा सके।

(3) जहाँ कोई प्रेक्षक रिटर्निंग अधिकारी को मतों की गणना रोक देने या परिणाम न घोषित करने का निदेश दे दे, वहाँ प्रेक्षक मामले के सम्बन्ध में तत्काल आयोग को रिपोर्ट भेजेगा और इसके उपरान्त आयोग सभी तात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उपयुक्त निदेश निर्गत करेगा।

(4) प्रस्तर–2 व 3 के प्रयोजनों के लिए प्रेक्षक के अन्तर्गत आयोग का ऐसा अधिकारी भी होगा जिसे आयोग द्वारा किसी नगर पालिका या नगर पालिकाओं के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन में निगरानी रखने की ड्यूटी सौंपी गई हो।

7. उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा

नगरीय निकायों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार में पोस्टर लगाने, जनसभाएं करने, कटआउट लगाने, हैण्डबिल छपाने तथा लाउडस्पीकर इत्यादि के प्रयोग पर किए जाने वाले व्यय को नियंत्रित करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है (परिशिष्ट–52)।

अध्याय–15

रिटर्निंग अधिकारी (RO) द्वारा निर्वाचन की सूचना का कम्प्यूटरीकरण

आगामी नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पदों के लिए Ballot Paper से सम्बन्धित सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी मुद्रणालय को उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे निर्वाचन कार्यों में होने वाली त्रुटियों से बचा जा सके तथा जन सामान्य को भी डाटा उपलब्ध कराया जा सके।

उक्त के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निगम के महापौर एवं नगर पंचायत तथा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद हेतु Ballot Paper पर फोटो मुद्रित करने का भी प्रावधान किया गया है।

इस कार्य के संचालन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जो ऑनलाइन Website के माध्यम से कार्य करेगा। जिसमें उम्मीदवार द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने पर रिटर्निंग अधिकारी (RO) द्वारा उक्त सॉफ्टवेयर में अभ्यर्थी का सम्पूर्ण विवरण यथा नाम, पिता/पति का नाम, शैक्षिक योग्यता, मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर आदि भरा जाएगा और नाम निर्देशन पत्र जमा करने के उपरान्त रिटर्निंग अधिकारी (RO) द्वारा अभ्यर्थी को कम्प्यूटर जनरेटेड रसीद (परिशिष्ट–11) दी जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी (RO) द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की जांच, अभ्यर्थन वापसी, प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन Website(http://sec.up.nic.in) पर करने के पश्चात् निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों की सूची को Dummy Ballot Paper के रूप में मुद्रणालय को Website के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी।

आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर पर रिटर्निंग अधिकारी (RO) द्वारा नाम निर्देशन पत्रों को भरने हेतु निम्न प्रक्रिया की जानी होगी :–

1. रिटर्निंग अधिकारी (RO) को उपलब्ध Login ID एवं Password का प्रयोग करते हुए सॉफ्टवेयर में उम्मीदवार द्वारा नाम निर्देशन पत्र में दिए गये विवरण को भरना होगा एवं उम्मीदवार की फोटो नाम निर्देशन पत्र तथा समस्त संलग्न दस्तावेजों को एक साथ स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड किया जाना होगा।
2. नगर निगम के महापौर तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के निर्वाचन में कैमरे द्वारा फोटो खीचकर ऑनलाइन सुरक्षित की जानी है इसलिए इन पदों के प्रत्येक उम्मीदवार की फोटो ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है।
3. पार्षद एवं सदस्य पदों पर उम्मीदवार की फोटो को स्कैन करके ऑनलाइन सर्वर पर अपलोड किया जाना है।
4. यह सुनिश्चित कर लें कि उम्मीदवार की जो फोटो अपलोड की जानी है उस फोटो के 80% भाग में केवल चेहरा तथा फोटो का बैकग्राउंड श्वेत होना चाहिए।
5. उक्त प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरान्त नामांकन का डेटा सेव (Save) करके उम्मीदवार को कम्प्यूटर जनरेटेड चेक लिस्ट दी जायेगी ताकि वह अपनी ऑन लाइन भरी सूचना का मिलान करके डेटा के सही होने अथवा संशोधन किये जाने की सूचना रिटर्निंग अधिकारी (RO) को दे सके। उम्मीदवार द्वारा उक्त सूचना रिटर्निंग अधिकारी (RO) को दिए जाने के पश्चात् आवश्यक संशोधन करके नामांकन पत्र Submit किया जाएगा।
6. अभ्यर्थी का नामांकन सबमिट किये जाने के उपरान्त अभ्यर्थी को कम्प्यूटर द्वारा प्राप्ति रसीद दी जाएगी। उक्त रसीद में अभ्यर्थी का सम्पूर्ण विवरण तथा नाम निर्देशन पत्र की

जांच का दिनांक व समय का उल्लेख करके अभ्यर्थी को उपलब्ध कराना होगा। किसी भी दशा में हस्त लिखित रसीद मान्य नहीं होगी। यदि किसी प्रकार का तकनीकी व्यवधान रिटर्निंग अधिकारी (RO) कैंप में उत्पन्न हो जाए तो रिटर्निंग अधिकारी (RO) उस समय फॉर्म में उपलब्ध रसीद का प्रयोग कर सकता है तथा जांच प्रक्रिया से पूर्व अभ्यर्थी को ऑनलाइन रसीद की प्रति उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

7. यदि किसी अभ्यर्थी का नामांकन Submit नहीं किया गया है तो उस अभ्यर्थी के नामांकन की प्रविष्टि मान्य नहीं होगी जिसके फलस्वरूप उस अभ्यर्थी का डाटा आगे की किसी भी प्रक्रिया (जाँच, वापसी, प्रतीक आवंटन) में प्रदर्शित नहीं होगा।

8. नाम निर्देशन पत्र Submit किये जाने के पश्चात् नाम निर्देशन पत्रों की जाँच, अभ्यर्थन वापसी का कार्य भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना होगा। अभ्यर्थन वापस लेने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से रसीद (परिशिष्ट–20) दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

9. उम्मीदवार द्वारा नाम वापसी का समय समाप्त होने पर रिटर्निंग अधिकारी (RO) द्वारा निर्देश पुस्तिका के अध्याय–7 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार Symbol Allotment की प्रक्रिया को सम्पन्न किया जाएगा तथा आयोग की वेबसाइट में उपलब्ध सॉफ्टवेयर में Manually Feed किया जाएगा।

10. Symbol Allotment में की गई प्रक्रिया ऑनलाइन फीड करने के पश्चात् Dummy Ballot Paper ऑनलाइन वेबसाइट पर तैयार हो जाएगा। उक्त Dummy Ballot Paper को सी0डी0ओ0/ए0डी0एम0/प्रभारी अधिकारी के द्वारा आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए Login Id एवं Password का उपयोग करके Dummy Ballot Paper को Approve किया जाएगा।

11. सी0डी0ओ0/ए0डी0एम0/प्रभारी अधिकारी द्वारा Dummy Ballot Paper के ठीक होने की पुष्टि किये जाने के पश्चात् ही मतपत्रों के मुद्रण हेतु मुद्रणालय को वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

12. नाम निर्देशन पत्र जमा करने, नाम निर्देशन पत्रों की जांच तथा अभ्यर्थन वापसी आदि प्रक्रिया पूर्ण होने पर में ससमय SMS के माध्यम से उम्मीदवार को सूचना प्रेषित की जाएगी।

13. उक्त समस्त प्रक्रिया आयोग द्वारा निर्गत निर्वाचन की अधिसूचना में निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही सम्पन्न करनी होगी।

उक्त नामांकन, जांच, अभ्यर्थन वापसी तथा प्रतीक आवंटन की प्रविष्ठि हेतु समस्त निर्वाचन अधिकारी (RO) को आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर, स्कैनर, इन्टरनेट, डिजिटल कैमरा तथा अन्य सहवर्ती उपकरण की व्यवस्था तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर/मैनपॉवर की व्यवस्था करवा लें। जिससे कि निर्वाचन प्रक्रिया को सफलता पूर्वक संचालित किया जा सके। (आयोग द्वारा समय समय पर इस सम्बन्ध में पृथक् से निर्देश उपलब्ध कराए जाएंगे)

(प्ररूप–1)
पीठासीन/मतदान अधिकारी का नियुक्ति आदेश

*नगरीय निकाय के सामान्य/उप निर्वाचन ..... वर्ष के लिए मतदान दिनाँक .....
को ..... बजे ..... से ..... बजे तक कराया जाना निर्धारित है।
उक्त निर्वाचन हेतु निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को पीठासीन/मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक	नगर निकाय व जनपद का नाम	मतदान केन्द्र की संख्या व नाम	मतदान स्थल की संख्या व नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम व कार्यालय का पता	मतदान अधिकारी का नाम व कार्यालय का पता वरिष्ठता क्रम में	पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में उसके दायित्व निर्वहन हेतु अधिकृत मतदान अधिकारी का नाम व पता
1	2	3	4	5	6	7
					1 2 3	

स्थान .....
दिनाँक .....

प्ररूप–2

निर्वाचन की सूचना

..... नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पचांयत* के *महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन/के वार्ड संख्या ..... के *पार्षद/सदस्य के स्थान/पद के लिए निर्वाचन

मै ..... उक्त *नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के *महापौर/अध्यक्ष/के वार्ड संख्या ..... के *पार्षद/सदस्य के स्थान/पद के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी, एतद्द्वारा निम्नलिखित सार्वजनिक सूचना देता हूँः–

सार्वजनिक सूचना

1. नाम निर्देशन पत्र का प्ररूप उपर्युक्त रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से दिनाँक ..... से दिनाँक ..... तक प्रतिदिन ..... बजे से ..... बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
2. नाम निर्देशन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उसके कार्यालय में दिनाँक ..... को दिन में ..... बजे से ..... बजे के बीच प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
3. नाम निर्देशन पत्रों की जाँच ..... (स्थान का विवरण) में दिनाँक ..... को ..... बजे से की जाएगी।
4. अभ्यर्थन वापस लेने की सूचना उम्मीदवार द्वारा या उसके प्रस्तावक या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उसके कार्यालय में दिनाँक ..... को अपरान्ह 3.00 बजे से पूर्व दी जाएगी।
5. उम्मीदवारों को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनाँक ..... को ..... बजे से प्रतीक आवंटित किए जाएंगे।
6. निर्वाचन सविरोध होने की दशा में मतदान दिनाँक ..... को ..... बजे से ..... बजे के बीच नीचे विर्निदिष्ट मतदान स्थलों पर होगा।

मतदान स्थलों का विवरण

1 .....
2 .....
3 .....
4 .....
5 .....
आदि .....
स्थान .....
दिनाँक .....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर
मुहर

प्ररूप–3

नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति व संवीक्षा का स्थान

क्रमांक	पद जिसके लिए निर्वाचन होना है	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना		नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा	
		स्थान	निर्वाचन अधिकारी / सहायक निर्वाचन अधकारी	स्थान	किस अधिकारी द्वारा संवीक्षा की जानी है
1	नगर पंचायत सदस्य	सम्बन्धित तहसील मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर	निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी	सम्बन्धित तहसील मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर	निर्वाचन अधिकारी
2	नगर पंचायत अध्यक्ष	सम्बन्धित तहसील मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर	तदैव	तदैव	तदैव
3	नगर पालिका परिषद् सदस्य	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
4	नगर पालिका परिषद् अध्यक्ष	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
5	नगर निगम पार्षद	जिला मुख्यालय अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर	तदैव	जिला मुख्यालय	तदैव
6	नगर निगम महापौर	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

प्ररूप–4

नाम निर्देशन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों की दैनिक जानकारी

*नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत.....जनपद .....

वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या	निकाय/वार्ड का आरक्षण		उम्मीदवारों की संख्या जिनके नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए		उम्मीदवारों द्वारा दर्शाई गई दलीय सम्बद्धता										
	अ0जा0/अ0ज0जा0 अन्य पि0व0/महिला	अनारक्षित	आज की संख्या	प्रतिगतिशील योग	भाजपा	माकपा	भाकपा	कांग्रेस	जद (यू.)	समता	बसपा	सपा	अन्य दल	निर्दलीय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

नोटः–

(1) क्रमांक–5 के स्तम्भ में उम्मीदवारों की शुद्ध संख्या दर्शायी जाए। यदि उम्मीदवार ने एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र भरे हैं तो गणना में केवल एक ही लिया जाए। आज की संख्या के अन्तर्गत यदि ऐसे उम्मीदवार का नाम पुनः सम्मिलित है जो पूर्व के दिनाँकों में भी नाम निर्देशित पत्र प्रस्तुत कर चुका है तो स्तम्भ–5 के अन्तर्गत (प्रगतिशील योग में) उसे पुनः सम्मिलित न किया जाए।

(2) स्तम्भ–6 से 16 तक की जानकारी स्तम्भ–5 के आधार पर हो तथा इनका योग स्तम्भ–5 की संख्या होना चाहिए।

जनपद .... की नगर निगम के महापौर पद हेतु निर्वाचन **प्रतिपर्ण**

फॉर्म संख्या ....

मूल्य: अनारक्षित श्रेणी- रू० 1000/- ☐ आरक्षित श्रेणी - रू० 500/- ☐

नाम निर्देशन पत्र खरीदने वाले का विवरण

1- खरीदने वाले का नाम ....

2- दिनांक .... **बेचने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर**

नामांकन सेट प्रथम बार ☐ **द्वितीय बार** ☐ **तृतीय बार** ☐ **चतुर्थ बार** ☐ **नाम निर्देशन पत्र**

जनपद... की नगर निगम के महापौर पद हेतु निर्वाचन

उम्मीदवार	प्रस्तावक
उम्मीदवार का चित्र	प्रस्तावक का चित्र
height 2.5 x width 2cm	height 2.5 x width 2cm

फॉर्म संख्या ....

मूल्य- अनारक्षित श्रेणी- रू० 1000/- ☐ आरक्षित श्रेणी - रू० 500/- ☐

1-उम्मीदवार का नाम...

2-पिता/पति का नाम..

3-आयु...

4-लिंग: पुरुष ☐ महिला ☐

5-उम्मीदवार की जाति/वर्ग: अनारक्षित ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जन जाति ☐

6-मोबाइल न० ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 7-आधार न० ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

8-ई-मेल ....

9-नगर निगम की निर्वाचक नामावली में उम्मीदवार की क्रम संख्या .... मतदान स्थल/भाग संख्या.................मतदान केंद्र/स्थल का नाम.. तथा वार्ड संख्या.........................

10-प्रस्तावक का नाम श्री/सुश्री .... पिता/पति का नाम ....

नगर निगम की निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या .... मतदान स्थल/भाग संख्या .... मतदान केंद्र/स्थल का नाम .... तथा वार्ड संख्या ....

11-यदि उम्मीदवार किसी ऐसे राजनीतिक दल द्वारा चुनाव लड़ रहा है जो राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० में पंजीकृत है तो उस दल का नाम...

11.1-क्या प्राधिकार पत्र संलग्न है ? हाँ ☐ नहीं ☐

12-संलग्न प्रपत्रों का विवरण :

☐ प्ररूप-6(जाति प्रमाण पत्र) ☐ प्ररूप-7(आपराधिक,चल,अचल सम्पत्ति) ☐ प्ररूप-7क,7ख (प्राधिकार पत्र) ☐ अदेयता प्रमाण पत्र

☐ दो फोटो* (उम्मीदवार) ☐ निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रति ☐ जमानत धनराशी की रसीद

प्रस्तावक का हस्ताक्षर या निशान अंगूठा **उम्मीदवार का हस्ताक्षर या निशान अंगूठा**

स्थान.......................... दिनांक.........................

नाम निर्देशन पत्र दिये जाने का प्रमाण पत्र

क्रम संख्या................................

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे उम्मीदवार/ प्रस्तावक द्वारा मेरे कार्यालय में दिनांक ....को ....बजे दिया गया ।

दिनांक .... **हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी**

जाँच का प्रमाण पत्र

मैंने उम्मीदवार और प्रस्तावक की पात्रता की जाँच कर ली है और मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि वे क्रमशः निर्वाचन के लिये खड़े होने तथा नाम निर्देशन का प्रस्ताव करने की अर्हता रखते हैं ।

दिनांक .... **हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी**

रसीद

(कम्प्यूटर से रसीद न निकलने की दशा में ही दी जाए)

जनपद .... की नगर निगम के महापौर पद हेतु निर्वाचन

नाम निर्देशन पत्र के प्राप्ति की रसीद और जाँच की सूचना (नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देने के लिए)

फॉर्म संख्या...................................

श्री/सुश्री... पिता/पति का नाम .... जो नगर निगम के महापौर पद के लिए उम्मीदवार है, का नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में दिनांक.................को.............बजे उम्मीदवार/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।

नाम निर्देशन पत्रों की जाँच दिनांक..............को...........बजे...(स्थान) में की जायेगी ।

दिनांक... **रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर**

नोट: *1. कम्प्यूटर से रसीद न निकलने की दशा में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए समय पर कम्प्यूटर रसीद प्राप्त की जा सकती है, कम्प्यूटर द्वारा निकाली हुई रसीद ही मान्य होगी। 2. उम्मीदवार की एक फोटो फॉर्म में निर्धारित स्थान पर चस्पा की जाएगी तथा एक फोटो फॉर्म के साथ नत्थी करना है। 3. दो फोटो, आवश्यक संलग्नक जाँच की प्रक्रिया से पूर्व जमा करना अनिवार्य है। 4. द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेट जमा करते समय प्रथम सेट की रसीद लाना अनिवार्य है।*

जनपद ..... **की नगर निगम के वार्ड संख्या** ..... के **पार्षद पद हेतु निर्वाचन** **<u>प्रतिपर्ण</u>**

फॉर्म संख्या .....

मूल्य: अनारक्षित श्रेणी - रु० 400/- ☐ आरक्षित श्रेणी - रू० 200/- ☐

नाम निर्देशन पत्र खरीदने वाले का विवरण

1- खरीदने वाले का नाम .....

2- दिनांक ..... **बेचने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर**

नामांकन सेट **प्रथम बार** ☐ **द्वितीय बार** ☐ **तृतीय बार** ☐ **चतुर्थ बार** ☐ **<u>नाम निर्देशन पत्र</u>**

जनपद..... **की नगर निगम के वार्ड संख्या** ..... **के पार्षद पद हेतु निर्वाचन**

फॉर्म संख्या .....

मूल्य- अनारक्षित श्रेणी- रू० 400/- ☐ आरक्षित श्रेणी - रू० 200/- ☐

1-उम्मीदवार का नाम.....

2-पिता/पति का नाम.....

3-आयु.....

4-लिंग: पुरुष ☐ महिला ☐

उम्मीदवार

उम्मीदवार का चित्र

height 2.5 x width 2cm

प्रस्तावक

प्रस्तावक का चित्र

height 2.5 x width 2cm

5-उम्मीदवार की जाति/वर्ग: अनारक्षित ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जन जाति ☐

6-मोबाइल न० ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 7-आधार न० ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

8-ई-मेल .....

9-नगर निगम की निर्वाचक नामावली में उम्मीदवार की क्रम संख्या..... मतदान स्थल/भाग संख्या..... मतदान केंद्र/स्थल का नाम..... तथा वार्ड संख्या.....

10-प्रस्तावक का नाम श्री/सुश्री..... पिता/पति का नाम.....

नगर निगम की निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या..... मतदान स्थल/भाग संख्या..... मतदान केंद्र/स्थल का नाम..... तथा वार्ड संख्या.....

11-यदि उम्मीदवार किसी ऐसे राजनीतिक दल द्वारा चुनाव लड़ रहा है जो राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० में पंजीकृत है तो उस दल का नाम.....

11.1-क्या प्राधिकार पत्र संलग्न है ? हाँ ☐ नहीं ☐

12-संलग्न प्रपत्रों का विवरण :

☐ प्ररूप-6(जाति प्रमाण पत्र) ☐ प्ररूप-7(आपराधिक,चल,अचल सम्पत्ति) ☐ प्ररूप-7क,7ख (प्राधिकार पत्र) ☐ अदेयता प्रमाण पत्र

☐ दो फोटो* (उम्मीदवार) ☐ निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रति ☐ जमानत धनराशी की रसीद

प्रस्तावक का हस्ताक्षर या निशान अंगूठा **उम्मीदवार का हस्ताक्षर या निशान अंगूठा**

स्थान..... दिनांक.....

<u>नाम निर्देशन पत्र दिये जाने का प्रमाण पत्र</u>

क्रम संख्या.....

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे उम्मीदवार/ प्रस्तावक द्वारा मेरे कार्यालय में दिनांक ..... को .....बजे दिया गया ।

दिनांक ..... **हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी**

<u>जाँच का प्रमाण पत्र</u>

मैंने उम्मीदवार और प्रस्तावक की पात्रता की जाँच कर ली है और मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि वे क्रमशः निर्वाचन के लिये खड़े होने तथा नाम निर्देशन का प्रस्ताव करने की अर्हता रखते हैं ।

दिनांक ..... **हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी**

<u>रसीद</u>

(कम्प्यूटर द्वारा रसीद प्राप्त न होने की दशा में ही दी जाए)

जनपद ..... **की नगर निगम के वार्ड संख्या** ..... के **पार्षद पद हेतु निर्वाचन**

<u>नाम निर्देशन पत्र के प्राप्ति की रसीद और जाँच की सूचना (नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देने के लिए)</u>

फॉर्म संख्या.....

श्री/सुश्री..... पिता/पति का नाम..... जो नगर निगम के वार्ड संख्या..... के पार्षद पद के लिए उम्मीदवार है, का नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में दिनांक.....को.....बजे उम्मीदवार/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।

नाम निर्देशन पत्रों की जाँच दिनांक.....को.....बजे..... (स्थान) में की जायेगी ।

दिनांक..... **रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर**

***नोट**: 1. कम्प्यूटर से रसीद न निकलने की दशा में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए समय पर कम्प्यूटर रसीद प्राप्त की जा सकती है, कम्प्यूटर द्वारा निकाली हुई रसीद ही मान्य होगी। 2. उम्मीदवार की एक फोटो फॉर्म में निर्धारित स्थान पर चस्पा की जाएगी तथा एक फोटो फॉर्म के साथ नत्थी करना है। 3. दो फोटो, आवश्यक संलग्नक जाँच की प्रक्रिया से पूर्व जमा करना अनिवार्य है। 4. द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेट जमा करते समय प्रथम सेट की रसीद लाना अनिवार्य है।*

जनपद ..... **की नगर पालिका परिषद** ..... के **अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन** **प्रतिपर्ण**

फॉर्म संख्या .....

मूल्य: अनारक्षित श्रेणी - रु० 500/- ☐ आरक्षित श्रेणी - रू० 250/- ☐

नाम निर्देशन पत्र खरीदने वाले का विवरण

1- खरीदने वाले का नाम .....

2- दिनांक ..... **बेचने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर**

नामांकन सेट **प्रथम बार** ☐ **द्वितीय बार** ☐ **तृतीय बार** ☐ **चतुर्थ बार** ☐ **नाम निर्देशन पत्र**

जनपद ..... **की नगर पालिका परिषद** ..... के **अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन**

फॉर्म संख्या.....

मूल्य- अनारक्षित श्रेणी - रू० 500/- ☐ आरक्षित श्रेणी - रू० 250/- ☐

उम्मीदवार: उम्मीदवार का चित्र (height 2.5 x width 2cm)

प्रस्तावक: प्रस्तावक का चित्र (height 2.5 x width 2cm)

1-उम्मीदवार का नाम.....

2-पिता/पति का नाम.....

3-आयु.....

4-लिंग: पुरुष ☐ महिला ☐

5-उम्मीदवार की जाति/वर्ग: अनारक्षित ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जन जाति ☐

6-मोबाइल न० ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 7-आधार न० ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

8-ई-मेल .....

9-नगर पालिका परिषद.....की निर्वाचक नामावली में उम्मीदवार की क्रम संख्या.....मतदान स्थल/भाग संख्या..... मतदान केंद्र/स्थल का नाम..... तथा वार्ड संख्या.....

10-प्रस्तावक का नाम श्री/सुश्री..... पिता/पति का नाम.....

नगर पालिका परिषद की निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या.....मतदान स्थल/भाग संख्या.....मतदान केंद्र/स्थल का नाम..... तथा वार्ड संख्या.....

11-यदि उम्मीदवार किसी ऐसे राजनीतिक दल द्वारा चुनाव लड़ रहा है जो राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० में पंजीकृत है तो उस दल का नाम.....

11.1-क्या प्राधिकार पत्र संलग्न है ? हाँ ☐ नहीं ☐

12-संलग्न प्रपत्रों का विवरण :

☐ प्ररूप-6(जाति प्रमाण पत्र) ☐ प्ररूप-7(आपराधिक,चल,अचल सम्पत्ति) ☐ प्ररूप-7क,7ख (प्राधिकार पत्र) ☐ अदेयता प्रमाण पत्र

☐ दो फोटो* (उम्मीदवार) ☐ निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रति ☐ जमानत धनराशी की रसीद

प्रस्तावक का हस्ताक्षर या निशान अंगूठा **उम्मीदवार का हस्ताक्षर या निशान अंगूठा**

स्थान.....

दिनांक.....

नाम निर्देशन पत्र दिये जाने का प्रमण पत्र

क्रम संख्या.....

यह नाम निर्देशन पत्र मझे उम्मीदवार/ प्रस्तावक द्वारा मेरे कार्यालय में दिनांक ..... को .....बजे दिया गया ।

दिनांक ..... **हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी**

जाँच का प्रमाण पत्र

मैंने उम्मीदवार और प्रस्तावक की पात्रता की जाँच कर ली है और मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि वे क्रमशः निर्वाचन के लिये खड़े होने तथा नाम निर्देशन का प्रस्ताव करने की अर्हता रखते हैं।

दिनांक ..... **हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी**

रसीद

(कम्प्यूटर से रसीद न निकलने की दशा में ही दी जाए)

जनपद ..... **की नगर पालिका परिषद** ..... के **अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन**

नाम निर्देशन पत्र के प्राप्ति की रसीद और जाँच की सूचना (नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देने के लिए)

फॉर्म संख्या.....

श्री/सुश्री..... पिता/पति का नाम..... जो नगर पालिका परिषद ..... के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार है, का नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में दिनांक.....को.....बजे उम्मीदवार/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।

नाम निर्देशन पत्रों की जाँच दिनांक.....को.....बजे.....(स्थान) में की जायेगी ।

दिनांक..... **रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर**

नोट: *1. कम्प्यूटर से रसीद न निकलने की दशा में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए समय पर कम्प्यूटर रसीद प्राप्त की जा सकती है, कम्प्यूटर द्वारा निकाली हुई रसीद ही मान्य होगी। 2. उम्मीदवार की एक फोटो फॉर्म में निर्धारित स्थान पर चस्पा की जाएगी तथा एक फोटो फॉर्म के साथ नत्थी करना है। 3. दो फोटो, आवश्यक संलग्नक जाँच की प्रक्रिया से पूर्व जमा करना अनिवार्य है। 4. द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेट जमा करते समय प्रथम सेट की रसीद लाना अनिवार्य है।*

जनपद .....**की नगर पालिका परिषद**.....**के वार्ड संख्या**.....के **सदस्य पद हेतु निर्वाचन** **<u>प्रतिपर्ण</u>**

फॉर्म संख्या .....

मूल्य: अनारक्षित श्रेणी - रु० 200/- ☐ आरक्षित श्रेणी - रू० 100/- ☐

नाम निर्देशन पत्र खरीदने वाले का विवरण

1- खरीदने वाले का नाम .....

2- दिनांक ..... **बेचने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर**

नामांकन सेट **प्रथम बार** ☐ **द्वितीय बार** ☐ **तृतीय बार** ☐ **चतुर्थ बार** ☐ **<u>नाम निर्देशन पत्र</u>**

जनपद ..... **की नगर पालिका परिषद** ..... **के वार्ड संख्या** ..... के **सदस्य पद हेतु निर्वाचन**

फॉर्म संख्या.....

मूल्य- अनारक्षित श्रेणी - रू० 200/- ☐ आरक्षित श्रेणी - रू० 100/- ☐

1-उम्मीदवार का नाम.....

2-पिता/पति का नाम.....

3-आयु.....

4-लिंग: पुरुष ☐ महिला ☐

उम्मीदवार

उम्मीदवार का चित्र

height 2.5 x width 2cm

प्रस्तावक

प्रस्तावक का चित्र

height 2.5 x width 2cm

5-उम्मीदवार की जाति/वर्ग: अनारक्षित ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जन जाति ☐

6-मोबाइल न० ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 7-आधार न० ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

8-ई-मेल .....

9-नगर पालिका परिषद की निर्वाचक नामावली में उम्मीदवार की क्रम संख्या..... मतदान स्थल/भाग संख्या.....

मतदान केंद्र/स्थल का नाम... ..... तथा वार्ड संख्या.....

10-प्रस्तावक का नाम श्री/सुश्री..... पिता/पति का नाम.....

नगर पालिका परिषद की निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या ..... मतदान स्थल/भाग संख्या..... मतदान केंद्र/स्थल का नाम..... तथा वार्ड संख्या.....

11-यदि उम्मीदवार किसी ऐसे राजनीतिक दल द्वारा चुनाव लड़ रहा है जो राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० में पंजीकृत है तो उस दल का नाम.....

11.1-क्या प्राधिकार पत्र संलग्न है ? हाँ ☐ नहीं ☐

12-संलग्न प्रपत्रों का विवरण :

☐ प्ररूप-6(जाति प्रमाण पत्र) ☐ प्ररूप-7(आपराधिक,चल,अचल सम्पत्ति) ☐ प्ररूप-7क,7ख (प्राधिकार पत्र) ☐ अदेयता प्रमाण पत्र

☐ दो फोटो* (उम्मीदवार) ☐ निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रति ☐ जमानत धनराशी की रसीद

प्रस्तावक का हस्ताक्षर या निशान अंगूठा **उम्मीदवार का हस्ताक्षर या निशान अंगूठा**

स्थान.....

दिनांक.....

<u>नाम निर्देशन पत्र दिये जाने का प्रमाण पत्र</u>

क्रम संख्या.....

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे उम्मीदवार/ प्रस्तावक द्वारा मेरे कार्यालय में दिनांक ..... को .....बजे दिया गया ।

दिनांक ..... **हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी**

<u>जाँच का प्रमाण पत्र</u>

मैंने उम्मीदवार और प्रस्तावक की पात्रता की जाँच कर ली है और मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि वे क्रमशः निर्वाचन के लिये खड़े होने तथा नाम निर्देशन का प्रस्ताव करने की अर्हता रखते हैं ।

दिनांक ..... **हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी**

<u>रसीद</u>

(कम्प्यूटर से रसीद न निकलने की दशा में ही दी जाए)

जनपद .....**की नगर पालिका परिषद**.....**के वार्ड संख्या**.....के **सदस्य पद हेतु निर्वाचन**

<u>नाम निर्देशन पत्र के प्राप्ति की रसीद और जाँच की सूचना (नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देने के लिए)</u>

फॉर्म संख्या.....

श्री/सुश्री..... पिता/पति का नाम..... जो नगर पालिका परिषद ..... के वार्ड संख्या ..... के सदस्य पद के लिए उम्मीदवार है, का नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में दिनांक.....को.....बजे उम्मीदवार/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।

नाम निर्देशन पत्रों की जाँच दिनांक.....को.....बजे..... (स्थान) में की जायेगी ।

दिनांक..... **रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर**

नोट: *1. कम्प्यूटर से रसीद न निकलने की दशा में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए समय पर कम्प्यूटर रसीद प्राप्त की जा सकती है, कम्प्यूटर द्वारा निकाली हुई रसीद ही मान्य होगी। 2. उम्मीदवार की एक फोटो फॉर्म में निर्धारित स्थान पर चस्पा की जाएगी तथा एक फोटो फॉर्म के साथ नत्थी करना है। 3. दो फोटो, आवश्यक संलग्नक जाँच की प्रक्रिया से पूर्व जमा करना अनिवार्य है। 4. द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेट जमा करते समय प्रथम सेट की रसीद लाना अनिवार्य है।*

जनपद ..... **की नगर पंचायत** ..... के **अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन** **<u>प्रतिपर्ण</u>**

फॉर्म संख्या .....

मूल्य: अनारक्षित श्रेणी - रु० 250/- ☐ आरक्षित श्रेणी - रू० 125/- ☐

नाम निर्देशन पत्र खरीदने वाले का विवरण

1- खरीदने वाले का नाम .....

2- दिनांक ..... **बेचने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर**

नामांकन सेट **प्रथम बार** ☐ **द्वितीय बार** ☐ **तृतीय बार** ☐ **चतुर्थ बार** ☐ **<u>नाम निर्देशन पत्र</u>**

जनपद ..... **की नगर पंचायत** ..... के **अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन**

फॉर्म संख्या.....

उम्मीदवार प्रस्तावक

मूल्य- अनारक्षित श्रेणी - रू० 250/- ☐ आरक्षित श्रेणी - रू० 125/- ☐

उम्मीदवार का चित्र	प्रस्तावक का चित्र
height 2.5 x width 2cm	height 2.5 x width 2cm

1-उम्मीदवार का नाम.....

2-पिता/पति का नाम.....

3-आयु.....

4-लिंग: पुरुष ☐ महिला ☐

5-उम्मीदवार की जाति/वर्ग: अनारक्षित ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जन जाति ☐

6-मोबाइल न० ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 7-आधार न० ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

8-ई-मेल .....

9-नगर पंचायत .....की निर्वाचक नामावली में उम्मीदवार की क्रम संख्या..... मतदान स्थल/भाग संख्या.....

मतदान केंद्र/स्थल का नाम.....तथा वार्ड संख्या.....

10-प्रस्तावक का नाम श्री/सुश्री..... पिता/पति का नाम.....

नगर पंचायत की निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या ..... मतदान स्थल/भाग संख्या..... मतदान केंद्र/स्थल का नाम..... तथा वार्ड संख्या.....

11-यदि उम्मीदवार किसी ऐसे राजनीतिक दल द्वारा चुनाव लड़ रहा है जो राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० में पंजीकृत है तो उस दल का नाम.....

11.1-क्या प्राधिकार पत्र संलग्न है ? हाँ ☐ नहीं ☐

12-संलग्न प्रपत्रों का विवरण :

☐ प्ररूप-6(जाति प्रमाण पत्र) ☐ प्ररूप-7(आपराधिक,चल,अचल सम्पत्ति) ☐ प्ररूप-7क,7ख (प्राधिकार पत्र) ☐ अदेयता प्रमाण पत्र

☐ दो फोटो* (उम्मीदवार) ☐ निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रति ☐ जमानत धनराशी की रसीद

प्रस्तावक का हस्ताक्षर या निशान अंगूठा **उम्मीदवार का हस्ताक्षर या निशान अंगूठा**

स्थान.....

दिनांक.....

<u>नाम निर्देशन पत्र दिये जाने का प्रमण पत्र</u>

क्रम संख्या.....

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे उम्मीदवार/ प्रस्तावक द्वारा मेरे कार्यालय में दिनांक ..... को .....बजे दिया गया ।

दिनांक ..... **हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी**

<u>जाँच का प्रमाण पत्र</u>

मैंने उम्मीदवार और प्रस्तावक की पात्रता की जाँच कर ली है और मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि वे क्रमशः निर्वाचन के लिये खड़े होने तथा नाम निर्देशन का प्रस्ताव करने की अर्हता रखते हैं ।

दिनांक ..... **हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी**

<u>रसीद</u>

(कम्प्यूटर से रसीद न निकलने की दशा में ही दी जाए)

जनपद ..... **की नगर पंचायत** ..... के **अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन**

<u>नाम निर्देशन पत्र के प्राप्ति की रसीद और जाँच की सूचना (नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देने के लिए)</u>

संख्या.....

श्री/सुश्री..... पिता/पति का नाम..... जो नगर पंचायत ..... के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार है, का नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में दिनांक.....को.....बजे उम्मीदवार/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।

नाम निर्देशन पत्रों की जाँच दिनांक.....**को**.....**बजे**.....**(स्थान) में की जायेगी ।**

दिनांक..... **रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर**

नोट: *1. कम्प्यूटर से रसीद न निकलने की दशा में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए समय पर कम्प्यूटर रसीद प्राप्त की जा सकती है, कम्प्यूटर द्वारा निकाली हुई रसीद ही मान्य होगी। 2. उम्मीदवार की एक फोटो फॉर्म में निर्धारित स्थान पर चस्पा की जाएगी तथा एक फोटो फॉर्म के साथ नत्थी करना है। 3. दो फोटो, आवश्यक संलग्नक जाँच की प्रक्रिया से पूर्व जमा करना अनिवार्य है। 4. द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेट जमा करते समय प्रथम सेट की रसीद लाना अनिवार्य है।*

जनपद ....**की नगर पंचायत** .... के वार्ड संख्या...............के **सदस्य पद हेतु निर्वाचन** **प्रतिपर्ण**

फॉर्म संख्या ....

मूल्य: अनारक्षित श्रेणी - रू० 100 /- ☐ आरक्षित श्रेणी - रू० 50 /- ☐

नाम निर्देशन पत्र खरीदने वाले का विवरण

1- खरीदने वाले का नाम ....

2- दिनांक .... **बेचने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर**

✂ - ✂ - ✂

नामांकन सेट **प्रथम बार** ☐ **द्वितीय बार** ☐ **तृतीय बार** ☐ **चतुर्थ बार** ☐ **नामांकन पत्र**

जनपद .... **की नगर पंचायत** .... के वार्ड संख्या...............के **सदस्य पद हेतु निर्वाचन**

फॉर्म संख्या.......................................

उम्मीदवार	प्रस्तावक
उम्मीदवार का चित्र	प्रस्तावक का चित्र
height 2.5 x width 2cm	height 2.5 x width 2cm

मूल्य- अनारक्षित श्रेणी - रू० 100 /- ☐ आरक्षित श्रेणी - रू० 50 /- ☐

1-उम्मीदवार का नाम..

2-पिता/पति का नाम..

3-आयु...

4-लिंग: पुरुष ☐ महिला ☐

5-उम्मीदवार की जाति/वर्ग: अनारक्षित ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जन जाति ☐

6-मोबाइल न० ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 7-आधार न० ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

8-ई-मेल ....

9-नगर पंचायत ....की निर्वाचक नामावली में उम्मीदवार की क्रम संख्या मतदान स्थल/भाग संख्या..........................

मतदान केंद्र/स्थल का नाम.. तथा वार्ड संख्या.........................

10-प्रस्तावक का नाम श्री/सुश्री... पिता/पति का नाम..

नगर पंचायत की निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या .... मतदान स्थल/भाग संख्या........................... मतदान केंद्र/स्थल का नाम... तथा वार्ड संख्या.........................

11-यदि उम्मीदवार किसी ऐसे राजनीतिक दल द्वारा चुनाव लड़ रहा है जो राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० में पंजीकृत है तो उस दल का नाम..

11.1-क्या प्राधिकार पत्र संलग्न है ? हाँ ☐ नहीं ☐

12-संलग्न प्रपत्रों का विवरण :

☐ प्ररूप-6(जाति प्रमाण पत्र) ☐ प्ररूप-7(आपराधिक,चल,अचल सम्पत्ति) ☐ प्ररूप-7क,7ख (प्राधिकार पत्र) ☐ अदेयता प्रमाण पत्र

☐ दो फोटो* (उम्मीदवार) ☐ निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रति ☐ जमानत धनराशी की रसीद

प्रस्तावक का हस्ताक्षर या निशान अंगूठा **उम्मीदवार का हस्ताक्षर या निशान अंगूठा**

स्थान..........................

दिनांक.........................

<u>नाम निर्देशन पत्र दिये जाने का प्रमण पत्र</u>

क्रम संख्या................................

यह नाम निर्देशन पत्र मझे उम्मीदवार/ प्रस्तावक द्वारा मेरे कार्यालय में दिनांक ....को ....बजे दिया गया ।

दिनांक .... **हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी**

जाँच का प्रमाण पत्र

मैंने उम्मीदवार और प्रस्तावक की पात्रता की जाँच कर ली है और मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि वे क्रमशः निर्वाचन के लिये खड़े होने तथा नाम निर्देशन का प्रस्ताव करने की अर्हता रखते हैं ।

दिनांक .... **हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी**

✂ - ✂ - ✂

<u>रसीद</u>

(कम्प्यूटर से रसीद न निकलने की दशा में ही दी जाए)

जनपद ....**की नगर पंचायत** .... के वार्ड संख्या...............के **सदस्य पद हेतु निर्वाचन**

<u>नाम निर्देशन पत्र के प्राप्ति की रसीद और जाँच की सूचना (नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देने के लिए)</u>

फॉर्म संख्या.....................................

श्री/सुश्री... पिता/पति का नाम.. जो नगर पंचायत .... के वार्ड संख्या ....के सदस्य पद के लिए उम्मीदवार है, का नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में दिनांक.................को.............बजे उम्मीदवार/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।

नाम निर्देशन पत्रों की जाँच दिनांक..............को...........बजे...(स्थान) में की जायेगी ।

दिनांक... **रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर**

नोट: *1. कम्प्यूटर से रसीद न निकलने की दशा में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए समय पर कम्प्यूटर रसीद प्राप्त की जा सकती है, कम्प्यूटर द्वारा निकाली हुई रसीद ही मान्य होगी। 2. उम्मीदवार की एक फोटो फॉर्म में निर्धारित स्थान पर चस्पा की जाएगी तथा एक फोटो फॉर्म के साथ नत्थी करना है। 3. दो फोटो, आवश्यक संलग्नक जाँच की प्रक्रिया से पूर्व जमा करना अनिवार्य है। 4. द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेट जमा करते समय प्रथम सेट की रसीद लाना अनिवार्य है।*

नाम निर्देशन पत्र संबंधी रसीद

नामांकन संबंधी विवरण :-

प्रस्तुत करने का दिनांक एवं समय - 10/02/2017 पूर्वाहन 11:00		**नामांकन की स्थिति -** सफलता पूर्वक सुरक्षित / Submitted	
जनपद	लखनऊ	**पद**	महापौर
स्थान	नगर निगम - लखनऊ	**पद का आरक्षण**	अनारक्षित
अधिसूचना संख्या	5921	**चुनाव चरण**	तृतीय चरण
नामांकन सेट	1	**फॉर्म संख्या**	2
आवेदक संख्या	63	**फॉर्म मूल्य**	रु० 1000
प्रस्तुतकर्ता	उम्मीदवार		

व्यक्तिगत विवरण :-

उम्मीदवार का नाम		श्याम सिंह		
पिता का नाम		नन्दलाल		
लिंग	पुरुष	**आयु**	25	
उम्मीदवार की जाति/वर्ग		अनारक्षित		
मोबाइल	9169764824	**आधार नं०**	485926153557	
ई-मेल				
शैक्षिक योग्यता		स्नातक - विधि		

मतदाता सूची संबंधी विवरण :-

उम्मीदवार का वार्ड	40 - रफी अहमद किदवई वार्ड
उम्मीदवार का मतदान स्थल	789 - केन्द्रीय विद्यालय विकास खण्ड-1
उम्मीदवार की मतदाता संख्या	110
प्रस्तावक का नाम	शुभम शर्मा
प्रस्तावक के पिता का नाम	रवि शर्मा
प्रस्तावक का वार्ड	51 - कदम रसूल वार्ड
प्रस्तावक का मतदान स्थल	993 - आल्माइटी स्कूल पुलिस चौकी के पीछे
प्रस्तावक की मतदाता संख्या	363

अन्य विवरण :-

चल संपत्ति	रु० 75000	**अचल संपत्ति**	रु० 150000
जमानत धनराशी	रु० 12000	**अपराधिक इतिहास**	हाँ
राजनैतिक दल	समाजवादी पार्टी		

संलग्नक विवरण :-

☑ नामांकन पत्र	☑ प्ररूप-6 (जाति प्रमाण पत्र)	☑ दो फोटो (उम्मीदवार)
☑ जमानत धनराशी की रसीद	☑ अदेयता प्रमाण पत्र	☑ निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रति
☑ प्ररूप-7क,7ख (प्राधिकार पत्र)	☑ प्ररूप-7 (अपराधिक,चल,अचल संपत्ति)	

नाम निर्देशन पत्रों की जाँच दिनांक **11/02/2017** को पूर्वाहन **11:00** बजे **तहसील कार्यालय** (स्थान) में की जायेगी |

(रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर)

प्ररूप–6

जाति प्रमाण हेतु शपथ पत्र

समक्ष रिटर्निंग अधिकारी.....

(क) नगर पंचायत..... (1) सदस्य कक्ष संख्या.....
(2) अध्यक्ष

(ख) नगर पालिका परिषद्..... (1) सदस्य कक्ष संख्या.....
(2) अध्यक्ष

(ग) नगर निगम..... (1) पार्षद कक्ष संख्या.....
(2) महापौर

शपथ–पत्र

मैं, ... *पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... आयु लगभग ..... वर्ष, निवासी मोहल्ला ..... थाना .....

जनपद ..... सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा *करता/करती हूँ कि:–

1. मैंने उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है।
2. मैंने अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ तहसीलदार/उप जिलाधिकारी, तहसील..... जनपद ..... द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र दिनाँक ..... की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत किया है।
3. उक्त जाति प्रमाणपत्र में मेरी जाति ..... अंकित है, जो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति है।
4. उक्त जाति प्रमाणपत्र में दर्शायी गयी मेरी जाति वही है जिस जाति में मैंने जन्म लिया है।
5. उक्त जाति प्रमाणपत्र की शुद्धता के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हूँ।

स्थान :
दिनाँक :

(शपथी का हस्ताक्षर/निशान अंगूठा)

मेरे समक्ष सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान किया गया
हस्ताक्षर और मोहर उस अधिकारी की
जिसके समक्ष प्रतिज्ञान किया गया।

---

* जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप – 7

प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र के साथ उपलब्ध कराया जाने वाला शपथ पत्र

रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष

.....निर्वाचन क्षेत्र से.....प्रत्याशी के निर्वाचन के लिए
| (नगर निकाय का नाम) (वार्ड संख्या)

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....उम्र.....वर्ष
निवासी.....जो उपर्युक्त निर्वाचन में प्रत्याशी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/ सशपथ बयान करता हूँ:-

(जो लागू न हो उसे काट दीजिये)

1- मैं पूर्व में निम्नलिखित प्रकरण/प्रकरणों में आपराधिक कृत्य के लिये दोषसिद्ध था जिसका विवरण निम्नांकित है:-

(i) अपराध संख्या
(ii) अधिनियम की धारा और उस अपराध का विवरण जिसके लिए दोष सिद्ध था--
(iii) दोष सिद्ध का दिनांक--
(iv) न्यायालय जिसके द्वारा दोष सिद्ध किया गया है--
(v) दण्ड (कारावास की अवधि और/अथवा अर्थदण्ड की मात्रा)--
(vi) अपील/रिवीजन का विवरण जो उपरिकथित दोषसिद्धि/सिद्धियों के विरुद्ध किये गये हैं-

2- यह कि मैं पूर्व में निम्नलिखित प्रकरणों में आरोपमुक्त/उन्मोचित हो चुका हूँ--

(i) अधिनियम की धारा तथा अभियोग का विवरण जिसमे आरोपित किया गया है-
(ii) अपराध संख्या--
(iii) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा आरोपमुक्त/उन्मोचित किया गया है--
(iv) आरोपमुक्त/उन्मोचित होने का दिनांक--
(v) उपर्युक्त आरोपमुक्ति/उन्मोचन के विरुद्ध अपील/पुनर्वलोकन प्रार्थना पत्र (पत्रों) का विवरण, यदि कोई हो --

3- यह कि मैं वर्तमान नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक से छः माह की अवधि से पूर्व निम्नलिखित अभियोगों में आरोपित हूँ जिसमे 2 वर्ष या अधिक के कारावास का दण्ड है और जिसमे आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा न्यायालय द्वारा संज्ञान में ले लिया गया है, जिसका विवरण निम्न है:-

(नोट—यह उपर्युक्त (1) तथा (2) में वर्णित प्रकरणों के अतिरिक्त है)

(i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिए आरोपित है/संज्ञान लिया गया है
(ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है--
(iii) अपराध संख्या--
(iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक–
(v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने /संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र(पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण--

4- मैं अपनी परिसम्पति अपने पति/पत्नी और आश्रितों सहित (अचल,चल,बैंक बैलेंस आदि) का विवरण निम्नवत देता हूँ--

(अ) चल सम्पत्ति का विवरण

(संयुक्त नाम पर परिसम्पत्तियों में संयुक्त स्वामित्व का भी उल्लेख किया जाय)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं (क)	पति/पत्नी का नाम (ख)	आश्रित -1 का नाम (ग)	आश्रित -2 का नाम (घ)	आश्रित -3 आदि का नाम (च)
1.	नगद					
2.	बैंक,वित्तीय संस्थानों और नान बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों में जमा					
3.	कम्पनियों में बांड्स डीबेन्चेर्स और शेयर्स					
4.	अन्य वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स एन०एस०सि०,डाक बचत,एल०आइ०सी० पालिसियां आदि					
5.	मोटर वेहिकिल्स(मेक इत्यादि का विवरण)					
6.	जेवरात (भार और मूल्य का विवरण)					
7.	अन्य परिसम्पत्तियों जैसे क्लेम का मूल्य/ब्याज					
8.	कुल					
9.	**महायोग(क+ख+ग+घ+च)--**					

यहाँ आश्रित का अर्थ उस व्यक्ति से है जो प्रत्याशी की आय पर पूर्णतः आश्रित है|

नोट— सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज में अद्यतन बाजार मूल्य के अनुसार और सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में पुस्तक के अनुसार बोंडों,शेयरों और डीवैन्चरों का मूल्य दिया जाय |

(ब) अचल सम्पत्ति का विवरण

(संयुक्त स्वामित्व की परिसम्पत्तियों में संयुक्त स्वामित्व का भाग भी इंगित किया जायगा)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं (क)	पति/पत्नी का नाम (ख)	आश्रित - 1 का नाम (ग)	आश्रित - 2 का नाम (घ)	आश्रित -3 आदि का नाम (च)
1.	कृषि भूमि स्थिति (स्थितियां),सर्वे संख्या /संख्याएँ,विस्तार(पूर्ण माप),वर्तमान बाजार मूल्य					
2.	अकृषि भूमि स्थिति,सर्वे नंबर,विस्तार (पूर्ण माप),वर्तमान बाजार मूल्य					
3.	भवन (वाणिज्यिक और आवासीय) स्थिति,सर्वे,मकान संख्या,विस्तार (कुल माप),वर्तमान बाजार मूल्य					
4.	घर/बहुमंजिला मकान आदि स्थिति,सर्वे,मकान संख्या, विस्तार (कुल माप),वर्तमान बाजार मूल्य					
5.	अन्य(जैसे सम्पत्ति पर ब्याज)					
6.	कुल					
7.	**महायोग (क+ख+ग+घ+च)**					

5- मैं नीचे अपने दायित्वों/सार्वजानिक वित्तीय संस्थाओं के दायित्वों और सरकारी देयों का विवरण देता हूँ--

(नोट:--कृपया प्रत्येक का अलग अलग विवरण दें)

क्रम संख्या	विवरण	बैंक/वित्तीय संस्थानों/संस्थाओं/विभागों का पता	लम्बित धनराशि दिनांक.....को
A 1.	बैंक से ऋण		
2.	वित्तीय संस्थानों से ऋण		
3.	सरकारी बकाया (आयकर तथा		

	संपत्तिकर से भिन्न)(किसी सार्वजानिक कार्यालय में पद धारण करते हों अथवा पद धारण कर चुके हों तो अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न करें)		
B 1.	आयकर अधिभार सहित (आकलन वर्ष को इंगित करें जब तक का आयकर रिटर्न दाखिल किया हो तथा स्थायी लेखा संख्या(पी०ए०एन०) भी दें)		
2.	सम्पत्ति कर (जब तक सम्पत्ति कर रिटर्न दाखिल किया हो तब तक का आंकलन वर्ष इंगित करें)		
3.	विक्रय कर (केवल स्वामित्व व्यापार के प्रकरण में)		
4.	सम्पत्ति कर		

6- मेरी शैक्षिक योग्यता निम्नलिखित है:--

	निरक्षर		प्राइमरी		जू०हाईस्कूल		हाईस्कूल	
	इन्टरमिडीएट		डिप्लोमा		स्नातक		परास्नातक	
	पी०एच०डी०		अन्य					

7- शिक्षा का विवरण:--

	कला		विज्ञान		वाणिज्य		विधि
	चिकित्सा		अभियांत्रिकी		प्रबन्धन		सी०ए०
	अन्य						

(विद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा का विवरण दें)

(विद्यालय का नाम/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष, जिसमें पाठ्यक्रम पूर्ण किया है, का विवरण भी दें)

शपथी

सत्यापन

मैं उपर्युक्त शपथी ऐतद्वारा सत्यापित तथा घोषित करता हूँ कि इस शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है, इसका कोई भाग असत्य नहीं है और न ही कोई सारभूत तथ्य छिपाया गया है|

दिनांक.....सन्.....को..... (स्थान पर सत्यापित

शपथी

प्ररूप–7क

राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारी के नामों के सम्बन्ध में सूचना

प्रति,

रिटर्निंग अधिकारी (नगरीय निकाय)

*नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत .....

जिला .....

विषयः– *नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत .....के निर्वाचन में खड़े किए गए उम्मीदवार

महोदय,

मैं यह सूचना देता हूँ कि ऊपर वर्णित आगामी नगरीय निकाय निर्वाचन/निर्वाचनों में ....(दल) द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति उनके नाम के सामने दर्शाये गए *कक्ष क्रमांक..... निर्वाचन क्षेत्र से अपने उम्मीदवार के रूप में खड़े किए गए हैः–

कक्ष का क्रमांक/निर्वाचन क्षेत्र	अनुमोदित उम्मीदवार का नाम	अनुमोदित उम्मीदवार के पिता/पति का नाम	अनुमोदित उम्मीदवार के डाक का पता	प्रतिस्थानीय उम्मीदवार का नाम (जो अनुमोदित) उम्मीदवार का नाम संवीक्षा में प्रतिक्षेपित होने पर या उसके लड़ने से हट जाने पर उम्मीदवार के स्थान पर आयेगा)	प्रतिस्थानीय उम्मीदवार के पिता/पति का नाम	प्रतिस्थानि उम्मीदवार के डाक का पता
1	2	3	4	5	6	7

स्थान ..... (दल की सील) भवदीय

दिनांक ..... हस्ताक्षर.....

(दल की मण्डलीय ईकाई/जिला ईकाई के का नाम व हस्ताक्षर)

प्राधिकृत पदधारी

नाम व पद.....

प्रतिलिपिः–

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय)

जिला.....की ओर सूचनार्थ

स्थान ..... (दल की सील) भवदीय

दिनांक ..... हस्ताक्षर.....

(दल की मण्डलीय ईकाई/जिला ईकाई के का नाम व हस्ताक्षर)

प्राधिकृत पदधारी

नाम व पद.....

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

प्ररूप–7ख

राजनैतिक दल द्वारा पदधारी को प्राधिकृत किए जाने की सूचना

.....दल उत्तर प्रदेश

प्रति,

रिटर्निंग अधिकारी (नगरीय निकाय)
*नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत .....
जिला .....

विषयः– *नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत .....
.....के निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन/पदाधिकारियों का प्राधिकृत किया जाना।

महोदय,

एतद्द्वारा, मैं यह संसूचित करता हूँ कि ऊपर वर्णित निर्वाचन में इस (दल) द्वारा, जो राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 में मान्यता प्राप्त/अमान्यता प्राप्त/अनन्तिम रूप से सामयिक पंजीकृत दल है, खडे किए गए उम्मीदवारों के नाम संसूचित करने के लिए इस दल द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया हैः–

नामों की संसूचना भेजने के लिए प्राधिकृत पदधारी का नाम	दल में उसके द्वारा धारित पद का नाम	जिला/जिले जिसके सम्बन्ध उसे प्राधिकृत किया गया है
1	**2**	**3**

2–ऊपर उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों, जो इस प्रकार प्राधिकृत किया/किए गया/गए है/है, के नमूना हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैः–

नाम
(1)श्री.....
(2)श्री.....
(3)श्री.....

नमूना हस्ताक्षर
(1) .....
(2) .....
(3) .....

भवदीय

स्थान.....(दल की सील)
तारीख.....

हस्ताक्षर.....
अध्यक्ष (राष्ट्रीय/प्रदेश)/सचिव
दल का नाम.....

प्रतिलिपिः–

जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय)
जिला .....की ओर से सूचनार्थ
स्थान.....(दल की सील)
.....

हस्ताक्षर.....तारीख.....
अध्यक्ष (राष्ट्रीय/प्रदेश)/सचिव
दल का नाम.....

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

प्ररूप–8

नाम निर्देशन की सूचना

जनपद.....*नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत.....के वार्ड संख्या.....से *सदस्य/पार्षद/अध्यक्ष/महापौर का निर्वाचन।

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि ऊपर वर्णित निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित नाम निर्देशन आज दिनाँक ..... 3:00 बजे अपरान्ह तक प्राप्त हुए हैं :–

नाम निर्देशन पत्र का क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	*पिता/पति का नाम	उम्मीदवार की आयु	पता	राजनैतिक दल से सम्बद्धता	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन– जातियों या अन्य पिछड़े वर्गो के उम्मीदवारों के लिए जातियों/जन– जातियों या अन्य पिछड़े वर्गो की विशिष्टियां	निर्वाचक नामावली में उम्मीदवार का क्रमांक (भाग–क्रमांक .... क्रमांक ....)	प्रस्तावक का नाम	निर्वाचक नामावली में प्रस्तावक का क्रमांक (भाग क्रमांक..... ....क्रमांक... ....)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

स्थान .....
दिनाँक .....
जनपद .....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम .....
मुहर

नोट–यदि उम्मीदवार किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध न हो तो निर्दलीय लिखा जाए।
*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–9

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाने के अन्तिम दिनाँक के पश्चात् नाम निर्देशन पत्रों की विवरणी

नगरीय निकाय का नाम..... जनपद का नाम.....

वार्ड का क्रमांक/
निर्वाचन क्षेत्र .....

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार की जाति/वर्ग का विवरण अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य महिला/अनारक्षित	उम्मीदवार का पता	राजनैतिक दल से सम्बद्धता

रिटर्निंग अधिकारी/
सहायक रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम .....)
मुहर .....
जनपद.....

उक्त विवरणी में उम्मीदवारों के नाम वर्ण क्रमानुसार उसी तरह लिखे जाएं जैसे कि नाम निर्देशन पत्र में अंकित है। विवरण के तैयार होते ही उसकी एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी को भेजी जाएगी।

नोट–यदि उम्मीदवार किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध न हो तो निर्दलीय लिखा जाए।
*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–10

विधिमान्य नाम निर्देशित उम्मीदवारों की सूची

*नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत.....के वार्ड संख्या .....से *सदस्य/पार्षद/अध्यक्ष/महापौर का निर्वाचन।

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	पिता/पति का नाम	उम्मीदवार का पता	राजनैतिक दल से सम्बद्धता
1	2	3	4	5

स्थान .....
दिनाँक .....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम.....
मुहर.....
जनपद.....

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नोट– 1. यदि उम्मीदवार किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध न हो तो निर्दलीय लिखा जाए।
2. उपर्युक्त सूची में सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के वर्णानुक्रम में नाम लिखे जाएंगे। तत्पश्चात् पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के नाम वर्णानुक्रम में लिखे जाएंगे। तत्श्चात् तात्कालिक या/अनन्तिम रूप से पंजीकृत सामयिक दल और अन्त में निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम वर्णानुक्रम में लिखे जाएंगे।

प्ररूप–11

अभ्यर्थन वापस लेने के लिए आवेदन

जनपद.....की *नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत.....के वार्ड संख्या .....से *सदस्य/पार्षद/अध्यक्ष/महापौर का निर्वाचन

मैं ..... जो कि ऊपर वर्णित निर्वाचन में विधिमान्य नाम निर्दिष्ट उम्मीदवार हूँ, एतद्द्वारा सूचना *देता/देती हूँ कि मैं अपना अभ्यर्थन वापस *लेता/लेती हूँ। मेरी आवेदक संख्या ..... है।

2. दिनाँक ..... को मेरी ओर से आपको प्रस्तुत किया/किए गए नाम निर्देशन पत्र/पत्रों की प्राप्ति की अभिस्वीकृति में जो रसीद/रसीदें दी गई थी वे इसके साथ मूल रूप में संलग्न है।

स्थान.....
दिनाँक.....

विधिमान्य नाम निर्दिष्ट उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नाम.....

यह सूचना.....(नाम) के द्वारा जो *उम्मीदवार/उम्मीदवार के प्रस्तावक/निर्वाचन अभिकर्ता है, दिनाँक.....को .....(बजे) मुझे मेरे कार्यालय में प्रदत्त की गई थी।

दिनाँक.....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम.....
मुहर.....

अभ्यर्थन वापस लेने के आवेदन के लिए रसीद (आवेदन प्रदत्त करने वाले व्यक्ति को दी जाए) (कम्प्यूटर से रसीद न निकलने की दशा में ही दी जाए)

श्री .....द्वारा जो कि *नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के वार्ड संख्या/निर्वाचन क्षेत्र.....से *सदस्य/पार्षद/अध्यक्ष/महापौर के लिए निर्वाचन में विधिमान्य नाम निर्दिष्ट उम्मीदवार है, अभ्यर्थन वापस लेने का नोटिस *उम्मीदवार/उम्मीदवार के प्रस्तावक/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा दिनाँक .....को..... बजे मुझे मेरे कार्यालय में प्रदत्त किया गया।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम.....
मुहर.....
जनपद .....

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

नोटः नाम निर्देशन पत्र/पत्रों की प्राप्ति की अभिस्वीकृति की दी गई रसीद/रसीदें मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य है। अभिस्वीकृत की रसीद/रसीदें संलग्न न होने की स्थिति में अभ्यर्थन वापस नहीं लिया जा सकता है।

अभ्यर्थन वापस लेने के आवेदन के लिए रसीद
(आवेदन प्रदत्त करने वाले व्यक्ति को दी जाए)

नामांकन संबंधी विवरण :-

अभ्यर्थन वापसी करने का दिनांक एवं समय :- .....

जनपद	लखनऊ	**पद**	महापौर
स्थान	नगर निगम - लखनऊ	**पद का आरक्षण**	अनारक्षित
अधिसूचना संख्या	5921	**चुनाव चरण**	तृतीय चरण
आवेदक संख्या	63	**फॉर्म संख्या**	2
प्रस्तुतकर्ता	*उम्मीदवार / उम्मीदवार के प्रस्तावक / निर्वाचन अभिकर्ता		

व्यक्तिगत विवरण :-

उम्मीदवार का नाम	श्याम सिंह		
पिता का नाम	नन्दलाल		
लिंग पुरुष	**आयु**	25	
उम्मीदवार की जाति/वर्ग	अनारक्षित		
मोबाइल 9169764824	**आधार नं०**	485926153557	
ई-मेल			
शैक्षिक योग्यता	स्नातक - विधि		

उम्मीदवार का वार्ड	40 - रफी अहमद किदवई वार्ड
उम्मीदवार का मतदान स्थल	789 - केन्द्रीय विद्यालय विकास खण्ड-1
उम्मीदवार की मतदाता संख्या	110
प्रस्तावक का नाम	शुभम शर्मा
प्रस्तावक के पिता का नाम	रवि शर्मा
प्रस्तावक का वार्ड	51 - कदम रसूल वार्ड
प्रस्तावक का मतदान स्थल	993 - आल्माइटी स्कूल पुलिस चौकी के पीछे
प्रस्तावक की मतदाता संख्या	363

(रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर)

*जो लागू न हो उसे काट दें|

प्ररूप–12
अभ्यर्थन वापस लिए जाने की सूचना

जनपद.....की *नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत.....
के वार्ड संख्या ..... से *सदस्य/पार्षद/अध्यक्ष/महापौर का निर्वाचन।

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि ऊपर वर्णित निर्वाचन में निम्नलिखित विधिमान्य नाम निर्दिष्ट *उम्मीदवार/उम्मीदवारो ने अपना अभ्यर्थन वापस ले लिया हैः–

क्रम संख्या	विधिमान्य नाम निर्दिष्ट उम्मीदवार का नाम**	विधिमान्य नाम निर्दिष्ट उम्मीदवार का पता	राजनैतिक दल से सम्बद्धता	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5

दिनाँक .....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम.....
मुहर.....

---

* जो लागू न हो उसे काट दें।

नोट– 1. यदि उम्मीदवार किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध नहीं होता है तो निर्दलीय लिख जाएगा।

2. उपर्युक्त सूची में सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के वर्णानुक्रम में नाम लिखे जाएंगे। तत्पश्चात् पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के नाम वर्णानुक्रम में लिखे जाएंगे। तत्श्चात् तात्कालिक या/अनन्तिम रूप से पंजीकृत सामयिक दल और अन्त में निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम वर्णानुक्रम में लिखे जाएंगे।

प्ररूप–13

निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची

जनपद .....की *नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत.....
के वार्ड संख्या .....से *सदस्य/पार्षद/अध्यक्ष/महापौर का निर्वाचन।

क्रम संख्या	विधिमान्य नाम निर्दिष्ट उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार का पता	राजनैतिक दल से सम्बद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5

स्थान .....
दिनाँक .....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम.....
मुहर.....

* जो लागू न हो उसे काट दें।

नोट– 1. यदि उम्मीदवार किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध न हो तो निर्दलीय लिखा जाए।

2. उपर्युक्त सूची में सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों के वर्णानुक्रम के नाम लिखे जाएंगे। तत्पश्चात् पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के नाम वर्णानुक्रम में लिखे जाएंगे। तत्पश्चात् तात्कालिक या अनन्तिम रूप से पंजीकृत सामायिक दल और अन्त में निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम वर्णानुक्रम में लिखे जाएंगे।

प्ररुप–15

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

निर्वाचन अभिकर्ता की फोटो

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी,
*महापौर/अध्यक्ष/पार्षद/सदस्य,
*नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत.....

मैं.....निवासी.....
*नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के लिए दिनाँक.....को होने वाले *महापौर/अध्यक्ष/पार्षद/सदस्य के *पद/स्थान के निर्वाचन के लिए एक उम्मीदवार हूँ।

मैं एतद्द्वारा *श्री/सुश्री .....
*पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी.....
.....जिसका फोटोग्राफ चिपका है, को आज के दिनाँक से निर्वाचन की समाप्ति तक के लिए अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त *करता/करती हूँ।

दिनाँक..... उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान .....

मैं उपर्युक्त नियुक्ति स्वीकार *करता/करती हूँ।

दिनाँक..... निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर
स्थान ..... मेरे समक्ष हस्ताक्षरित

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर
(मुहर)

---

* जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररुप–16

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द करना

*नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत.....जनपद .....के वार्ड संख्या.....से *महापौर/पार्षद/अध्यक्ष/सदस्य का निर्वाचन।

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी,
*महापौर/पार्षद/अध्यक्ष/सदस्य
*नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत.....

मैं.....जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में उम्मीदवार हूँ अपने निर्वाचन अभिकर्ता श्री .....की नियुक्ति को एतद्द्वारा रद्द *करता हूँ/करती हूँ।

दिनाँक.....

स्थान .....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित

(ह0) व सील.....
रिटर्निंग अधिकारी/
सहायक रिटर्निंग अधिकारी

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–17
मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

मतदान अभिकर्ता की प्रमाणित फोटो

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी,
*महापौर/अध्यक्ष/पार्षद/सदस्य,
*नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत.....
.....

मैं.....*नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत...के *महापौर/ अध्यक्ष/पार्षद/सदस्य के निर्वाचन के लिए वार्ड संख्या.....से *उम्मीदवार/ उम्मीदवार का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ।

मैं.....संख्या वाले मतदान केन्द्र/स्थल मतदान के लिए नियत स्थान..... में हाजिर रहने के लिए एतद्द्वारा श्री/सुश्री.....निवासी..... जिसका फोटो चिपका है, को मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त *करता हूँ/करती हूँ।

दिनाँक.....
स्थान .....

*उम्मीदवार/उम्मीदवार के
निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

दिनाँक.....
स्थान .....

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उपरिवर्णित निर्वाचन में उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के नियम 61 *जो मैंने पढ़ ली है/जो मुझे पढ़कर सुना दी गयी है, द्वारा निषिद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा।

दिनाँक.....

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई

स्थान .....
दिनाँक.....

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर या
मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम.....
(मुहर)

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–18
मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द करना

जिला ..... की *नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत ..... से *महापौर/अध्यक्ष या *के वार्ड संख्या .....से *पार्षद/सदस्य का निर्वाचन।

प्रेषिती–

पीठासीन अधिकारी.....

मैं,.....जो उपरिवर्णित निर्वाचन में *उम्मीदवार/उम्मीदवार का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ .....अपने *मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं.....की नियुक्ति एतद्द्वारा रद्द *करता/करती हूँ।

स्थान.....

तारीख.....

*उम्मीदवार/उम्मीदवार के
निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–30
मतपत्र लेखा
भाग––1

*नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत.....के वार्ड संख्या.....
भाग संख्या.....से *महापौर/अध्यक्ष/पार्षद/सदस्य का निर्वाचन।

मतदान केन्द्र/स्थल की संख्या व नाम.....
क्रम संख्या/संख्या.....से .....तक कुल संख्या.....

1 प्राप्त मतपत्र.....

2 उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र.....से.....तक कुल संख्या.....
(अर्थात् जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं।)

(क) जिनपर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है।
कुल संख्या.....

(ख) जिन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
कुल संख्या.....
जोड़ (क+ख).....
.....
.....

3 मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए मतपत्र..... (1-2=3)

4 **मतदान स्थल में उपयोग में लाए गए किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र

(क) मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र.....

(ख) अन्य कारणों से रद्द किए गए मतपत्र.....

(ग) निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयोग में लाए गए मतपत्र.....

जोड़ (क+ख+ग).....

5 मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्र (3–4=5).....

दिनाँक .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

**क्रम संख्या देने की आवश्यकता नहीं है।
*जो लागू न हो उसे काट दें।

मतपत्र लेखा
भाग–2

1– मतपेटिकाओं में पाए गए कुल मतपत्रों की संख्या.....

2– यदि कोई अन्तर हो तो उल्लेख करें:–

स्थान.....
दिनाँक .....

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

स्थान.....
दिनाँक .....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

नोट यह मतपत्र लेखा नगरीय निकाय के अध्यक्ष/महापौर तथा पार्षद/सदस्य के लिए अलग अलग बनाया जाएगा।

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–34
गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

मतगणना अभिकर्ता का फोटो

नगरीय निकाय का नाम.....जनपद.....
के *महापौर/अध्यक्ष/पार्षद/सदस्य के वार्ड संख्या..... के लिए निर्वाचन।
सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी,

मैं.....जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में उम्मीदवार हूँ/जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में उम्मीदवार है, का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ, मतदान स्थल.....पर मतों की गणना में उपस्थित रहने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिसका फोटो चिपका है, को एतद्द्वारा अपने अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति करता/करती हूँ।

गणन अभिकर्ता का नाम.....गणन अभिकर्ता का पता.....
.....

स्थान .....
दिनाँक.....

उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे गणन अभिकर्ता के रूप मे कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान .....
दिनाँक.....

गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष की जाने वाली गणन अभिकर्ता की घोषणा

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उपरिवर्णित निर्वाचन में उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के नियम 61 *जो मैंने पढ़ ली है/जो मुझे पढ़कर सुना दी गयी है, द्वारा निषिद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा।

स्थान .....
दिनाँक.....

गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर
मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गयी।

स्थान.....
दिनाँक.....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर

---

*जो लागू न हो उसे काट दिया जाए ।

प्ररुप–क
निर्वाचन अधिकारी को आवेदन पत्र
(डाक मतपत्र हेतु)

प्रेषिती,
.....*नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के वार्ड संख्या ..... के निर्वाचन क्षेत्र के लिए।
रिटर्निंग अधिकारी,
महोदय,
मैं .....*नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के वार्ड संख्या ..... के निर्वाचन–क्षेत्र से *पार्षद/सदस्य व *महापौर/अध्यक्ष पद के लिए होने वाले निर्वाचन में अपना मत डाक द्वारा देना चाहता हूँ।
मेरा नाम *नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत .....के वार्ड संख्या ..... की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या ..... के क्रम संख्या ..... पर प्रविष्ट है।

मुझे मतपत्र निम्नलिखित पते पर भेजा जाए :–
.....
.....
.....

स्थान .....
दिनाँक .....

भवदीय,

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–ख

निर्वाचकों के लिए अनुदेश

(डाक मतपत्र हेतु)

..... *नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के *महापौर/अध्यक्ष .... का निर्वाचन।

वार्ड से *पार्षद/सदस्य

1. जिन व्यक्तियों के नाम तथा चिह्न साथ में भेजे मतपत्र पर मुद्रित हैं वे ऊपर उल्लिखित निर्वाचन में उम्मीदवार नाम निर्देशित किए गए हैं।

2. निर्वाचक केवल एक उम्मीदवार को वोट दे सकता है।

3. जिस उम्मीदवार को निर्वाचक वोट देना चाहता है, मतपत्र में उसके नाम के सामने सही (√)का निशान लगाकर वोट दिया जाएगा।

4. निर्वाचक प्ररूप–20 (ख) में दी गयी घोषणा पर, जैसे कि नीचे पैरा–5 में दिया हुआ है, प्रमाणित करने वाले अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करेगा, जो केवल निर्वाचक के हस्ताक्षर को प्रमाणित करेगा, लेकिन उसके वोट को नही, जो कि प्रमाणित करने वाले अधिकारी के समक्ष चिह्नित नहीं किया जाना चाहिए।

5. डाक से मत देने का हकदार निर्वाचक प्ररुप–20 (ख) में घोषणा पत्र पर अपना हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करायेंगें। यदि,

   (क) निर्वाचक निवारक–निरोध के अध्यधीन है तो कारागार के अधीक्षक या निरोध शिविर के कमाण्डेन्ट से,

   (ख) निर्वाचक निर्वाचन–कर्तव्यारुढ़ निर्वाचक है तो, अपने उच्चाधिकारी या निर्वाचन अधिकारी या किसी राजपत्रित अधिकारी से,

   (ग) निर्वाचक सेवा योजित निर्वाचक है तो उस यूनिट, पोत या स्थापन का कमाण्ड आफिसर द्वारा इस निमित नियुक्त किए गए अधिकारी से,

   (घ) निर्वाचक विशेष–निर्वाचक है तो ऐसे अधिकारी से कराये जो, यथा स्थिति, संघ या राज्य की सरकार के उप–सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का नही है।

6. आपकी घोषणा हस्ताक्षरित किए जाने और आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित किए जाने के पश्चात् आप प्ररुप–20 (ख) वाली घोषणा और साथ ही मतपत्र अन्तर्विष्ट करने वाले छोटे आवरक को बड़े आवरक में रखे। बडे आवरक को बन्द करने के पश्चात् आप उसे निर्वाचन–अधिकारी को डाक व्यय वहन करके डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा भेज दें।

7. ऐसे आवरकों को, जिन्हें डाक व्यय चुकाये बिना डाक द्वारा वापस भेजा जाए, निर्वाचन अधिकारी नही लेगा।

---

*जो लागू न हो उसे काट दिया जाएं

प्ररूप–ग

निर्वाचक द्वारा घोषणा

(डाक मतपत्र हेतु)

*नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के *महापौर/अध्यक्ष/पार्षद/सदस्य के लिए निर्वाचन।

(यह भाग तभी उपयोग में लाया जाए जब निर्वाचक स्वयं घोषणा को हस्ताक्षरित करें)

मै एतद्द्वारा घोषणा *करता/करती हूँ कि मैं वह निर्वाचक हूँ कि जिसे.....क्रम संख्या वाला डाक मतपत्र उपरिवर्णित निर्वाचन में जारी किया गया है।

दिनाँक.....

निर्वाचक के हस्ताक्षर
पता.....
.....

हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन

उपरिवर्णित पर.....(निर्वाचक) ने, जिसे *मैं स्वयं जानता हूँ/जिसे..... (पहचानने वाले) ने, जिसे मैं स्वयं जानता हें, मेरे समाधानप्रद रूप में पहचाना है, मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं।

यदि कोई पहचानने वाला है तो उसके हस्ताक्षर.....
पता.....

अनुप्रमाणनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम.....
पता.....
दिनाँक.....

*जो लागू न हो उसे काट दें।

(यह भाग तभी उपयोग में लाया जाए जब निर्वाचक स्वयं हस्ताक्षर नही कर सकता)

मै एतद्द्वारा घोषणा *करता/करती हूँ कि मैं वह निर्वाचक हूँ कि जिसे ..... क्रम संख्या वाला डाक मतपत्र उपरिवर्णित निर्वाचन में जारी किया गया है।

दिनाँक.....

निर्वाचक की ओर से अनुप्रमाणनकर्ता
अधिकारी के हस्ताक्षर
निर्वाचक का पता.....

प्रमाणपत्र

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि

(1) उपरिनामांकित निर्वाचक को मैं स्वयं जानता हूँ/.....(पहचानने वाले) ने जिसे मैं स्वयं जानता हूँ, मैंने समाधानप्रद रूप से पहचाना है।

(2) मेरा समाधान हो गया है कि निर्वाचक निरक्षर है/.....(अंग–शैथिल्य) से ग्रस्त है और अपना मत स्वयं अभिलिखित करने में या अपनी घोषणा हस्ताक्षरित करने में असमर्थ है।

(3) उसने मुझसे प्रार्थना की थी कि उसकी ओर से मैं मतपत्र चिहिन्त कर दूं और उपर्युक्त घोषणा पर हस्ताक्षर कर दूँ तथा

(4) मैंने उसकी उपस्थिति में और उसकी इच्छा के अनुसार उसकी ओर से मतपत्र चिह्नित किया है और घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।

यदि कोई पहचानने वाला है तो उसके हस्ताक्षर व पता

अनुप्रमाणनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम.....
पता.....
दिनांक.....

प्ररूप–घ

लिफाफा

(डाक मतपत्र हेतु)

मतगणना से पूर्व न खोला जाए

..... *के लिए

निर्वाचन

डाक मतपत्र

मतपत्र का क्रम संख्या .....

* निर्वाचन की समुचित विशिष्टियाँ यहाँ लिखिए।

प्ररूप–ङ

आवरक

(डाक मतपत्र हेतु)

("हर अधिकारी, जिसकी देखरेख में या जिसके द्वारा
डाक मतपत्र भेजा जाता है, यह सुनिश्चित करेगा
कि वह पत्र सम्बोधित व्यक्ति को अविलम्ब प्रदत्त
कर दिया जाए")

निर्वाचन–अविलम्ब

डाक मतपत्र

..... निर्वाचन के लिए

(मतगणना से पूर्व न खोला जाए)

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी

भेजने वाले के हस्ताक्षर

**निर्वाचन अधिकारी यहाँ अपना पूरा पता लिखें

प्ररुप–35
लॉग बुक

जनपद.....

नगरीय निकाय.....

भवन/कक्ष.....जहाँ पर मत पेटिकाएं/ई0वी0एम0 मतगणना किए जाने हेतु सुरक्षित रखी गयी हैं।

मतपेटी/ई0वी0एम0 रखे जाने का दिनाँक	समय	प्रवेश करने वाले अधिकारी का पद व नाम	प्रवेश का उद्देश्य	अधिकारी के साथ जाने वाले अन्य व्यक्ति का विवरण	हस्ताक्षर	पुलिस गार्ड के हस्ताक्षर	मतपेटी/ई0वी0एम0 बाहर निकालने का समय व दिनाँक	अधिकारी के साथ बाहर वाले व्यक्ति का विवरण	कक्ष के अन्दर रहने की अवधि	बाहर आने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	पुलिस गार्ड के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

नोटः– सामान्य परिस्थितियों में उपरोक्त कक्ष को न खोला जाए। विशेष अपरिहार्य स्थिति में यदि कक्ष खोला जाता है जो इसका उल्लेख टिप्पणी कालम 13 में उल्लेख किया जाए।

प्ररूप–37

*नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत.....जनपद.....के वार्ड (नाम).....संख्या.....के सदस्य के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम / निर्दलीय	आवंटित प्रतीक	उम्मीदवार के पक्ष में दिए गए वैध मतों की संख्या
1	2	3	4	5

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज / रद्द) मतों की संख्या.....

(ग) डाले गए कुल मतों की संख्या.(क+ख).....

(घ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या.....

(ड.) निर्वाचित उम्मीदवार का नाम.....

सम्बद्ध राजनैतिक दल का नाम .....

मतगणना का स्थान .....

हस्ताक्षर

दिनाँक .....

रिटर्निंग अधिकारी का पूरा नाम .....

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....

मुहर

नोटः– यदि निर्वाचित उम्मीदवार किसी दल से सम्बन्धित न हो तो सम्बद्ध राजनैतिक दल के स्थान पर निर्दलीय लिखा जाएगा।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–39

*नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत.....जनपद..... के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम/निर्दलीय	आवंटित प्रतीक	उम्मीदवार के पक्ष में दिए गए वैध मतों की संख्या
1	2	3	4	5

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज/रद्द) मतों की संख्या.....

(ग) डाले गए कुल मतों की संख्या(क+ ख).....

(घ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या.....

(ड.) निर्वाचित उम्मीदवार का नाम.....

सम्बद्ध राजनैतिक दल का नाम .....

मतगणना का स्थान .....

दिनाँक .....

हस्ताक्षर

दिनाँक .....

रिटर्निंग अधिकारी का पूरा नाम .....

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....

मुहर

नोटः– यदि निर्वाचित उम्मीदवार किसी दल से सम्बन्धित न हो तो सम्बद्ध राजनैतिक दल के स्थान पर निर्दलीय लिखा जाएगा।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप–41

नगर निगम .....जनपद.....के वार्ड (नाम).....
संख्या.....के पार्षद के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम/निर्दलीय	आवंटित प्रतीक	उम्मीदवार के पक्ष में दिए गए वैध मतों की संख्या
1	2	3		4

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....
(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज/रद्द) मतों की संख्या.....
(ग) डाले गए कुल मतों की संख्या(क +ख).....
(घ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या.....
(ड.) निर्वाचित उम्मीदवार का नाम.....
सम्बद्ध राजनैतिक दल का नाम .....
मतगणना का स्थान .....

हस्ताक्षर
दिनाँक ..... रिटर्निंग अधिकारी का पूरा नाम .....
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....
मुहर

नोटः– यदि निर्वाचित उम्मीदवार किसी दल से सम्बन्धित न हो तो सम्बद्ध राजनैतिक दल के स्थान पर निर्दलीय लिखा जाएगा।

प्ररूप–43

नगर निगम .....जनपद..... के महापौर के निर्वाचन हेतु मतगणना का परिणाम।

क्रम सं0	उम्मीदवार का नाम	राजनैतिक दल का नाम/ निर्दलीय	आवंटित प्रतीक	उम्मीदवार के पक्ष में दिए गए वैध मतों की संख्या
1	2	3		4

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या.....

(ख) प्रतिक्षेपित (खारिज/रद्द) मतों की संख्या.....

(ग) डाले गए कुल मतों की संख्या(क +ख).....

(घ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या.....

(ड.) निर्वाचित उम्मीदवार का नाम.....

सम्बद्ध राजनैतिक दल का नाम .....

मतगणना का स्थान .....

हस्ताक्षर

दिनाँक .....

...

रिटर्निंग अधिकारी का पूरा नाम .....

निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....

मुहर

नोटः– यदि निर्वाचित उम्मीदवार किसी दल से सम्बन्धित न हो तो सम्बद्ध राजनैतिक दल के स्थान पर निर्दलीय लिखा जाएगा।

प्ररुप–44
निर्वाचन परिणाम पंजिका

जनपद

क्रम सं0	नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत नाम	पद/वार्ड का विवरण	निर्वाचन परिणाम घोषणा का दिनाँक व समय	निर्वाचित उम्मीदवार का नाम एवं चुनाव चिह्न	यदि उम्मीदवार राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है तो उस राजनैतिक दल का नाम जिसके द्वारा वह खड़ा किया गया है।	निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या	निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर	रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप–45
निर्वाचन प्रमाणपत्र
(सदस्य, नगर पंचायत)

मैं, ... रिटर्निंग अधिकारी, नगर पंचायत ..... जनपद ..... एतद्द्वारा प्रमाणित *करता/करती हूँ कि मैंने दिनाँक ..... को यह घोषित कर दिया है कि *श्री/श्रीमती/कु0 ..... *पुत्र/पत्नी/पुत्री ..... निवासी ..... दल का नाम/निर्दलीय ..... नगर पंचायत ..... के वार्ड संख्या ..... से सदस्य पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित हो *गए/गई हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप इन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

(ह0)

स्थान.....
दिनाँक .....

रिटर्निंग अधिकारी का नाम.....
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....
(मुहर)

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

प्ररूप–46
निर्वाचित नगर पंचायत के सदस्य को निर्वाचन प्रमाणपत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप

मैं, ... *पुत्र/पत्नी/पुत्री ..... नगर पंचायत ..... के वार्ड संख्या ..... से सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के प्रमाणपत्र की प्राप्ति स्वीकार *करता हूँ/करती हूँ

स्थान.....
दिनाँक .....

निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नाम.....
मोबाइल नं0 .....

अभिप्रमाणित

(ह0)

रिटर्निंग अधिकारी का नाम.....
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....
(मुहर)
दिनाँक .....

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

प्ररूप–47
निर्वाचन प्रमाणपत्र
(अध्यक्ष, नगर पंचायत)

मैं, ... रिटर्निंग अधिकारी, नगर पंचायत ..... जनपद ..... एतद्द्वारा प्रमाणित *करता/करती हूँ कि मैंने दिनाँक ..... को यह घोषित कर दिया है कि *श्री/श्रीमती/कु0 ..... *पुत्र/पत्नी/पुत्री . ..... निवासी ..... . दल का नाम/निर्दलीय ..... नगर पंचायत ..... के अध्यक्ष पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित हो *गए/गई हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप इन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

(ह0)

स्थान.....
दिनाँक .....

रिटर्निंग अधिकारी का नाम.....
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....
(मुहर)

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

प्ररूप–48

निर्वाचित नगर पंचायत के अध्यक्ष को निर्वाचन प्रमाणपत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप

मैं, ...*पुत्र/पत्नी/पुत्री.....

निवासी ..... नगर पंचायत .....के

अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन के प्रमाणपत्र की प्राप्ति स्वीकार *करता हूँ/करती हूँ

निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नाम.....
मोबाइल नं0 .....

स्थान.....
दिनाँक .....

अभिप्रमाणित

(ह0)
रिटर्निंग अधिकारी का नाम.....
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....
(मुहर)
दिनाँक .....

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

प्ररूप–49
निर्वाचन प्रमाणपत्र
(सदस्य, नगर पालिका परिषद्)

मैं, ... रिटर्निंग अधिकारी, नगर पालिका परिषद् ..... जनपद ..... एतद्द्वारा प्रमाणित *करता/करती हूँ कि मैंने दिनाँक ..... को यह घोषित कर दिया है कि *श्री/श्रीमती/कु0 ..... *पुत्र/पत्नी/पुत्री ..... निवासी ..... दल का नाम/निर्दलीय ..... नगर पालिका परिषद् ..... के वार्ड संख्या ..... से सदस्य पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित हो *गए/गई हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप इन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

(ह0)

स्थान..... रिटर्निंग अधिकारी का नाम.....दिनाँक .....
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....
(मुहर)

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

प्ररूप–50

निर्वाचित नगर पालिका परिषद् के सदस्य को निर्वाचन प्रमाणपत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप

मैं, ... *पुत्र/पत्नी/पुत्री .....

निवासी ..... नगर पालिका परिषद् ..... के वार्ड संख्या ..... से सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के प्रमाणपत्र की प्राप्ति स्वीकार *करता हूँ/करती हूँ

निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नाम.....
मोबाइल नं0 .....

स्थान.....
दिनाँक .....

अभिप्रमाणित

(ह0)

रिटर्निंग अधिकारी नाम.....
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....
(मुहर)
दिनाँक .....

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

प्ररूप–51
निर्वाचन प्रमाणपत्र
(अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्)

मैं, ... रिटर्निंग अधिकारी, नगर पालिका परिषद् ..... जनपद ..... एतद्द्वारा प्रमाणित *करता/करती हूँ कि मैंने दिनाँक ..... को यह घोषित कर दिया है कि *श्री/श्रीमती/कु0 ..... *पुत्र/पत्नी/पुत्री ..... निवासी ..... दल का नाम/निर्दलीय ..... नगर पालिका परिषद् ..... के अध्यक्ष पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित हो *गए/गई हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप इन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

(ह0)

स्थान..... रिटर्निंग अधिकारी का नाम.....दिनाँक .....
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....
(मुहर)

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

प्ररूप–52

निर्वाचित नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष को निर्वाचन प्रमाणपत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप

मैं, ...*पुत्र/पत्नी/पुत्री.....

निवासी.....नगर पालिका परिषद्.....के अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन के प्रमाणपत्र की प्राप्ति स्वीकार *करता हूँ/करती हूँ

निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नाम.....
मोबाइल नं0 .....

स्थान.....
दिनाँक .....

<u>अभिप्रमाणित</u>

(ह0)

रिटर्निंग अधिकारी का नाम.....
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....
(मुहर)
दिनाँक .....

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

प्ररूप–53
निर्वाचन प्रमाणपत्र
(पार्षद, नगर निगम)

मैं, ... रिटर्निंग अधिकारी, नगर निगम ..... जनपद ..... एतद्द्वारा प्रमाणित *करता/करती हूँ कि मैंने दिनाँक ..... को यह घोषित कर दिया है कि *श्री/श्रीमती/कु0 ..... *पुत्र/पत्नी/पुत्री .... निवासी ..... दल का नाम/निर्दलीय ..... नगर निगम ..... के वार्ड संख्या ..... से पार्षद पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित हो *गए/गई हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप इन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

(ह0)

स्थान..... रिटर्निंग अधिकारी का नाम.....दिनाँक .....
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....
(मुहर)

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

प्ररूप–54

निर्वाचित पार्षद को निर्वाचन प्रमाणपत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप

मैं, ... *पुत्र/पत्नी/पुत्री .....

निवासी ..... नगर निगम ..... के वार्ड संख्या ..... से पार्षद के रूप में अपने निर्वाचन के प्रमाणपत्र की प्राप्ति स्वीकार *करता हूँ/करती हूँ

निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नाम.....
मोबाइल नं0 .....

स्थान.....
दिनाँक .....

<u>अभिप्रमाणित</u>

(ह0)

रिटर्निंग अधिकारी का नाम.....
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....
(मुहर)
दिनाँक .....

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

प्ररूप–55
निर्वाचन प्रमाणपत्र
(महापौर, नगर निगम)

मैं, ... रिटर्निंग अधिकारी, नगर निगम ..... जनपद ..... एतद्द्वारा प्रमाणित *करता/करती हूँ कि मैंने दिनाँक ..... को यह घोषित कर दिया है कि *श्री/श्रीमती/कु0 ..... *पुत्र/पत्नी/पुत्री .... निवासी ..... दल का नाम/निर्दलीय ..... नगर निगम ..... से महापौर पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित हो *गए/गई हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप इन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

(ह0)

स्थान..... रिटर्निंग अधिकारी का नाम.....दिनाँक .....
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....
(मुहर)

---

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

प्ररूप–56

निर्वाचित महापौर को निर्वाचन प्रमाणपत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप

मैं, ... *पुत्र/पत्नी/पुत्री .....

निवासी ..... नगर निगम ..... के महापौर के रूप में अपने निर्वाचन के प्रमाणपत्र की प्राप्ति स्वीकार *करता हूँ/करती हूँ

निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नाम.....
मोबाइल नं0 .....

स्थान.....
दिनाँक .....

अभिप्रमाणित

(ह0)

रिटर्निंग अधिकारी का नाम.....
निर्वाचन क्षेत्र का नाम.....
(मुहर)
दिनाँक .....

*यदि आवश्यक न हो तो काट दीजिये।

नगरीय निकाय निर्वाचन परिशिष्ट–52

संख्या–113 / रा0नि0आ0अनु–5 / 2011 / 13 / 11 दिनाँक : 17 फरवरी, 2011

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि),
उत्तर प्रदेश।

विषयः– नगर निकायों के सामान्य निर्वाचन–2011 हेतु नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत धनराशि एवं उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक–212 / रा0नि0आ0अनु0–5 / 2005 / 02 / 2005 दिनांक 01.03.2005, पत्र संख्या–540 / रा0नि0आ0अनु0–5 / 2005 / 03 / 2005 दिनांक 23.06.2005, एवं पत्र संख्या–997 / रा0नि0आ0अनु0–5 / 2005 / 26 / 2005 दिनांक 25.09.2005 द्वारा निर्धारित क्रमशः नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, उम्मीदवारों से जमानत के रूप में जमा कराई जाने वाली धनराशि एवं विभिन्न पदों हेतु निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। चूँकि उप महापौर तथा उपाध्यक्ष के पद समाप्त कर दिए गए हैं अतएव उपर्युक्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए एक समेकित निर्देश निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया है।

इस सम्बन्ध में नगर निकायों के आगामी सामान्य निर्वाचनों एवं उप निर्वाचनों हेतु नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, उम्मीदवारों से जमानत के रूप में जमा कराई जाने वाली धनराशि एवं विभिन्न पदों हेतु निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा निम्नवत निर्धारित की जाती हैः–

क्र0 सं0	पदाधिकारी	सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए			अनुसूचित जाति / जनजाति पिछड़ा वर्ग / महिला उम्मीदवारों के लिए		
		नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य (रू0)	जमानत धनराशि (रू0)	अधिकतम व्यय सीमा (रू0)	नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य (रू0)	जमानत धनराशि (रू0)	अधिकतम व्यय सीमा (रू0)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	महापौर, नगर निगम	1000	12,000		500	6,000	
	(i) 80 या उससे अधिक वार्ड के नगर निगम के महापौर पद हेतु			12,50,000			12,50,000
	(ii) 80 से कम वार्ड के नगर निगम के महापौर पद हेतु			10,00,000			10,00,000
2	पार्षद, नगर निगम	400	2,500	1,00,000	200	1,250	1,00,000
3	अध्यक्ष, न0 पा0 प0	500	8,000	4,00,000	250	4,000	4,00,000
4	सदस्य, न0 पा0 प0	200	2,000	40,000	100	1,000	40,000
5	अध्यक्ष, नगर पंचायत	250	5,000	1,00,000	125	2,500	1,00,000
6	सदस्य, नगर पंचायत	100	2,000	20,000	50	1,000	20,000

जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) अपने जिले के नाम निर्देशन पत्र आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप पर छपवायेंगे जिन पर क्रमांक भी अंकित होगा। किस नगर निकाय को किस क्रमांक से किस क्रमांक तक के नाम निर्देशन पत्र दिए गए है, इसका लेखा जोखा पंचास्थानि चुनावालय में रखा जाएगा नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री का लेखा–जोखा नगर निकायों के जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि)के द्वारा अधिकृत अधिकारी रखेंगे और पंचास्थानि चुनावालय को उपलब्ध करायेंगे। नाम

निर्देशन पत्रों की छपाई (मुद्रण) और उनकी आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय तथा नाम निर्देशन पत्र उपर्युक्तानुसार मूल्य लेकर उम्मीदवारों को दिया जाए। इनकी बिक्री से प्राप्त धनराशि को सम्बन्धित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कर दिया जाय। अनारक्षित पद पर यदि आरक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति नाम निर्देशन पत्र क्रय करता है तो उससे आरक्षित वर्ग का लिए निर्धारित नामांकन पत्रों का मूल्य लिया जाएगा तथा उससे जमानत की धनराशि वही ली जायगी, जो सम्बन्धित आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई है। प्रत्येक पद के लिए कुल वैध मतों के पाँचवें (1/5) अंश तक मत यदि कोई उम्मीदवार प्राप्त नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा की गई जमानत की धनराशि जब्त हो जायेगी। यदि कोई उम्मीदवार विजयी होता है और वह पाँचवें (1/5) अंश तक मत नहीं प्राप्त करता है तो भी उसकी जमानत धनराशि जब्त नहीं की जायेगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

जय प्रकाश सिंह
संयुक्त आयुक्त।

संख्याः113(1)/रा0नि0आ0अनु–5/2011/13/11 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, गृह विभाग, पंचायतीराज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय/पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
10. निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज मंत्री, नगर विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।
11. उप जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तर प्रदेश।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित करें कि वह कृपया अपने प्रचार माध्यम के द्वारा इसका प्रसारण करायें।
14. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने प्रचार माध्यम के द्वारा इसका प्रसारण करायें।
15. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी गोरखपुर केन्द्र, गोरखपुर।
16. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली तथा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में आयोग के स्थाई अधिवक्तागण।
17. निजी सचिव, मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
18. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
19. गार्ड फाइल, अनुभाग–5

जय प्रकाश सिंह
संयुक्त आयुक्त।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के महत्वपूर्ण प्राविधानों का उद्धरण

1. **धारा–13ख–निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, इत्यादि** :– नगर पालिकाओं के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

2. **धारा–13ग–सदस्य के निर्वाचन के लिए अर्हतायें**:–कोई व्यक्ति सदस्य के रुप में चुने जाने और बने रहने के लिए अर्ह नहीं होगा यदि–

(क) वह नगर पालिका में किसी कक्ष के लिए निर्वाचक न हो,

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो और स्त्रियों के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, वह यथास्थिति, उक्त श्रेणी का व्यक्ति न हो,

(ग) उसने 21 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ली हो,

3. **धारा–13घ सदस्यता के लिए अर्हताएँ,**–कोई भी व्यक्ति इस बात के होते हुए भी कि वह अन्यथा अर्ह है किसी नगरपालिका का सदस्य निर्वाचित चुने जाने या सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह होगा यदि–

(क) वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किया हो और भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत कर दिया हो, जब तक कि उसकी पदच्युत से छः वर्ष की अवधि समाप्त न हो गई हो, या

(ख) वह किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा विधि–व्यवसायी के रुप में कार्य करने से विवर्जित किया गया हो, या

(ग) वह नगरपालिका के दान स्वरुप या उसके नियन्त्रण में कोई लाभ का पद धारण करता हो, या

(घ) वह धारा 27 या 41 के अधीन अनर्ह हो, या

(ड़) (निकाल दिया गया)

(च) वह राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो, या जिला सरकारी काउन्सेल या अपर सहायक जिला सरकारी काउन्सेल या अवैतनिक मजिस्ट्रेट या अवैतनिक मुन्सिफ या कोई अवैतनिक सहायक कलेक्टर हो; या

(छ) उस पर एक वर्ष से अधिक की मॉग के नगरपालिका कर या अन्य देयों का, जिन पर धारा 166 लागू होती है, भुगतान बकाया हो या

(ज) (निकाल दिया गया)

(झ) (1) वह अनुमोचित दिवालिया हो, या

(2) वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 171–ड. के अधीन कारावास से दण्डनीय किसी अपराध अथवा धारा 171च के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, या

(ञ) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या–10 1955) या उत्तर प्रदेश आपूर्ति नियन्त्रण (अस्थाई शक्ति) अधिनियम 1947 जैसा की उत्तर प्रदेश आपूर्ति नियन्त्रण (अस्थाई शक्ति) अधिनियम 1953 (अधिनियम संख्या–22 1953) द्वारा पुनः अधिनियमित किया गया या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (अधिनियम संख्या–37 1955)के अधीन दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने के लिए या किसी ऐसे अपराध के लिए जिसे राज्य सरकार ने यह घोषित किया हो कि उसमें ऐसी नैतिक अधमत्ता अन्तर्वलित है, जिससे वह सदस्य होने के लिए अयोग्य कर दिया गया हो,

कारावास का दण्डादेश दिया गया हो या उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 109 या 110 के अधीन की गई कार्यवाहियों के फलस्वरुप सदाचार के लिए बन्धनपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया हो और ऐसा दण्डादेश या आदेश बाद में उलट न कर दिया गया हो,

परन्तु (क) और (ख) की दशा में उक्त अनर्हता राज्य सरकार के इस निमित्त दिए गय आदेश द्वारा दूर की जा सकती है।

परन्तु यह और कि (छ) की दशा में बकाया भुगतान करने पर यथाशीघ्र अनर्हता समाप्त हो जाएगी।

परन्तु यह और भी कि (ञ) की दशा में–

(1) यथास्थिति उसके कारावास से निर्मुक्त होने के दिनाँक से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उस अवधि जिसके लिए उससे सदाचार बनाये रखने के लिए बन्धन–पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गई हो, समाप्ति के दिनाँक से अनर्हता नहीं रह जाएगी और

(2) ऐसे व्यक्ति की दशा में जो अनर्हता के दिनाँक को नगरपालिका का सदस्य हो, अनर्हता तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक की ऐसी अनर्हता के दिनाँक से तीन मास तक बीत गए हो, या यदि उक्त तीन मास के भीतर सिद्ध दोष ठहराने या आदेश के सम्बन्ध में पुनरीक्षण के लिए कोई अपील या याचिका प्रस्तुत न की गई हो तो जब ऐसी अपील या याचिका का विस्तारण न कर दिया गया हो।

(स्पष्टीकरण––खण्ड (च) के अर्थ में, कोई सरकारी कोषाध्यक्ष राज्य या केन्द्रीय सरकार की सेवा में नहीं समझा जाएगा।)

(ट) वह राज्य के विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए त्तसमय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार अनर्ह कर दिया जाता है–

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, इस आधार पर अनर्ह नहीं किया जाएगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है।''

5. **धारा–13ङ मत देने का अधिकार**

(1) कोई व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट न हो उस कक्ष में मत देने का अधिकार न होगा और जैसा कि इस अधिनियम में स्पष्टतः उपबन्धित है उसके सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट हो, उस कक्ष में मत देने का हकदार होगा।

(2) कोई व्यक्ति किसी कक्ष में निर्वाचन में मत नहीं देगा, यदि वह धारा–12 घ में निर्दिष्ट किसी अनर्हता के अधीन है।

(3) कोई व्यक्ति किसी साधारण निर्वाचन में एक से अधिक कक्षों में मत नहीं देगा और यदि कोई व्यक्ति ऐसे एक से अधिक कक्षों में मत देता है तो ऐसे सभी कक्षों में उसके दिए हुए मत शून्य हो जाएंगे।

(4) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक ही कक्ष में एक से अधिक बार मत नहीं देगा भले ही उस कक्ष की निर्वाचक नामावली में उसका नाम एक से अधिक बाद रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, और यदि वह इस प्रकार मत देता है, तो उस कक्ष में उसके दिए हुए सभी मत शून्य हो जाएंगे।

(5) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा, यदि वह कारागार में, चाहे कारावास के या निर्वाचन के दण्डादेश के अधीन या अन्य प्रकार से परिरूद्ध हो, या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में होः

परन्तु उपधारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू न होगी, जिसका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निरोध किया गया हो।

6. धारा–43 अध्यक्ष का निर्वाचन

(1) अध्यक्ष नगर पालिका क्षेत्र में निर्वाचक द्वारा वयस्क मताधिकारी के आधार पर निर्वाचित किया जाएगा

(2) बहिर्गामी अध्यक्ष पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

(3) किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन और निर्वाचन अपराध से सम्बन्धित विवाद भी है) इस अधिनियम के उपबन्ध और तद्धीन बनाये गए नियम अध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(4) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति नगर पालिका के सदस्य और अध्यक्ष दोनों ही रूप में निर्वाचित हो जाए , या नगर पालिका सदस्य होते हुए किसी उप निर्वाचन में अध्यक्ष निर्वाचित हो जाए , तो वह धारा 49 में यथा उपबन्धित के सिवाय, अध्यक्ष निर्वाचित होने के दिनाँक से सदस्य न रह जाएगा।

7. धारा–43क भिन्न भिन्न स्थानीय प्राधिकारियों के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद एक साथ धारण करने के सम्बन्ध में रोक–कोई व्यक्ति नगर पालिका और किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी दोनों का एक ही समय में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न होगा।

परन्तु यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के किसी ऐसे या इसी तरह के किसी पद पर निर्वाचित हो जाए तो वह अपने विकल्प से एक स्थानीय प्राधिकारी के पदधारणकर्ता रहेगा और अन्य प्राधिकारियों में विहित अवधि के भीतर, त्याग पत्र दे देगा।

8. धारा–43 कक अध्यक्ष पद के लिए अर्हतायें

(1) कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका का अध्यक्ष चुने जाने के लिए अर्ह न होगा जब तक कि वह–

(क) सम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्र में किसी कक्ष का निर्वाचक न हो, और

(ख) अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किए जाने के लिए उम्मीदवार के रुप में अपने नाम –निर्देशन के दिनाँक को तीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो,

(2) कोई भी व्यक्ति किसी नगरपालिका का अध्यक्ष चुने जाने या होने के लिए अनर्ह होगा यदि वह–

(क) धारा 13 घ के (क) से (छ) तक और (छ) से (ट) तक में उल्लिखित, किसी अनर्हता के कारण अनर्ह हो या हो गया हो और ऐसी अनर्हता उक्त धारा के अधीन न तो समाप्त हुई हो और न हटाई गई हो।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के महत्वपूर्ण प्रावधानों का उद्धरण

1. धारा–11 महापौर के पद के लिए निर्वाचन की अर्हताएँ

(1) कोई भी व्यक्ति महापौर के पद पर निर्वाचन के लिए अर्ह न होगाः–

(क) यदि वह नगर में निर्वाचक नहीं है,

(ख) यदि उसकी आयु तीस वर्ष की नहीं हो गई है,

(ग) यदि वह धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन सभासद के रूप में निर्वाचित होने के निमित्त अनर्ह है, अथवा

(घ) यदि वह पार्षद के किसी स्थान के लिए निर्वाचन में हार चुका हो और उस निर्वाचन का फल घोषित होने के पश्चात् छः महीने व्यतीत न हो गए हो।

2. धारा–11क महापौर का निर्वाचन

(1) महापौर का निर्वाचन नगर में निर्वाचकों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।

(2) धारा 16 में यथा उपबन्धित के सिवाय अपने पद से हटने वाला महापौर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

(3) किसी पार्षद के निर्वाचन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाये गए नियमों के अधीन (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन तथा निर्वाचन अपराध से सम्बन्धित विवाद भी है) महापौर के निर्वाचन के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(4) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति महापौर और पार्षद दोनों रूप में या किसी उपचुनाव में पार्षद के रूप में होने पर महापौर निर्वाचित होता है, तो वह महापौर के रूप में अपने निर्वाचन के दिनाँक से पार्षद नहीं रह जाएगा।

3. धारा–24. पार्षद के निर्वाचन के लिए अर्हतायें– कोई व्यक्ति पार्षद के रूप में चुने जाने के लिए और पार्षद होने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह––

(क) नगर का निर्वाचक न हो,

(ख) 21 वर्ष की आयु प्राप्त न कर चुका हो, तथा

(ग) स्थान के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या स्त्रियों के लिए आरक्षित होने की दशा में जैसी भी स्थिति हो, सम्बन्धित श्रेणी का नहीं है।

4. धारा–25 पार्षदों की अनर्हताएं

(1) कोई भी व्यक्ति, इस बात के होते हुए भी कि वह अन्यथा अर्ह है, पार्षद चुने जाने तथा होने के लिए अनर्ह होगा, यदि

(क) उसे इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व अथवा पश्चात् भारत के किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी पाया गया हो, तथा उसे दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया गया हो, जब तक कि उसके छूटने के दिनाँक से पॉच वर्ष की अवधि या इससे कम ऐसी अवधि, जिसकी अनुमति राज्य सरकार किसी विशेष मामले में दे, व्यतीत न हो गई हों,

(ख) वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो,

(ग) वह निगम में लाभ के किसी पद पर हो,

(घ) वह राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो, अथवा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेन्ट कौसिंल अथवा अतिरिक्त या सहासक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेन्ट कौंसिल अथवा अवैतनिक मजिस्ट्रेट अथवा अवैतनिक मुन्सिफ अथवा अवैतनिक असिस्टेन्ट कलेक्टर हो,

(ड़) वह चाहे स्वयं, चाहे उसके लिए न्यासी के रूप में अथवा उसके लाभ के लिए या के लेखे में किसी व्यक्ति द्वारा निगम को माल सम्भरित करने के लिए या किसी निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए किन्हीं सेवाओं को जिनका भार निगम ने अपने ऊपर लिया हो, सम्पन्न करने के लिए किए गए किसी संविदें में कोई हिस्सा (ैंतम) या हित (पदजमतमेज) रखता हो,

(च) वह निगम को देय ऐसे कर के जिन पर धारा 504 लागू होती है अथवा ऐसे मूल्य के, जो निगम द्वारा दिए गए पानी के लिए देय हो, एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाये का देनदान हो,

(छ) यदि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण करके भ्रष्टाचार अथवा राजद्रोह के लिए पदच्युत होने के दिनाँक से छः वर्ष की अवधि न व्यतीत हो गयी हो,

(ज) वह किसी सक्षम प्राधिकारी की आज्ञा से वकालत करने के लिए विवर्जित कर दिया गया है,

(झ) वह इस अधिनियम की धारा 80 तथा 83 के अधीन निगम का सदस्य होने के लिए अनर्ह है,

(ञ) वह किसी ऐसे संसर्गजन्य रोगों में से किसी से ग्रस्त है, जो राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे और मुख्य चिकित्साधिकारी से अन्यून पर के किसी चिकित्साधिकारी (medical officer) ने उस रोग को असाख्या (incurable) घोषित कर दिया हो।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (च) की दशा में बकाया अदा कर देने पर तुरन्त अनर्हता समाप्त हो जाएगी,

और प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी कर अथवा पानी के मूल्य का बकाया जो उस क्षेत्र, जिसको अब नगर घोषित कर दिया गया है, में, क्षेत्राधिकार रखने वाली नगर पालिका परिषद् अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी का देय हो, उसको निगम का बकाया समझा जाएगा।

(ट) राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए त्तसमय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन अनर्ह हो:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति इस आधार पर पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने इककीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो,

(2) निरसित

(3) निरसित

(4) कोई व्यक्ति सभासद चुन लिए जाने पर सभासद बने रहने के लिए अनर्ह होगा यदि वह–

(1) स्वयं अथवा किसी ऐसे फर्म के नाम से जिसमें वह साझीदार है, अथवा जिसके साथ वह वृत्तिक हैसियत से लगा हुआ है, किसी ऐसे वाद या कार्यवाही के सिलसिले में जिसमें निगम अथवा मुख्य नगरधिकारी का कोई हित या सम्बन्ध

है (interested or concerned) वह वृत्तिक हैसियत (professional capacity) से रोक रखा जाता है अथवा नियोजित किया जाता है, अथवा

(2) बीमारी अथवा निगम द्वारा स्वीकृत अन्य किसी कारण से अनुपस्थिति को छोड़कर निगम के अधिवेशनों में लगातार छः महीने तक अनुपस्थित रहता है।

(3) निगम की किसी बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है कि निगम का उस बैठक का कार्य संचालन असम्भव हो जाए अथवा ऐसा करने के लिए किसी को दुष्प्रेरित किया है,

(4) निगम के अधिकरियों या कर्मचारियों के साथ बिना न्यायोचित कारण के दुर्व्यवहार किया है

(5) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निगम की किसी सम्पत्ति को कोई हानि या क्षति पहुँचायी है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी हानि या क्षति के लिए दुष्प्रेरित करता है

(6) किसी अपराध के लिए, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, सिद्ध दोष और कारावास से दण्डित किया जाए ।

(5) उपाधारा–1 (क) खण्ड (ग) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इसलिए अनर्ह हुआ न समझा जाएगा कि वह–

(1) कोई पेंशन पाता है,

(2) महापौर या पार्षद के रूप में काम करते हुए कोई भत्ता या सुविधा पाता है।

(6) उपधारा (6) के खण्ड (ड.) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इसलिए अनर्ह हुआ न समझा जाएगा कि उसका निम्नलिखित में कोई हिस्सा या हित है–

1 कोई संयुक्त सम्भार समवाय (joint stock company) अथवा (उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965) के अधीन पंजीकृत अथवा पंजीकृत समझी गयी कोई समिति, जिससे (निगम) की ओर से मुख्य नगराधिकारी संविदा करेगा अथवा जिसे वह नियोजित करेगा।

2 निगम के लिए मुख्य नगराधिकारी को बेची जाने वाली किसी ऐसी वस्तु के प्रायिक (occasional) विक्रय में जिसमें वह किसी कैलेंडर वर्ष में कुल मिलाकर 2,000 रू0 से अनधिक मूल्य का नियमित रूप से व्यापार करता है।

(7) कोई व्यक्ति जो पार्षद के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात् इस धारा के अधीन अनर्ह हो जाए, पार्षद नहीं रह जाएगा और उसका स्थान ऐसी अनर्हता होने के दिनाँक से रिक्त हो जाएगा।

हिन्दी वर्णमाला

स्वर––

अ	आ	इ	ई	उ	ऊ
ए	ऐ	ओ	औ	अं	अः

मात्राएं––

ा	ि	ी	ु	ू
े	ै	ं	ः	

व्यंजन––

क	ख	ग	घ	ङ		
च	छ	ज	झ	ञ		
ट	ठ	ड	ढ	ण	ड़	ढ़
त	थ	द	ध	न		
प	फ	ब	भ	म		
य	र	ल	व	श		
ष	स	ह				
क्ष	त्र	ज्ञ				

अंक–

1,	2,	3,	4,	5,
6,	7,	8,	9,	0

स्पष्टीकरण––

1– हिन्दी में ऋ (दीर्घ 'ऋ) का प्रयोग नहीं होता, अतः इसे स्वरों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

2– संयुक्ताक्षरकृत

1– खड़ी पाई वाले व्यंजनः

ख	ग	घ	च	ज	झ	ञ	ण
त	थ	ध	न	प	ब	भ	म
य	ल	व	ष	श	क्ष	ज्ञ	

2 खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए यथा

ख्याति,	लगन,	विघ्न,	कच्चा
छज्जा,	व्यंजन,	नगण्य	
कुत्ता,	पथ्य,	ध्वनि,	न्यास,
प्यास,	डिब्बा,	सभ्य,	रम्य

शय्या
उल्लेख
व्यास
श्लोक
राष्ट्रीय
स्वीकृत
यक्ष्मा

3– अन्य व्यंजन

(क) 'क' और 'फ' के संयुक्ताक्षर बनाने का वर्तमान ढ़ंग ही कायम रहेगा। यथाः संयुक्त, पक्का, दफ्तर (संयुक्त, पक्का, दफ्तर नहीं)

(ख) ड, छ, ट,ठ,ड, ढ और द के/संयुक्ताक्षर हल चिह्न लगाकर बनाये जाएं।

यथाः वाड्.मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या आदि (वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या)

(ग) संयुक्त 'र' के पुराने तीनों रूप यथावत् रहेंगे। यथाः प्रकार, धर्म, राष्ट्र।

(घ) 'श्र' का पुराना रूप जैसा श्श्रीश में है वैसा ही कायम रहेगा।

(ङ) 'त्र' के स्थान पर अब 'त' और 'र' का संयुक्त अक्षर त्र रहेगा।

(च) 'ह' का संयुक्त रूप वर्तमान प्रणाली के साथ ही हल चिह्न लगाकर भी किया जा सकेगा। यथा चिह्न और चिह्न (चिह्न नहीं)।

(छ) संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे।

4– अन्य निश्चय जो 1953 में हुए थे वे ही कायम रहेंगे। यथाः

1– शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।

2– (क) फुलस्टाप को छोड़कर शेष विराम आदि चिह्न वही ग्रहण कर लिए जाएं जो अंग्रेजी में प्रचलित है। यथाः (.–, ।?!:)

(विसर्ग के चिह्न को ही कोलन का चिह्न मान लिया जाएं)

(ख) पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई(1) का प्रयोग किया जाएं

(ग) जहाँ तक सम्भव हो टाइपराइटर के कुजीपटल में निम्नलिखित चिह्नो को सम्मिलित कर लिया जाएः

[% “” () + x - =]

3– अनुस्वर और अनुसासिक दोनों (ँ ं) प्रचलित रहेंगे।

(1) स्वर और मात्राएं––

स्वर और मात्राओं का क्रम भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत संशाधित वर्णमाला के अनुसार रहेगा।

स्पष्टीकरण––

कोशों की परिपाटी से भिन्न––की मात्रा संशोधित वर्णमाला में दिए गए क्रम से ही लगाई जाएगी, अर्थात कौसल्या और कोसल्या इन दो नामों में कौसल्या शब्द ही पहले लिखा जाए न कि कौसल्या ।

(2) **व्यंजन––**

व्यंजनों का क्रम भी स्वर और मात्राओं के अनुसार भारत सराकर द्वारा स्वीकृत संशोधित वर्णमाला के अनुसार रहेगा।

स्पष्टीकरण––

(1) भारत सरकार की संशोधित वर्णमाला के अनुसार त्र का क्रम त के बाद रहेगा अर्थात तानसेन और त्रिवेणीशंकर में तानसेन पहले लिखा जाएगा और त्रिवेणी शंकर बाद में।

(2) 'त्र' के समान 'श्र' की स्थिति 'श' और 'र' के बीच नहीं रहेगी। चूंकि भारत सरकार ने इसे एक पृथक वर्ण मान लिया है, अतः 'ज्ञ' से और समस्त मात्राओ सहित 'ज्ञ' से आरंभ होने वाले सभी नामों के बाद इससे प्रारंभ होने वाले नाम लिखे जाएंगे।

(3) ड, ढ, ल अक्षर ड, ढ और ल के बाद लिखे जाएंगे।

संयुक्ताक्षर––

संयुक्ताक्षर लिखते समय उनका क्रम भी व्यंजनों के अनुसार ही रहेगा।

स्पष्टीकरण––

पूर्णाक्षर से आरभ होने वाले नामों के बाद संयुक्ताक्षर वाले नाम लिखे जाएंगे और उनमें भी व्यंजनों का ही क्रम रखा जाएगा, अर्थात् यदि सचदेव और सच्चिदानन्द दो नाम हों, तो सच्चिदानन्द सचदेव के बाद लिखा जाएगा।

परिशिष्ट–56

नगरीय निकाय निर्वाचन
प्रत्याशियों द्वारा माँगे जाने वाले निर्वाचन प्रतीकों की वरीयता हेतु प्ररूप

प्रत्याशी का नाम :–

दल से सम्बद्धता :–

क्र0सं0	निकाय का नाम (जनपद सहित)	पद नाम	वार्ड संख्या	माँगे जाने वाले निर्वाचन प्रतीकों का वरीयता क्रम
				1– 2– 3– 4– 5–

दिनाँक

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

नोट–यदि उम्मीदवार किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध न हो तो निर्दलीय लिखा जाए।

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश
(पंचायत एवं स्थानीय निकाय)
पी0सी0एफ0 भवन, 32–स्टेशन रोड,
लखनऊ–226001

संख्या– 311 / रा0नि0आ0अनु0–5 / 2011 / 24 / 11 लखनऊः दिनांकः 11 मार्च, 2011

निर्देश

उत्तर प्रदेश की नगर निकायों के सामान्य निर्वाचन / उप निर्वाचनों में विभिन्न पदों के प्रत्याशियों से जमा कराई जाने वाली जमानत धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–46 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा–13 छ के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राजेन्द्र भौनवाल, राज्य निर्वाचन आयुक्त (पंचायत एवं स्थानीय निकाय), उत्तर प्रदेश, प्रदेश के नगर निगमों के महापौर एवं पार्षद पदों तथा नगर पालिका परिषद्ों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं सदस्य पदों के सामान्य निर्वाचन / उप निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों से जमा कराई जाने वाली जमानत की धनराशि की वापसी / समपहृत (जब्त) करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश देता हूँः–

1– निर्वाचन लड़ने वाले किसी भी प्रत्याशी की जमानत धनराशि तब तक वापस नहीं की जायगी जब तक कि उसके द्वारा सम्बन्धित निर्वाचन में किए गए व्यय का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्रा पर निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 03 माह के अन्दर दाखिल न कर दिया गया हो और तत्पश्चात् जमानत वापसी का प्रार्थना पत्रा भी उक्त 03 माह की अवधि में ही न दे दिया गया हो। उम्मीदवारों के प्रार्थना पत्रा जमा करने के समय ही उनके प्रार्थना पत्राों की जाँच कर ली जाय और यदि किसी प्रकार की त्राुटि हो या अपूर्ण हो उसे पूर्ण करा लिया जाय।

2– जिन उम्मीदवारों द्वारा उपर्युक्त 03 माह की अवधि के अन्दर निर्वाचन का पूर्ण व्यय विवरण जमाकर जमानत धनराशि वापसी का प्रार्थना पत्रा नहीं दिया जाएगा, उनकी जमानत धनराशि जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रभारी अधिकारी द्वारा एक समेकित आदेश करते हुए जब्त करके शासकीय प्राप्ति के मद क्ष्लेखा शीर्षक "–0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–02–चुनाव–104–शुल्क, अर्थदण्ड और समपहरण– 04–जमानत की जमाओं (सिक्योरिटी डिपाजिट) की जब्त की गयी धनराशि"} में जमा कर दी जायगी।

3– उस प्रत्याशी की जमानत की धनराशि वापस नहीं की जायगी जिसने मतदान में पड़े कुल वैध मतों के 1 / 5 अंश से कम मत प्राप्त किया हो, किन्तु निर्वाचित घोषित हुए प्रत्याशी पर वैध मतों के 1 / 5 अंश से कम का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

4– यदि कोई प्रत्याशी एक से अधिक पदों पर चुनाव लड़ता है और वह उन सभी या कुछ पदों पर निर्वाचित घोषित होता है अथवा उन सभी पदों के निर्वाचन में अलग अलग पड़े कुल वैध मतों के 1 / 5 अंश या उससे अधिक मत प्राप्त करता है तो उस स्थिति में उसके द्वारा जमा की गयी ऐसी समस्त जमानत धनराशि वापस कर दी जायगी।

5– जमानत धनराशि की वापसी वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 के भाग–1 के प्रस्तर–346 के अन्तर्गत होगी।

समस्त जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) उत्तर प्रदेश द्वारा आयोग के उपर्युक्त निर्देशानुसार जमानत धनराशि की वापसी अथवा समपहरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायगी।

राजेन्द्र भौनवाल
राज्य निर्वाचन आयुक्त
(पंचायत एवं स्थानीय निकाय),
उत्तर प्रदेश।

संख्या– 311(1)/रा0नि0आ0अनु0–5/2011/24/11, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय), उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0)/प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उ0प्र0।
7. समस्त जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उ0प्र0 ।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उत्तर प्रदेश,लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने एवं आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारण हेतु व्यवस्था कराने का कष्ट करें।
10. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की इस आदेश को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 (ख) में दिनांक को प्रकाशित एवं मुद्रित कराकर 100 प्रतियॉ राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. निजी सचिव, मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त, उ0प्र0 ।
12. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
13. गार्ड फाइल

आज्ञा से
जय प्रकाश सिंह
संयुक्त आयुक्त।

मतदान सामग्री की सूची

क्र.सं.	वस्तु का नाम	मात्रा प्रति किट
1	2	3
(क) आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मतदान सामग्री		
1.	अमिट स्याही (05 सी0सी0)	02
2.	पीठासीन आफिसर के लिए धातु की मुद्रा (मैटल सील)	1
3.	मतपत्रों पर चिह्न लगाने के लिए एरोक्रास सील	4
4.	मतपेटी में मतपत्रों को दबाने के लिए किसी धातु की पट्टी या लकड़ी की पट्टी (पुशर)	1
5.	पत्र मुद्रा (पेपर सील)	2 नग प्रति मतपेटी
6.	मतपेटी	2
7.	मतपत्र	आवश्यकतानुसार
8.	मतपेटियों को लपेटने के लिये तथा अवशेष सामगी के लिए कैनवास/जूट/कपड़े का बैग	3
(ख) जनपद पर उपलब्ध एवं/स्थानीय स्तर पर प्रबन्ध की जाने वाली सामग्री		
9.	निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रतियाँ	4
10.	प्रतिपर्ण से मतपत्र को अलग करने के लिए धातु की पट्टी	1
11.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची	3 प्रतियों में
12.	लालटेन (स्थानीय स्तर पर प्रबन्ध कर लिया जाए)	1
13.	सुभेदक चिह्न वाली रबर सील	1
(ग) जिले स्तर से क्रय की जाने वाली निर्वाचन सामग्री (किट)		
14.	मतपेटियों को चारों ओर से बांध कर सुरक्षित बनाने के लिये पर्याप्त मात्रा में रिबन अथवा टेप	20 नग
15.	कॉपिंग पेंसिल	2
16.	साधारण पेंसिल	1
17.	स्याही युक्त स्टाम्प पैड (बैगनी स्याही का)	2
18.	बॉल पेन	3 नीले रंग के तथा एक लाल रंग का
19.	ब्लाटिंग पेपर	1 शीट डी0एफ0 साइज
20.	फुल स्केप साइज का कागज	4 शीट
21.	आलपिन	1 पत्ता
22.	सुतली (धागा)	2 गोले (50 ग्राम)
23.	मोहर लगाने की लाख (सीलिंग वैक्स)	10 बत्तियां
24.	मतदाताओं का प्रवेश और निकास दर्शाने वाली पट्टी (8" x 5")	2
25.	गोंद की शीशी	1
26.	दियासलाई	1

27.	ब्लेड	1
28.	पीठासीन/मतदान अधिकारियेां के लिए बैज	6
29.	सूजा	1
30.	निर्वाचक की उँगली से तेल या अन्य कोई पदार्थ हटाने हेतु कपड़े का कोई टुकड़ा	1
31.	रद्दी की टोकरी	1
32.	पत्र मुद्रा मजबूत करने के लिये कार्डबोर्ड (2" x 3½")	6
33.	मतदान अभिकर्ताओं के लिए प्रवेश–पत्र	6
34.	पैंकिग पेपर (18" x 22")	2 शीट
35.	पता लिखे हुए टैग	6
36.	मतपेटियों के लिए लेबिल	6
37.	मोमबत्ती (200 MM)	6
38.	लचकदार तार	1 मीटर
39.	मतदान सामग्री रखने हेतु पोलीथीन का बैग/बोरा	1
40.	कार्बन पेपर	4
41.	अमिट स्याही रखने हेतु प्याला या कोई डिब्बा	1
42.	मतदान क्षेत्र का विवरण बताने वाली सूचना	2
43.	मतदान अभिकर्ता नियुक्ति पत्र	15
44.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द करने सम्बन्धी प्ररूप	5
45.	मतदान के प्रारम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा	2 प्रतियाँ
46.	अनुवर्ती मतपेटी/मतपेटिकाओं के प्रयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा	2 प्रतियाँ
47.	आयु के सम्बन्ध में निर्वाचक द्वारा घोषणा	10 प्रतियाँ
48.	निर्वाचकों की आयु के सम्बन्ध में प्राप्त घोषणाओं की सूची	1 प्रति
49.	आपत्तिकृत मतों की सूची	2 प्रतियाँ
50.	आपत्ति किए गए मतों के लिए जमानत धनराशि की रसीद	1 रसीद बुक दोहरी प्रति में
51.	निविदत्त मतपत्रों की सूची	4 प्रतियाँ
52.	दृष्टिबाधित अथवा अशक्त मतदाताओं के साथी द्वारा घोषणा	10 प्रतियाँ
53.	दृष्टिबाधित अथवा अशक्त मतदाताओं की सूची	2 प्रतियाँ
54.	थाना प्रभारी को शिकायत पत्र का प्ररूप	4 प्रतियाँ
55.	मतदान स्थगन की सूचना	2 प्रतियाँ
56.	मतपत्र लेखा का प्ररूप	16 प्रतियाँ
57.	पत्र मुद्रा लेखा	2 प्रतियां
58.	मतदान के अन्त में घोषणा/मतपत्र लेखा की पावती	4 प्रतियाँ
59.	पीठासीन अधिकारी की डायरी	2 फुल स्केप कागज
60.	उपयोग में न लाये गये मतपत्र रखने के लिए लिफाफे (11" x 16")	2
61.	उपयोग में लाये गये मत–पत्रों के प्रतिपर्ण रखने के लिए लिफाफे (11" x 16")	3

62.	रद्द एवं वापस किए गये मतपत्रों को रखने के लिए लिफाफे (4" x 10")	2
63.	अप्रयुक्त मतपत्रों को रखने के लिए लिफाफे (11" x 16")	2
64.	मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति प्रपत्र रखने के लिए लिफाफे (9" x 4")	2
65.	आपत्तिकृत मतों की सूची रखने के लिए लिफाफे (9" x 11")	2
66.	निविदत्त मतपत्र तथा सूची रखने के लिए लिफाफे (9" x 4")	2
67.	दृष्टिबाधित अथवा अशक्त मतदाताओं के साथियों की घोषणायें रखने के लिए लिफाफा (9" x 16")	1
68.	मतपत्रों का लेखा रखने के लिए लिफाफे (9" x 4")	2
69.	पत्र मुद्रा का लेखा रखने हेतु लिफाफे (9" x 4")	2
70.	निर्वाचक नामावलियों की चिह्नित प्रतियां रखने के लिए लिफाफे (9" x 11")	2
71.	निर्वाचक नामावलियों की दूसरी प्रति रखने के लिए लिफाफे (9" x 11")	2
72.	पीठासीन अधिकारी की डायरी रखने हेतु लिफाफे (9" x 16")	1
73.	रसीद बुक और जब्त (समपहृत) की गयी राशि रखने के लिए लिफाफे (11" x 16")	1
74.	मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करने के कारण रद्द किये गये मतपत्रों को रखने के लिये लिफाफे (4" x 10")	2
75.	हस्ताक्षरित किन्तु उपयोग में न लाये गये मतपत्रों को रखने के लिये लिफाफा (4" x 10")	2
76.	पीठासीन अधिकारी के संक्षिप्त अभिलेख के लिये लिफाफा (9" x 16")	1
77.	अन्य कोई कागज जिसको रिटर्निंग अधिकारी ने मोहरबन्द लिफाफे में रखने का निर्देश दिया हो, को रखने के लिये लिफाफा (4" x 10")	1
78.	पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के प्रारम्भ होने से पूर्व, अनुवर्ती मतपेटी के प्रयोग के समय तथा मतदान समाप्त होने के समय की जाने वाली घोषणाओं के रखने हेतु लिफाफा (4" x 10")	1
	साइन बोर्ड	
79.	पीठासीन अधिकारी	
80.	मतदान अधिकारी	
81.	प्रवेश	
82.	निर्गमन	
83.	मतदान अभिकर्ता	
84.	क्षेत्र इत्यादि बताने के लिए विविध सूचना	

EVM से मतदान हेतु मतदान सामग्री (किट)

क्र.सं.	वस्तु का नाम	मात्रा प्रति किट
1	2	3
(क) आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मतदान सामग्री		
1.	नियन्त्रण यूनिट	1
2.	मतदान यूनिट	उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर
3.	अमिट स्याही(10 सी0सी0)	02
4.	EVM के लिए ग्रीन पेपर सील	4
5.	स्ट्रिप सील	3
(ख) जनपद पर उपलब्ध एवं/स्थानीय स्तर पर प्रबन्ध की जाने वाली सामग्री		
6.	निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रतियाँ	4
7.	मतपत्र (निविदत्त मतों के लिए)	20
8.	ऐरोक्रास मार्क रबर स्टैम्प	2
9.	पीठासीन अधिकारी के लिए धातु की मोहर	1
10.	सुभिन्नक सील	1
11.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची	1
(ग) जिले स्तर से क्रय की जाने वाली निर्वाचन सामग्री (किट)		
12.	मतदाताओं की पर्चियाँ	1600
13.	ऐड्रेस टैग नियन्त्रण यूनिट के लिए	5
14.	ऐड्रस टैग बैलेट यूनिट के लिए	4
15.	स्पेशल टैग	3
16.	बैगनी रंग का स्टाम्प पैड	2
17.	माचिस	1
18.	पीठासीन अधिकारी की डायरी	1
फार्म		
19.	चुनौती दिये गये मतों की सूची (प्ररूप 14 अ)	2
20.	दृष्टिबाधित या अशक्त मतदाताओं की सूची	2
21.	निविदत्त मतों की सूची के लिए प्ररूप (प्ररूप 17 ब)	2
22.	रिकार्ड किए गए मतों का लेखा (17ग)	10
23.	उपयोग मे लाए गए पेपरसील का रिकार्ड	2
24.	चुनौती दिये गए मतपत्रों की रसीद बुक	1
25.	थाना प्रभारी को शिकायती पत्र का प्ररूप	4
26.	पीठासीन अधिकारी का घोषणा पत्र मतदान के पूर्व व पश्चात् (पार्ट 1–4)	2
27.	अपनी उम्र के बारे में निर्वाचक द्वारा घोषणा के लिए प्ररूप	10
28.	ऐसे निर्वाचकों की सूची जिन्होंने घोषणा के पश्चात् मत नहीं दिया/देने से इंकार कर दिया	4
29.	घोषणा पत्र दृष्टिबाधित या अशक्त मतदाताओं के साथी द्वारा	10
30.	मतदान अभिकर्ता के पास	10

31.	विज़िट शीट	2
32.	पीठासीन अधिकारी का प्रपत्र–12 बिंदु रिपोर्ट के लिए, जिसे सहायक रिटर्निंग अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी को दिया जाना है।	2
33.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्ररूप	15
34.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द करने सम्बन्धी प्ररूप	5
35.	दिखावटी मतदान प्रमाण प्रपत्र	1
36.	मतदाता रजिस्टर	1
37.	स्पेशल/स्ट्रिप सील लेखा	1
38.	मतदान के प्रबन्ध में पीठासीन अधिकारी द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी जाने वाली रिपोर्ट	1
39.	अवशेष सामग्री जो दूसरे काउण्टर पर जमा की जाएगी	1
लिफाफे		
40.	छोटे लिफाफे के लिए (स्टेचुअरी कवर–9" x 11")	1
41.	निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के लिए लिफाफा (9" x 11")	1
42.	निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियों के लिए लिफाफा (9" x 11")	1
43.	निविदत्त मतपत्रों की सूची के लिए प्ररूप	1
44.	पीठासीन अधिकारी के घोषणापत्र, मतदान के पूर्व व पश्चात् के लिए लिफाफा (4"x10")	1
45.	रिकार्ड किये गये मतों का लेखा के लिए लिफाफा (प्ररूप 17ग) (9" x 4")	1
46.	चैलेंज्ड मतपत्रों के लिए (9" x 4")	1
47.	अप्रयुक्त और अनुपयोगी पेपर सील का लिफाफा (9" x 4")	1
48.	मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र का लिफाफा (9" x 4")	1
49.	दृष्टिबाधित व अशक्त मतदाताओं की सूची के लिए लिफाफा (9" x 4")	1
50.	पीठासीन अधिकारी की डायरी/रिपोर्ट का लिफाफा (9" x 16")	1
51.	निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए लिफाफा (9" x 4")	1
52.	रसीद पुस्तक व कैश जब्ती के लिए लिफाफा (11" x 16")	1
53.	तुलनात्पक घोषणापत्र के लिए लिफाफा (9" x 4")	1
54.	छोटे लिफाफों के लिए लिफाफा (अन्य) (9" x 11")	1
55.	मतदाता रजिस्टर जिसमें मतदाताओं के हस्ताक्षर हों (फार्म 17–क) (9" x 11")	1
56.	अन्य जरूरी जानकारी के लिए लिफाफा (9" x 4")	1
57.	छोटे लिफाफों के लिए लिफाफा (9" x 11")	1
58.	पीठासीन अधिकारी के रिकार्ड हेतु लिफाफा (9" x 4")	1
59.	सादा लिफाफा (4" x 10")–2 (9" x 16")–3	5
60.	अप्रयुक्त मतदान पत्र (11" x 16")	5
61.	अन्य कागजों के लिए जिसे रिटर्निंग अधिकारी ने रखने का निश्चय किया है।	1
62.	अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग के कवर के लिए (4" x 10")	1
63.	अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील के लिए लिफाफा (4" x 10") (लिफाफे छोटे होने की दशा में पैकिंग पेपर का उपयोग व जहां उपयुक्त लिफाफा उपलब्ध न हो तो सादा लिफाफा उपयोग कर उस पर जरूरी जानकारी लाल स्याही से अंकित करें।)	1

साइन बोर्ड		
64.	पीठासीन अधिकारी	
65.	मतदान अधिकारी	
66.	प्रवेश	
67.	निर्गमन	
68.	मतदान अभिकर्ता	
69.	क्षेत्र इत्यादि बताने के लिए विविध सूचना	
लेखन सामग्री		
70.	सामान्य पेंसिल	1
71.	बाल पेन	3 नीले + 1 लाल
72.	कोरा कागज	8 पन्ने
73.	पिनें	25
74.	मुहरबंद मोम	6 नग
75.	मतदान प्रकोष्ठ की सामग्री	2+2=4
76.	गोंद की लेई	1 बोतल
77.	ब्लेड	1
78.	मोमबत्ती	4
79.	पतला टर्वाइन धागा	20 मीटर
80.	धातु की पट्टी	1
81.	कार्बन पेपर	3
82.	तेल पोंछने के लिये कपड़ा	3
83.	पैकिंग पेपर	2 पन्ने
84.	अमिट स्याही की बोतल रखने के लिये कप या खाली डब्बा	1
85.	ड्राइंग पिन	24 नग
86.	चेक लिस्ट	2
87.	रबर बैंड	20 नग
88.	सेलो टेप	1

टिप्पणी– ऐसी आवश्यक वस्तुएँ जो प्रारम्भ में प्रदान न की गयी हों या जिनकी बाद में अभाव स्थिति में आवश्यकता पड़े, पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थानीय रूप से खरीदी जा सकती है, उनका खर्च सरकार उठायेगी।

2– आवश्यकता को देखते हुए उक्त सामग्री में जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) घट/बढ़ कर सकते हैं।

नोट– उपर्युक्त में से निम्नलिखित मदें व्यय नहीं होंगी अतः इन्हें प्राप्ति केन्द्र पर कर्मचारी/कर्मचारियों को वापस कर दिया जाना चाहिये।

1. सेल्फ इंकिग पैड
2. पीठासीन अधिकारी के लिए मेटल सील
3. मतपत्रों की मार्किंग करने हेतु ऐरोक्रास मार्क रबर सील
4. पुशर या लोहे की पट्टी
5. मतपत्रों को प्रतिपर्ण से अलग करने हेतु धातु की पट्टी
6. पीठासीन अधिकारियों के उपयोग हेतु निर्देश पुस्तिका

नमूना डाक मतपत्र

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2017

महापौर/अध्यक्ष पद हेतु

जनपद का नाम .... नगरीय निकाय का नाम ....

पद का नाम ....

डाक मतपत्र

निर्वाचक नामावली की भाग संख्या ....

निर्वाचक का क्रमाँक ....

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2017

महापौर/अध्यक्ष पद हेतु

जनपद का नाम .... नगरीय निकाय का नाम ....

पद का नाम ....

डाक मतपत्र

उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)	उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)
उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)	उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)
उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)	उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)
उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)	उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)
उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)	उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)
उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)	उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)

नमूना डाक मतपत्र

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2017

पार्षद/सदस्य पद हेतु

जनपद का नाम .... नगरीय निकाय का नाम ....

पद का नाम .... वार्ड का नाम एवं संख्या ....

डाक मतपत्र

निर्वाचक नामावली की भाग संख्या ....

निर्वाचक का क्रमाँक ....

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2017

पार्षद/सदस्य पद हेतु

जनपद का नाम .... नगरीय निकाय का नाम ....

पद का नाम .... वार्ड का नाम एवं संख्या ....

डाक मतपत्र

उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)	उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)
उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)	उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)
उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)	उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)
उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)	उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)
उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)	उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)
उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)	उम्मीदवार का नाम (हिन्दी में) (सम्बन्धित दल का नाम)(हिन्दी में)

पी0एस0यू0पी0–00 निर्वाचन, 000000 (डी0टी0पी0/आफसेट)।